खण्ड-236, अंक-4
सोमवार, 30 आश्विन, शक संवत् 1884
(22 अक्टूबर, 1962 ई0)

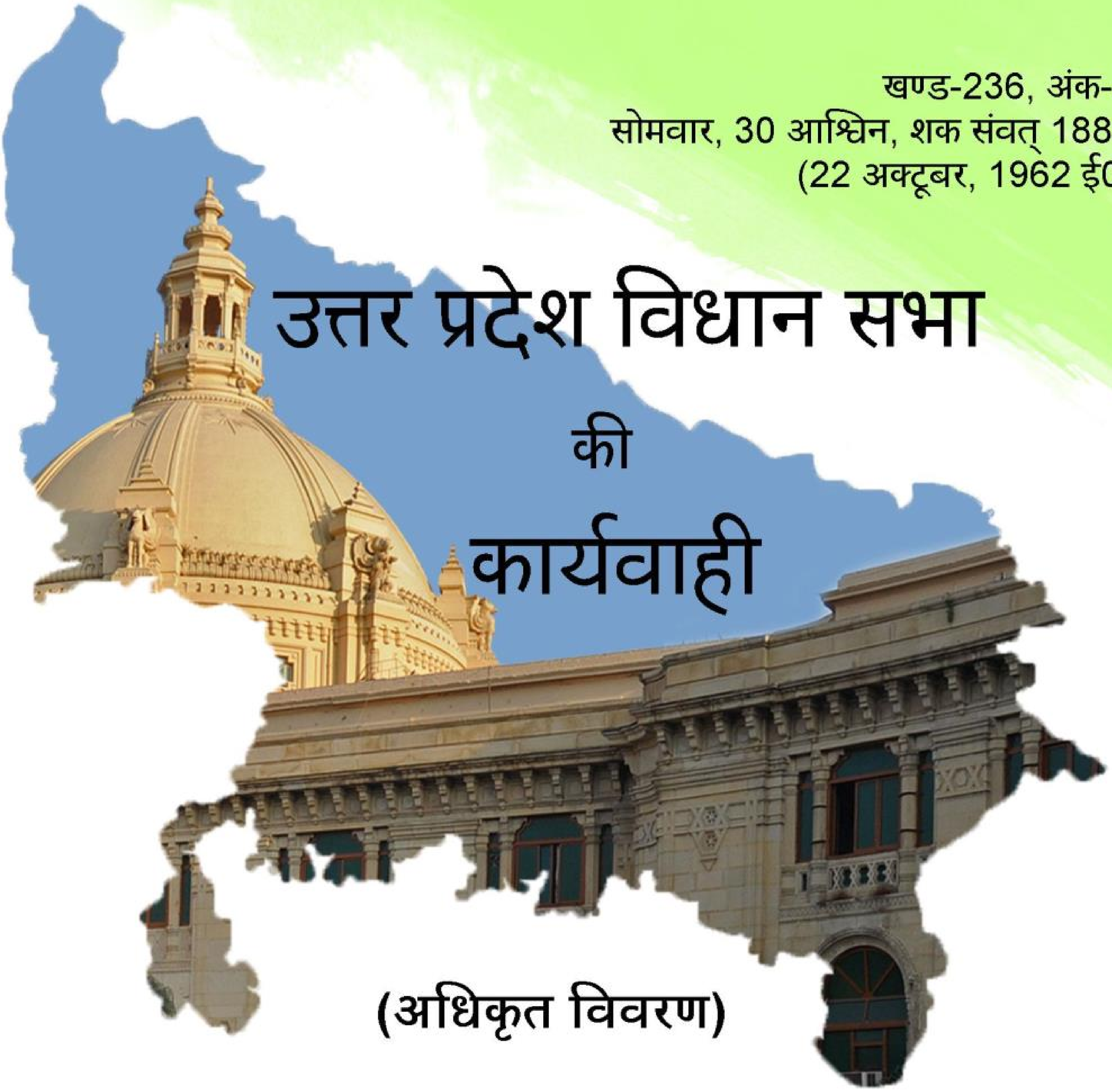

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 236 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४१३–४१७
प्रश्नोत्तर	४१७–४३२
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	४३२–४३३
सूचना मंत्री द्वारा कैबिनेट के एक निर्णय को सदन के समक्ष चर्चा करने के अभिसूचित विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (अनुज्ञा नहीं दी गयी)	४३३–४३४
श्री बाबू लाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४३४–४३५
गोरखपुर में गोलीकांड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	४३५–४४७
बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा नदी के कटाव से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४४७–४५०
नियम ११३ के अन्तर्गत नेफा सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपालसिंह की प्रार्थना	४५०
लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट तथा राज्य मद्य निषेध बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम	४५०
श्री चन्द्रजीत यादव की तृतीय पंचवर्षीय योजना में मंत्रिपरिषद् द्वारा तथाकथित कटौती के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	४५१–४५२
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४५२
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	४५२–४५३
श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा प्राप्त हुई)	४५३–४५६
श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव (प्रस्तुत करने के लिये सदन की अनुज्ञा प्राप्त हुई)	४५६
गोरखपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ की सूचनाओं पर निर्णय	४५६–४६५
कर-वृद्धि विरोधी सत्याग्रहियों पर लखनऊ जिला तथा आदर्श जेल में कथित अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के कारण की गयी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	४६५

विषय	पृष्ठ संख्या
गोरखपुर में गोलीकांड के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ की सूचनाओं पर निर्णय के संबंध में जानकारी ..	४६५–४६७
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी	४६८–४७०
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (जारी)	४७०–४८९
अन्य अभिसूचित प्रस्तावों पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ..	४८९–४९१
उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ (जारी)	४९१–४९८
नत्थियां	४९९–५०२

विधान सभा गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ अक्तूबर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री

गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वाला प्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री

नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री

यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियायत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री

शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह विसेन, श्री
हतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २२ अक्तूबर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

कानपुर की गंग नहर

*१—श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर शहर के बीच से जो नहर गंग, गन्दी हालत में बहती है उसे रमणीक और स्वच्छ बनाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री राम सुन्दरपांडेय (जिला आजमगढ़)—प्रश्न में जो गन्दगी फैलाने की बात है तो क्या यह सही है कि इस नहर गंग में इस गंदगी के फैलने के कारण आबोहवा दूषित होती है और यह आवश्यक है कि इस गंदगी को दूर किया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वहां ऐसी कोई गंदगी नहीं है जिसकी वजह से बदबू आती हो अथवा बीमारी फैलती हो। उसको सुन्दर बनाने की बात है। साधारण सफाई तो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से होती ही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—रमणीक शब्द के साथ स्वच्छ शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है जिसके मतलब सफ़ाई से भी हैं और जिस-जिस बस्ती से गंग नहर जाती है वहां बहुत गन्दगी है और टी० बी० के मरीज दिखाई पड़ते हैं और यह जांच हुई है कि कानपुर नगर में संसार में सब से ज्यादा टी० बी० के इंसिडेंस है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने भी कभी-कभी इस नहर को देखा है। इसकी गंदगी वास्तव में इसलिये है कि वहां पर बहुत से लोग खोमचा लगाते हैं अथवा इस तरह की चीज लगाते हैं जिससे वहां भीड़ बहुत रहती है। इस वजह से वहां गंदगी बहुत रहती है ? वैसे कैनाल के अन्दर कोई बड़ी भारी गंदगी नहीं है। यह वांछनीय अवश्य है कि उसे और सुन्दर बनाया जाय तो कानपुर नगर अच्छा हो जायगा। लेकिन इतनी घनी बस्ती है कानपुर में कि वहां से लोगों को आसानी से रिप्लेस करना संभव नहीं मालूम होता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—खोमचा जहां पर लगता है वहां पर नहर काफी ऊंची है और नहर के दोनों किनारों पर पटरी बहुत चौड़ी है और खोमचे मेरे ख्याल में १०, ११ फुट ऊंचे स्थान पर लगते हैं तो मेरे खयाल से क्या यह सही है कि खोमचे की वजह से गंदगी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि जो गन्दगी वहां मालूम होती है वह इस वजह से कि कुछ भीड़ वहां ज्यादा है और खोमचे लगा करते हैं और दोने पड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि बाहर की गन्दगी ज्यादा एफ़ेक्ट करती है, उस नहर में इतनी गन्दगी नहीं है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे कि नहर के किनारे दोनों तरफ़ पटरियों का बहुत से लोग बेजा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग, धोबी वगैरह कपड़े धोते हैं, बहुत से जाकर टट्टी-पेशाब करते हैं जिसके कारण दोनों किनारे गन्दगी से भरे हुये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच नहीं, अगर माननीय सदस्य को इसका इल्म है तो वे लिख कर दे दें। यह तो एक साधारण बात है कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जहां-तहां कोई पेशाब टट्टी न करे।

एक बात और है कि प्रश्न वास्तव में जो बहन सुशीला जी ने किया वह उसको सुन्दर और रमणीक बनाने के बारे में है, जो उसमें पानी बहता है वह कोई गन्दा नहीं है ऐसा मेरा खयाल है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बता सकेंगे कि सरकार को उस नहर की पटरी की या नहर को रमणीक बनाने में क्या आपत्ति है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कोई आपत्ति नहीं है। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, बल्कि हम मदद करने के लिये तैयार हैं अगर नगर महापालिका इसमें कुछ कदम बढ़ाये।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मंत्री जी ने कहा कि बहुत रमणीक और स्वच्छ है यह नहर, नहर में कोई गन्दगी नहीं है। तो इस नहर की खूबसूरती मंत्री जी ने दिन में देखी थी या रात में?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—उन्होंने फरमाया कि वहां की सफ़ाई इसलिये रुकी है कि वहां खोमचे वगैरह लगे रहते हैं। इसके बारे में मैं फिर सवाल करूंगा, लेकिन यह वाज़े कर देना चाहता हूं कि वहां पर जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं वे लोगों को किराये पर या वैसे ही नज़ूल की ज़मीन पर बसाये हुये हैं और इंस्पेक्टर लोग खुद पैसा वसूल करते हैं और कारपोरेशन को वह पैसा नहीं मिलता है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसा इन्तज़ाम करेंगे कि सैनिटरी और नज़ूल इंस्पेक्टर्स को ऐसी हिदायत हो जाय कि वे नहर की पटरी के साथ-साथ नज़ूल की जमीन पर किसी को भी खोमचा या दुकान लगाने की इजाज़त न दें?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इतनी चीज़ें मिला दीं उन्होंने कि मैं बहुत कुछ समझ नहीं सका। जहां तक उसको रमणीक बनाने का सवाल है, मैंने यह कभी नहीं कहा कि वह रमणीक है, लेकिन अगर रमणीक बनाने के लिये हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वह सरकार देने के लिये तैयार है। बाकी यह प्रश्न एसेन्शली नगरपालिका का है। बहन सुशीला जी वहां की नगर महापालिका की सदस्या हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें सरकार के देखने की नहीं हैं, यह कारपोरेशन का काम है। अगर कारपोरेशन उनकी बात न सुने तब हमारे पास आयें तो हम से जो हो सकेगा वह करेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—महापालिका की सदस्या होने के नाते तो मैंने ढाई साल प्रयत्न किया और जब वहां से यह चीज नहीं चालू हुई तो यह चीज मुझे सरकार के सामने लाने की आवश्यकता हुई।

श्री अध्यक्ष—जब आप वहां कुछ नहीं कर सकीं तो सरकार क्या करेगी?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—क्या सरकार इस नहर के प्रश्न पर इस तरह से विचार करने की कृपा करेगी कि इस नहर को दूसरी जगह डाइवर्ट करके निकाले और यह सारी जमीन मकान बनाने के लिये बेच दी जाय।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या स्वशासन मंत्री जी सुशीला बहिन जी की मांग पर स्वयं जाकर श्रमदान करने या कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—नहीं, प्लीज।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, दक्षिणी भारत में बड़े-बड़े शहरों में जहां कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां जगह-जगह पर पब्लिक लैटरिन्स हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरों में नहीं हैं तो साधारणतया उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में और खासतौर से कानपुर में जहां कि कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां पर पब्लिक लैटरिन्स जगह जगह पर हों और उनमें सफाई की व्यवस्था हो इसके लिये मंत्री जी एक सरक्यूलर जारी करने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, माननीय सदस्य को बहुत जानकारी नहीं है। ऐसा शायद ही कोई शहर हो जहां पर पब्लिक लैटरिन्स न हों। अगर यह कहा जाता है कि कम हैं, या सफ़ाई नहीं रखी जाती है तब तो बात सही हो सकती थी, लेकिन यह ग़लत है।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि नहर के किनारे पब्लिक लैटरिन्स हैं या नहीं? यदि नहीं, तो क्या कारपोरेशन बनाने की कृपा करेगी?

श्री अध्यक्ष---यह बहुत डिटेल का प्रश्न है।

श्री एस० जी० दत्त---श्रीमन्, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिला। जो सड़कों के ऊपर नहर के पास नजूल की जमीन है जिसको नजूल इंस्पेक्टर दे देते हैं और खुद पैसा ले लेते हैं उसका मंत्री जी क्या इंतजाम करना चाहते हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लूंगा और हिदायत कर दूंगा कि ऐसा नहीं होगा।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---[१५वें बुधवार के लिये प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२-४---श्री कृष्णा (जिला देवरिया)---[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*५---श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*६---श्री कमलासिंह यादव---[हटा दिया गया।]

झांसी जेल में गंगाराम का अनशन

*७---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि झांसी जेल का कोई कैदी अगस्त या सितम्बर, सन् १९६२ से भूख हड़ताल कर रहा है? यदि हां, तो क्या कारण है व उसकी दशा कैसी है?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---जी हां, गंगाराम नामक एक कैदी दिनांक ३० जुलाई, १९६२ से भूख हड़ताल कर रहा है। वह रेलवे में नौकर था और दिनांक २१ जुलाई, १९६१ को भारतीय दंड विधान की धारा ४२० के अन्तर्गत दण्डित किया गया। उसकी अपील भी खारिज हो गई है। उसका कहना है कि पुलिस ने उसके विरुद्ध झूठा केस चलाया, उसके मामले में अदालत ने गलत सजा दी और अपील में भी उसके प्रति न्याय नहीं हुआ है। अतएव जब तक उसके मामले में न्याय नहीं होगा वह खाना नहीं खायेगा। दिनांक ७ सितम्बर, १९६२ से वह जिला अस्पताल में रखा गया है जहां उसे नली द्वारा जबरदस्ती दूध आदि पिलाया जा रहा है, किन्तु उसकी दशा कमजोर होती जा रही है और वजन भी कम हो रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसकी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिये उसने कोई प्रयत्न किया? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री हरगोविन्दसिंह---जितना संभव था सब किया। माननीय सदस्य भी उससे मिले थे शायद और उन्होंने भी कोशिश की कि वह भूख-हड़ताल तोड़ दे, मगर उसने नहीं तोड़ी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---नली से दूध पिलाने के बावजूद भी उसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है, तो सरकार उसकी जान बचाने के लिये क्या कर रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह---बतला दिया गया है कि उसे सदर अस्पताल में रखा गया है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उसकी अपील फिर से दायर करावे और उसका अनशन तुड़वावे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---अपील कई बार दायर नहीं हुआ करती है । उसका रिवीजन दाखिल कराया गया मगर वह भी खारिज हो गया ।

श्री लखपतराम शर्मा---इस कैदी की सजा कितने दिन की है, कितने दिन हो चुके हैं और उसकी जिन्दगी बचाने के लिये क्या सरकार उसे छोड़ने पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह सब जवाब में बतला दिया गया है ?

श्री लखपतराम शर्मा---उसकी जिन्दगी बचाने के लिये क्या सरकार उसे छोड़ने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---नहीं । चूंकि भूख-हड़ताल की है, उसके ऊपर दफा ५२ का मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---बजाय इसके कि उसे रिहाई या प्रोबेशन पर छोड़ती सरकार उसके ऊपर नियम ५२ का मुकदमा क्यों चला रही है ?

श्री अध्यक्ष---जेल का कोई नियम भंग करने पर नियम ५२ का मुकदमा चल जाता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह---सरकार तो सक्षम है, वह उस मुकदमे की सैंक्शन दे या न दे ।

श्री हरगोविन्दसिंह---जेल में कोई भूख-हड़ताल नहीं कर सकता । उसने की, इसलिये मुकदमा चल रहा है ।

*८---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---[१८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर

*९---श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांत में कितने डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक लगातार एक ही स्थान पर कार्य करते चले आ रहे हैं और इस व्यवस्था के कारण क्या हैं ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---केवल ३ ऐसे डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर हैं और शासन व्यवस्था की दृष्टि से स्थानांतरित नहीं किये गये ।

*१०-११---श्री दयाराम शाक्य (अनुपस्थित)---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२---श्री ब्रह्मदत्त मायर---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

करनैलगंज नगरपालिका में मेहतरों को वेतन न मिलना

*१३---श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोंडा जिले के अन्तर्गत करनैलगंज नगरपालिका का १९६२-६३ का वार्षिक आय-व्ययक अभी तक नगरपालिका द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है ?

नोट :---तारांकित प्रश्न ९ श्री हिम्मतसिंह द्वारा पूछा गया ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*१४—श्री गिरजाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त नगरपालिका ने चार मास से मेहतरों का वेतन नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल पिछले मास (सितम्बर, १९६२) का वेतन बकाया है, जिसका कारण पालिका की खराब वित्तीय दशा है ।

श्री गिरजाप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कौन से कारण हैं जिनसे नगरपालिका का आय-व्ययक पास नहीं हो सका है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनका बजट १९६२-६३ का १५ जून और १४ जून की मीटिंगों में आ चुका है लेकिन उस पर स्वीकृति नहीं हो सकी आपस में । वह फिर आयेगा और उसके ऊपर स्वीकृति हो जायगी ।

श्री गिरजाप्रसाद—फिर बोर्ड का शासन कैसे चल रहा है ? क्या चेयरमैन के मनमाने तरीके से काम करने से ऐसा हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर मनमाने ढंग से चल रहा है तो उसे नो-कानफिडेंस लाकर हटा दें, ताकि काम अच्छी तरह से चल सके ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—यह देखते हुए कि मेहतरों को पिछले महीने भी तनख्वाह नहीं दी गई और यह महीना भी खत्म हो रहा है, क्या सरकार उस नगरपालिका को विशेष अनुदान देने पर विचार करेगी ताकि वेतन समय पर मिल जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सरकार के लिये हमेशा संभव नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—इस बात को देखते हुए कि नगरपालिका में बिना प्रस्ताव पास किये हुए चेयरमैन मनमाने ढंग से नगरपालिका की विभिन्न मदों पर खर्चा कर रहे हैं और अब ४ महीने तक लोगों की तनख्वाह भी नहीं दी गई, तो क्या माननीय मंत्री जी बोर्ड को सुपरसीड करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—बोर्ड की मीटिंग बजट के लिये कब तक होने जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन्डैटेड बोर्डस के लिये तो १५ फरवरी तक पास कर लेना चाहिये । बाकी, ३१ मार्च तक वह कर सकते हैं । हम इसमें कोई ज्यादा बाधक नहीं हो सकते ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—नगरपालिका का बजट स्वीकृत नहीं हुआ है, फिर भी किस नियम के अन्तर्गत बिलों का भुगतान हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसेंशल सर्विसेज के लिये तो पेमेंट मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है । उसे रोका नहीं जा सकता है ।

*१५-१७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस्ती नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*१८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से ३१ अगस्त, १९६२ की अवधि में उन्हें बस्ती नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई निवेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां ।

*१९—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करते हुए स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस निवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उसकी एक प्रति संलग्न है । उसमें की गई शिकायतों पर जिलाधीश से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् पाया गया कि वे सब निर्मूल हैं अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९९-५०० पर)

*२०-२१—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२२—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२५—श्री रामचरण शाह (जिला लखीमपुर-खीरी)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२६—श्री ऊदल—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*२७—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें १ अगस्त, १९६१ को गोरखपुर नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध कानून और नगरपालिका के उपनियमों के विरुद्ध कार्य करने के संबंध में शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या थीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां । उसकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न तालिका में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०१ पर)

*२८—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायती-पत्र में एक आरोप यह भी था कि अध्यक्ष ने नगरपालिका के बहुत से कर्मचारियों और इक्जीक्यूटिव अफसर को इसलिये मुअत्तल किया कि उनसे वह गलत और नियम विरुद्ध कार्यों पर पर्दा डलवाना चाहते थे ?

नोट :—तारांकित प्रश्न २७-२९ श्री ऊदल ने पूछे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक इक्जीक्यूटिव अफसर का संबंध है शिकायती पत्र में ऐसा आरोप है । अन्य कर्मचारियों के विषय में यह आरोप है कि वे अध्यक्ष या उनके पक्ष के सदस्यों की नाराजगी के कारण मुअत्तल किये गये ।

*२९—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायतों के संबंध में अब तक सरकार ने अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कदम उठाये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस शिकायती पत्र पर जिलाधीश की आख्या नहीं मंगवाई गई, क्योंकि इसकी कुछ शिकायतें सामान्य प्रकृति की थीं तथा कुछ शिकायतें पहले ही प्राप्त शिकायतों से मिलती जुलती थीं जिन पर जिलाधीश से आख्या मांगी जा चुकी थी । यह आख्या अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ऊदल—क्या सरकार के पास सूचना है कि सरकार के आदेशानुसार उस एक्जीक्यूटिव आफिसर को एक दिन के लिये या कुछ घंटों के लिये तैनात किया गया और कुछ घंटों के बाद अध्यक्ष ने उसे फिर मुअत्तल कर दिया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, इस केस में मुझे इत्तला मालूम हुई थी ।

श्री ऊदल—इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, उनको हिदायत की गई है कि सरकार के आदेश का वे पालन करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, गोरखपुर नगरपालिका में एक लाख रुपये का गबन था और कुछ अधिकारी, विशेष रूप से एक्जीक्यूटिव आफिसर उसमें शामिल पाये गये थे और उसके खिलाफ अध्यक्ष ने कार्यवाही की थी । क्या मंत्री जी इसको देखते हुए कि बोर्ड उसको नहीं चाहता है और सरकार एक्जीक्यूटिव आफिसर के पद का प्रांतीयकरण करना चाहती है तो प्रांतीयकरण करने के बाद इसको दूसरी जगह हटाने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, एक एग्जिक्यूटिव आफिसर को बोर्ड नहीं चाहता है, इसलिये प्रांतीयकरण कर दिया जाय, यह तो कोई बात बनी नहीं । प्रांतीयकरण के लिये ला लाना पड़ेगा । बाकी जहां तक एक आदमी का ताल्लुक है, अगर उसमें दोष है, उसको बोर्ड नहीं चाहता है तो हटा सकता है, लेकिन प्रापर तरीके से । अगर गलत तरीके से करेंगे तो सरकार लाचार हो जाती है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—इस बात को देखते हुए कि उक्त आफिसर के खिलाफ बहुत सी शिकायतें चली आ रही हैं, उन शिकायतों के रहते हुए बोर्ड ने यह फैसला किया है और वह उनको हटाना चाहता है, इस बात को देखते हुए क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर नियमों में अनियमितताएं हुई हैं तो भी पुनः उक्त अफसर को वहां से हटाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कहते हैं कि बोर्ड अगर कायदे से हटा दे तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है । सरकार कैसे हटा दे ?

श्री कल्पनार्थसिंह—अपनी समझ से तो उन्होंने कायदे से ही हटाया । अब मंत्री जी बता दें कि किस कायदे से हटायें तो वह माना जायगा ?

श्री अध्यक्ष—वह बोर्ड पूछ लेगा ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रहे हैं या कर लिया है कि नगरपालिका, गोरखपुर को सुपरसीड कर दिया जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सुपरसीड करने के लिये काफी मसाला इकट्ठा करना पड़ता है । उसका एक प्रासेस है । अगर शिकायतें आयी हैं तो हम उनके ऊपर विचार कर सकते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या इस बात को देखते हुए कि जब एक लाख रुपये के गबन का आडिट रिपोर्ट में मामला था, तो हम लोग स्वयं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से मिले थे और उनको गोरखपुर नगरपालिका के बारे में समस्त स्थिति का आभास करवाया था कि इस एग्जिक्यूटिव आफिसर की वजह से नगरपालिका के अन्दर सदस्यों में आपस में गिरोहबन्दी है और नगरपालिका का कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है । क्या इस बात को देखते हुए माननीय स्वायत्त शासन मंत्री कोई विशेष प्रबंध करने की कृपा करेंगे जिससे नियमित रूप से नगरपालिका का काम चल सके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने कहा कि हम कायदे के हिसाब से चल सकते हैं । अगर सुपरसीड करने की बात हो तो उसकी शिकायतें आयें, उनको हम एग्जामिन करें । उसमें भी समय लगेगा । हटाना चाहते हैं तो प्रापरली हटा दें । हमें न कोई दिलचस्पी है और न हमदर्दी है । हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कायदे से हटा दें ।

डोमा खण्ड ब्लाक में शिकार

*३०—**श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गत मई मास में कुछ सरकारी अधिकारियों ने गैर-सरकारी अधिकारियों के साथ डोमा खंड ब्लाक, जिला गोरखपुर में जाकर बिना परमिट के कुछ शेर मार लिये थे ? क्या इसी कारण जंगल विभाग ने गोरखपुर में बिग गेम शूटिंग बन्द कर दिया है ?

वन मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—जी नहीं ।

श्री मुन्नूसिंह—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सवाल के पहले हिस्से का जवाब "जी नहीं" है या दूसरे हिस्से का या दोनों का ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—पहले हिस्से का जवाब तो "जी नहीं" दिया गया है वह इसी सेंस में कि माननीय सदस्य ने कहा है कि मई महीने में दो शेर मारे गये । वास्तव में वे शेर मई में नहीं, बल्कि फरवरी-मार्च में मारे गये । माननीय सदस्य का कहना है कि चूंकि यह शूटिंग मई में हुई इसलिये जंगल विभाग ने गोरखपुर में शूटिंग बंद कर दी है, तो इस बन्द करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री मुन्नूसिंह—श्रीमन्, अभी माननीय मन्त्री जी न बतलाया है कि ये शेर फरवरी में मारे गये और फिर बतलाते हैं कि चूंकि यह शिकार हुआ मई में इसलिये बन्द कर दिया गया है, तो दोनों में कौन सत्य माना जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—मैंने यह नहीं बतलाया कि चूंकि मई में शूटिंग हुई इसलिये इसे बन्द किया गया । मैंने यह कहा कि माननीय सदस्य जो यह कहते हैं कि चूंकि शूटिंग हुई इसलिये इसे बन्द कर दिया गया, यह गलत है । जंगल में शूटिंग करने के लिए कितनी बातें देखनी होती हैं, तो शूटिंग बन्द करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री ऊदल—क्या यह बात सही है कि अधिकारियों ने बिना कोई परमिशन हासिल किये हुए जंगल में जाकर इस साल बहुत से शेरों को मारा है, जिसकी शिकायत प्रान्तीय सरकार को और केन्द्रीय सरकार को भी की गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह जनरल सवाल पूछ रहे हैं, मूल सवाल तो सिर्फ गोरखपुर डिवीजन के बारे में पूछा गया है। जहां तक जनरल का सवाल है, यह सही है कि इस प्रकार की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं और उन पर प्रान्तीय सरकार ऐक्शन लेती है और लेगी।

श्री ऊदल—जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि गोरखपुर डिवीजन में शूटिंग बन्द कर दी गयी है, तो क्या वे इस प्रदेश के सारे जंगलों में इस प्रकार की व्यवस्था लागू करेंगे ताकि कोई भी अधिकारी या बाहरी व्यक्ति इस प्रकार के जंगली जानवरों को न मार सके?

श्री हरीदत्त कांडपाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इस ख्याल से बन्द किया जाता है कि जिस जंगल में देखा जाता है कि जानवरों की स्पेसीज कम हो रही हैं तो वहां इस तरह की रोक लगायी जाती है। कुछ ऐसी सैंक्चुअरीज हैं भी और शूटिंग के लिये कुछ इलाके खोले जाने की मांग भी की जाती है, तो उस हिसाब से सब हिसाब-किताब लगा कर देखना पड़ता है कि कहां शूटिंग की इजाजत दी जानी चाहिये। इसके लिये तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है।

श्री मैनेजरसिंह—माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि बिग गेम शूटिंग के लिये कोई क्षेत्र निश्चित किया जाता है और उसके लिये पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों ने बिना परमिशन के शेरों को मारा है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—अध्यक्ष महोदय, बिना परमिशन के शेर मारने की सूचना तो मेरे पास है नहीं। यह सूचना है कि दो शेर फरवरी-मार्च में मारे गये, एक को तो वन अधिकारी ने मारा और दूसरे को कमिश्नर ने या उनके किसी दोस्त ने मारा। इन शेरों की बाबत यह भी शिकायत थी कि ये कैटिल लिफ्टर हो गये थे, इसलिये इनको मारा गया।

श्री रामायणराय—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में पंडित जवाहरलाल जी ने माननीय वन मन्त्री जी को कोई खत लिखा है या कोई सुझाव भेजा है? यदि हां, तो उसके मुताबिक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—इसी आशय का एक सवाल यहां कुछ दिन पहले किया गया था जिसका जवाब दिया जा चुका है। पंडित जवाहरलाल जी की इच्छानुसार एग्रीकल्चर मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक सरक्यूलर आया था जिसे पिछली दफा भी बताया जा चुका है।

श्री मैनेजरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि फरवरी-मार्च में शेर के मारे जाने के पहले यह आदेश आया था या शूटिंग बन्द करने के बाद यह आदेश हुआ? साथ ही यह भी बतला दें कि क्या इस बात की जांच करायी गयी कि वे शेर बिना परमिशन के मारे गये? यदि हां, तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जंगल के शूटिंग के बन्द करने का आदेश हुआ है यह ठीक है, लेकिन इस शूटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यह चर्चा तो पहले से चल रही थी कि जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं लिहाजा उस की जांच पड़ताल हो रही थी और उस के फलस्वरूप जनवरी में यह फाइनेलाइज हो गया कि वहां शिकार बन्द किया जाय और परमिट बिना मारने की जो बात है वह यह है कि यह शेर केटिल लिफ्टर हो गया था ऐसा कहा गया है। ऐसी सूरत में जब शेर आदमखोर हो जाय तो वन अधिकारियों के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि वह परमिट ईश्यू करें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह शेर कैटिल लिफ्टर हो गया था, लेकिन यह सर्वमान सिद्धांत है कि शेर कैटिल लिफ्टर या मैन-ईटर तभी होता है जब वह अपना प्राकृतिक भोजन पाने में असमर्थ हो जाता है, या उसके कोई घाव लगा हो और वह दौड़ न सकता हो कोंचिंग के कारण ऐसा होता है। तो क्या मन्त्री जी ने इन सब बातों की जानकारी कराई है कि वह कैटिल-लिफ्टर क्यों हुआ, वह बुड्ढा हो गया था, कोंचिंग के कारण ऐसा हुआ या कोई प्राकृतिक दोष हो गया था? या उन्होंने यह वैसे ही कह दिया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह बुड्ढा हो गया था, उसके दांत नहीं रह गये थे।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या मन्त्री जी ने उसके दांत देखे थे या उन पर हाथ फेरा था?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यही मुख्य कारण होता है कैटिल-लिफ्टर और मैन-ईटर होने का।

श्री रामायणराय---मन्त्री जी किस सूचना के आधार पर कह रहे हैं कि वह मैन-ईटर हो गया? यह सूचना उन को अधिकारियों ने दी या नागरिकों की ओर से कोई सूचना उन को मिली?

श्री हरीदत्त कांडपाल---विभाग ने जो सूचना भेजी है उसके अनुसार यह शेर कैटिल लिफ्टर हो गया था, इसके अलावा किसी गैर-सरकारी क्षेत्र से इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना नहीं आई।

श्री मुन्नूसिंह---श्रीमन्, जो कोई शेर कैटिल-लिफ्टर या मैन-ईटर हो जाता है तो उस की मुश्तहरी होती है ३ मास पहले और उसके परमिट मारने के लिये मांगे जाते हैं, तो क्या इसकी कोई मुश्तहरी हुई थी और क्या यह मुमकिन है कि एक साथ एक ही ब्लाक में २ शेर कैटिल लिफ्टर हो गये?

श्री अध्यक्ष---आप बता दें कि क्या कोई नोटिफिकेशन इस तरह का किया गया था, यदि उसका कायदा है तो।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं है नोटिफिकेशन के बारे में या ऐसी कोई शिकायत आई थी कि शेर कैटिल लिफ्टर हो गये हैं, लेकिन चूंकि विभागीय अधिकारियों ने बताया है इसलिये इसकी सूचना उनके पास होगी कि वह कैटिल-लिफ्टर हो गये थे।

श्री मुन्नूसिंह---यदि कोई ऐसी सूचना नहीं है तो क्या वह कोई विशेष जानकारी इसकी करायेंगे कि वह कैटिल-लिफ्टर हो गये थे तो इसकी कोई मुश्तहरी हुई थी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---अगर माननीय सदस्य लिखित नोट भेज देंगे तो इसकी जानकारी करा ली जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या मन्त्री जी को सूचना है कि डामा खान जंगल रिजर्व फारेस्ट है और वहां शेर मारने के लिये परमिट की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई परमिट प्राप्त नहीं किया गया सरकार का कहना है कि फरवरी मार्च से परमिट वहां लागू है तो जब वह रिजर्व फारेस्ट इतने दिनों से है कि कोई शिकार वहां नहीं हो सकता है तो फरवरी-मार्च के बाद परमिट इश्यू जो किये गये हैं वह कसे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह नियम है कि जब कि जंगल के अधिकारियों को यह पता लग जाय कि कोई शेर कैटिल-लिफ्टर हो गया है तो वह बगैर नोटिफिकेशन के भी कर लेते हैं और बाज मर्तबा अगर शिकारी नहीं होते तो स्वयं भी मारने की कोशिश करते हैं तो जब वह असमर्थ रहते हैं तो नोटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है चाहे सरकारी जंगल हो, रिजर्व हो या अनरिजर्व हो ।

*३१-३३---**श्री नियामतुल्ला अन्सारी** (जिला गोरखपुर)---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३४-३६---**श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३७-३८---**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९-४०---**श्री ऊदल**---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

सुल्तानपुर जिला जेल में बिजली न होना

*४१---**श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिला जेल को बिजली देने की कोई शीघ्र व्यवस्था सरकार करने जा रही है जबकि सुल्तानपुर जिला जेल में प्रदेश भर के टी० बी० के मरीज कैदी रहते हैं ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)---अभी नहीं ।

*४२---**श्री बैजनाथसिंह वैद्य** (अनुपस्थित)---कुछ दिन हुए एक बार जेल में वाइरिंग इत्यादि का प्रबन्ध हो गया था, परन्तु वह अभी तक उसी अवस्था में पड़े हुए हैं ? क्या सरकार उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए सुल्तानपुर जिला जेल को बिजली देने की शीघ्रातिशीघ्र कृपा करेगी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं हुआ था । इस काम के होने में अभी देर लगेगी ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जेल में टी० बी० के कितने मरीज हैं और उनकी चिकित्सा में बिजली की जरूरत है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---श्रीमन्, कितने मरीज हैं, यह तो सूचना मेरे पास नहीं है, किन्तु वहां बिजली लगाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में १९६१ में एक सुझाव आया था, वह शासन के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय कारागार मन्त्री बतायेंगे कि जो योजना उनके विचाराधीन है उसका निर्णय कब तक कर पायेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---सम्भवतः १९६३-६४ में यह निर्णय हो जायगा ।

श्री श्यामलाल---क्या माननीय कारागार मन्त्री जी को ज्ञात है कि सुल्तानपुर जेल में सड़ा-गला खाना प्रिजिनर्स को दिया जाता है जिससे वह मर्ज के शिकार हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---अब ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है, अगर उनका कोई एक्सपीरियेंस हो तो मैं नहीं कह सकता ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या माननीय जेल मन्त्री इस बात को देखते हुए कि जैसा माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में कहा है कि सुल्तानपुर जेल में टी० बी० के कैदियों की संख्या अधिक है, उनकी सुचारु रूप से दवा नहीं होती, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उनको अन्य स्थानों पर जहां टी० बी० के लिये अच्छी आबहवा मिल सके वहां पर भेजा जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सुल्तानपुर जेल में टी० बी० का कंसेंट्रेशन इसलिये किया जाता है कि अगर कहीं कोई कैदी किसी जेल में टी० बी० का मरीज हो गया तो उसको सुल्तानपुर भेज दिया गया, क्योंकि वहीं उसकी व्यवस्था है और इसलिये वहां टी० बी० के मरीजों की संख्या ज्यादा है, इसलिये नहीं कि सुल्तानपुर जेल में टी० बी० लोगों को ज्यादा होती है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि सुल्तानपुर जेल में जहां की जलवायु की वजह से और जगहों से भी टी० बी० के मरीज भेजते हैं तो उनके खाने-पीने की सुविधाओं का भी जोकि एक टी० बी० के मरीज को मिलनी चाहिये, उसका सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---हां, जरूर होता होगा। वहां जब टी० बी० के मरीज रखे जाते हैं तो जरूर होता होगा।

श्री मैनेजरसिंह---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सुल्तानपुर जेल में टी० बी० के मरीज और जगहों से लाकर रखे जाते हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टी० बी० के मरीजों के रखरखाव के लिये कौन-सा विशेष प्रबन्ध सुल्तानपुर जेल में किया गया है, कौन-सी विशेष व्यवस्था टी० बी० के मरीजों के लिये की गई है जिसके कारण टी० बी० के मरीज वहां भेजे जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैनेजरसिंह जी, यह सवाल आप अलग से पूछिए। (मन्त्री जी से) अगर आप जानते हों डीटेल्स, तो बता दीजिए, वर्ना उनको अलग से सूचना देनी चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह---मन्त्री जी ने कहा कि वहां टी० बी० के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं है और दूसरे उत्तर में कहा कि टी० बी० के मरीज वहां भेजे जाते हैं तो कौन-सी विशेष व्यवस्था है जिसके कारण टी० बी० के मरीज वहां भेजे जाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन्, यह सवाल तो बिजली के सम्बन्ध में था, टी० बी० के सम्बन्ध में तो मेरे पास यह सूचना नहीं है, लेकिन वहां टी० बी० का अस्पताल जब बनाया गया है जेल में तो सब चीजों को देखकर ही बनाया गया होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि जिन कैदियों को जेल में टी० बी० हो जाती है, उनको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उन कैदियों को जेल ही में क्यों टी० बी० होती है ?

श्री अध्यक्ष---जिन कैदियों को टी० बी० हो जाती है, उनको भेज दिया जाता है। जेल में टी० बी० हो जाती है, यह तो सवाल नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---क्या सुल्तानपुर जेल में जो टी० बी० के मरीज तमाम प्रदेश से आते हैं, उनके लिये वहां क्या कोई सैनीटोरियम बना दिया गया है या ऐसी कोई विशेष जलवायु वहां की है जिससे उनकी सेहत वहां दुरुस्त हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष---यह अलग से पूछ लीजियेगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वहां खाने की व्यवस्था होगी, तो क्या मेरी इस बात को सूचना मानकर के इसकी जांच करायेंगे कि वहां टी० बी० के मरीजों को जो खाने की व्यवस्था होनी चाहिये उसके अनुसार वहां खाना नहीं दिया जाता है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—श्रीमन्, यह जो सुल्तानपुर जेल है जिसमें सारे प्रदेश के टी० बी० के रोगी जाते हैं उनके लिये वहां अस्पताल है और जिस प्रकार की चिकित्सा और खाने की व्यवस्था रोगियों के लिये होनी चाहिये, उसका सब प्रबन्ध है। अभी तक सरकार के पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी। यदि किसी माननीय सदस्य को नोटिस में कोई शिकायत की बात है तो वह लिखकर के भेजें, उसकी जानकारी प्राप्त की जायगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या जेल में ऐसी व्यवस्था है कि यह बीमारी वहां और दूसरे लोगों को न हो सके? यदि हां, तो क्या?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने बतला दिया।

श्री रामायणराय—टी० बी० के मरीजों के इलाज के लिये एक्स-रे अत्यावश्यक है और वहां बिजली की व्यवस्था है नहीं, तो वहां एक्स-रे की क्या व्यवस्था है? एक्स-रे प्लान्ट वहां है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—(मन्त्री जी से) आप जानते हों तो बतला दें। मैं समझता हूं कि इतने डिटेल के प्रश्न तो अलग से पूछे जाने चाहिये।

श्री मैनेजरसिंह—प्रश्न ४२ में स्पष्ट है कि बिजली की वायरिंग वहां हो गयी है तो क्या मन्त्री जी, वहां मरीज रह रहे हैं, इस बात को देखते हुए वहां जल्दी बिजली लगाने की व्यवस्था पर विचार करेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—वहां वायरिंग नहीं हुई। सन् १९६१ में एक सुझाव आया था महाकारागार महानिरीक्षक का और उसके लिये ५०,६९० से ऊपर का इस्टीमेट था। उस सम्बन्ध में कुछ और जानकारी प्राप्त की गयी है। वह इस वर्ष नहीं आयी। अगर आ जाती तो १९६२-६३ में वह काम पूरा किया जा सकता था। अब १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में यह कार्य पूरा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह तो बतला दिया गया है।

*४३-४४—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४५-४६—**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४७—**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८—**श्री पितईराम** (जिला रायबरेली), **श्री रतीपाल** तथा **श्री राधेश्याम शर्मा** (जिला मथुरा)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी नगरपालिका में पेय जल व्यवस्था

*४९—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अगस्त सन् १९६२ में बुन्देलखंड (झांसी) के L.S.G.D. विभाग के किसी इंजीनियर द्वारा सरकार को इस आशय की रिपोर्ट दी गई थी कि झांसी नगरपालिका द्वारा जो जल झांसी शहर को दिया जाता है वह बिना फिल्टर किया हुआ होता है तथा पानी में अनेक प्रकार के कीड़े तथा मेंढ़क तक उन्होंने चांज में पाये हैं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा---मेरी सूचना को सही मान कर क्या सरकार बतायेगी कि ९ अगस्त, १९६२ को इस बात की सूचना दी गयी है कि वहां जल बिना फिल्टर के दिया जाता है जिसमें अनेक प्रकार के कीटाणु हैं और यहां तक कि मेंढक भी उसमें हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया है उस सम्बन्ध में अगस्त, १९६२ में अभियन्ता महोदय ने जांच की और सरकार के पास उसका जवाब है "नहीं"। कीटाणुओं के विषय में एक बार जांच अप्रैल में हुई है उससे अगर उनका तात्पर्य हो तो मैं बतला सकता हूं कि उस जांच में क्या लिखा गया ?

श्री लखपतराम शर्मा---अप्रैल की रिपोर्ट बतला दें कि क्या है उसमें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उस समय की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि फिल्टर पर्याप्त मात्रा में इस वक्त उनके पास नहीं था और क्लोरिन मिलाने की जो मशीन थी वह ठीक से काम नहीं कर रही थी और दूसरी तरफ से मिलाते थे, लेकिन फिल्ट्रेशन करने पर किसी किस्म के ऐसे जन्तु नहीं पाये गये जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हों।

*५०---**श्री लखपतराम शर्मा**---[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

बस्ती नगरपालिका में हरिजनों को जल-कष्ट

१---**श्री श्यामलाल**---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री प्रश्न संख्या ६२, दिनांक १० सितम्बर, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नल अपने पूर्व स्थान से लगभग ५० फीट की दूरी पर सड़क के किनारे लगवाने के बाद पूरे हरिजन मुहल्ले पिकौरा शिवगुलाम में उन हरिजनों को शुद्ध पानी पीने की एक विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है और उनमें एक व्यापक क्षोभ व्याप्त है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---केवल ५० फीट की दूरी होने से हरिजन निवासियों को किसी प्रकार कठिनाई न होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार के पास हरिजनों की ओर से कोई शिकायत भी नहीं आई है।

२---**श्री श्यामलाल**---पानी की निकासी यदि किसी कारण रुक गयी थी, तो क्या निकासी ठीक करना और कराना नगरपालिका बस्ती के आपे के बाहर था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पूर्व स्थान पर जहां नल लगा हुआ था वह स्थान एक गड्ढे के किनारे था और चारों तरफ, जमीन का धरातल नल के धरातल से ऊंचा था और नल के पास नगरपालिका की नाली न होने के कारण पानी गड्ढे में जमा होता था जिससे आस-पास के हरिजनों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था।

३---**श्री श्यामलाल**---क्या सरकार तत्काल उक्त नल के पूर्व स्थान पर लगाने की कृपा करेगी और सैकड़ों हरिजन परिवारों के मुहल्ले में जो एक विषाक्त वातावरण पैदा हो चुका है, उसका सरकार निराकरण करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं।

गोपामऊ टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

४---**श्री परमाई**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरदोई जिले के कस्बे गोपामऊ की आबादी जब कि ६,००० से ऊपर पहुंच गई है, तो क्या कारण है कि अभी तक वह ग्राम टाउन एरिया नहीं बनाया गया ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—गोपामऊ की आबादी १९५१ की जनगणना के हिसाब से ५,१६० है। क्योंकि १९६१ के आंकड़े अभी नहीं उपलब्ध हैं और सरकार के पास टाउन एरिया सृजन करने हेतु कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है, अतः वहां पर टाउन एरिया की स्थापना नहीं की गई।

५—श्री परमाई—क्या सरकार बतायेगी कि निकट भविष्य में वह उसे टाउन एरिया बनाने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न ही नहीं उठता है।

६—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

नजीबाबाद में हरिजनों को जल-कष्ट

७—श्री श्रीराम—क्या स्वायत्त शासम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नजीबाबाद हरिजन मुहल्ला रामपुरा में बारबार जनता की ओर से ध्यान दिलाने पर भी म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों ने मुहल्ले में पाइप नहीं लगाया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हरिजन मुहल्ला रामपुरा में पाइप लाइन बिछाने की योजना नजीबाबाद जल वितरण पुनर्गठन योजना में सम्मिलित कर ली गई है जो अभी नजीबाबाद नगरपालिका के विचाराधीन है। योजना के स्वीकृत होने तथा आवश्यक धनराशि नगरपालिका से मिलने पर पाइप लाइन बिछाने का कार्य स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा सकेगा।

८-९—श्री मैनेजरसिंह—[५ नवम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में सीमेंट वितरण

१०—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में गाजियाबाद नगर में कितनी सीमेंट कितने व्यक्तियों को मरम्मत के लिये तथा नये मकानों के लिये दी गई? और इस समय नये मकानों के लिये कितनी सीमेन्ट के लिये कितने प्रार्थना-पत्र, कब से एस० डी० एम०, Town Rationing Officer के पास पड़े हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना संलग्न है और प्रार्थना-पत्र जो १९६०-६१ में प्राप्त हुए थे उनकी सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०२ पर)

११-१२—श्री लखपतराम शर्मा—[१४वें मंगलवार के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि दुर्भाग्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं वह, अतारांकित प्रश्नों की श्रेणी में चले जाते हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि आप उपाध्यक्ष महोदय तक हमारी बात पहुंचा दें। वही उनकी व्यवस्था करते हैं। तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं तो आप को स्वयं इतना सक्षम समझता हूं कि आप स्वयं उपाध्यक्ष महोदय से मिल लें और फिर अगर आप उनकी नीति से असहमत हों, तो हम और आप बात कर लें और फिर उचित परामर्श करके इस संबंध में व्यवस्था कर दी जायगी ।

सूचना मंत्री द्वारा कैबिनेट के एक निर्णय की सदन के समक्ष चर्चा करने के अभिसूचित विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो विशेषाधिकार के प्रश्नों की सूचनायें हैं। एक माननीय कल्पनाथ सिंह जी की थी, जो मैंने पिछली बार पढ़ कर सुना दी थी। उस संबंध में माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने यह आक्षेप किया है कि माननीय बनारसीदास ने कुछ गोपनीय बातों को. . . .मैं उसे पढ़ कर सुना ही देता हूं। वह इस प्रकार हैं—

"कल जब माननीय नेकराम शर्मा भाषण कर रहे थे तब उनके भाषण के बीच में स्पष्टीकरण करते हुए माननीय सूचना मंत्री ने यह कहा था कि माननीय संपूर्णानन्द की सरकार ने १०० करोड़ योजना व्यय का निश्चय किया था और उक्त निर्णय १—१—६० के कैबिनेट की बैठक का निर्णय है। इस पर माननीय रामसुन्दर पाडेय जी ने उपाध्यक्ष से यह निवेदन किया कि इस जोतकर विधेयक का संबंध उक्त निर्णय से है, अतः इससे संबंधित कागजात सदस्यों को दिये जायं। इस कथन के समर्थन में मैंने तथा कई अन्य माननीय सदस्यों ने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया। माननीय सूचना मंत्री ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा जिम्मेदारी के साथ कहा है। कैबिनेट का निश्चय मैंने बतलाया १—१—६० का जिसमें १०० करोड़ का निश्चय किया गया। मैंने कहा कि अगस्त में ५० करोड़ कहा गया। सदन की वह प्रापर्टी है। मैंने वक्तव्य जिम्मेदारी के साथ दिया है। इस पर माननीय उपनेता सदन ने, जो उस समय नेता सदन की अनुपस्थिति में सदन के नेता थे, कहा, 'कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय कागजात दाखिल करने से संबंधित जो विवाद है वह मेरी समझ में असंगत है, मेरा यह मत है, कि जो कागजात मांगे जा रहे हैं, उन पर यह बिल आधारित नहीं है। अलावा इसके जो मंत्रि परिषद् के निर्णय होते हैं, वे गोपनीय होते हैं, और रूल न० १३१ खुद कहता है, कि गोपनीय कागजात पेश नहीं किये जा सकते, इसलिये यह विवाद बिला वजह उठाया जा रहा है।'

उप नेता सदन के इस स्पष्टीकरण से यह विदित है, कि कैबिनेट का निर्णय गोपनीय है, और माननीय सूचना मंत्री जी ने सदन के समक्ष यह उपरोक्त बयान देकर गोपनीयता का उल्लंघन किया है, जिससे सदन के जहां एक ओर यह बयान गोपनीयता शपथ का उल्लंघन करता है, वहीं सदन का भी अवमान करता है।

अतः मैं विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ६४ (१) के अन्तर्गत सदन में उक्त प्रस्ताव पेश करने की माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इसको मैंने अस्वीकार किया है। माननीय कल्पनाथ सिंह की दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की विशेषाधिकार की सूचना इस आधार पर है कि माननीय नेकराम शर्मा के भाषण के दौरान में स्पष्टीकरण करते हुए माननीय सूचना मंत्री ने माननीय संपूर्णानन्द के मंत्रि-परिषद् के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद १६४ के अन्तर्गत दी हुई गोपनीयता की शपथ भंग की गई। प्रकरण को ध्यान में रखते हुए माननीय सूचना मंत्री ने स्वविवेक से अपने कर्त्तव्यों को उचित निर्वहन के लिये डा० संपूर्णानन्द मंत्रि-परिषद् के निर्णयों को व्यक्त किया। ऐसा करने

[श्री अध्यक्ष]

में, संविधान की तृतीय सूची के छठे प्रपत्र की शब्दावली का खन्डन या अतिक्रमण नहीं होता। अतः कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता, सूचना अस्वीकार की जाती है।

इस संदर्भ में इतना कह देना और आवश्यक है कि जब माननीय सूचना मंत्री ने श्री नेकराम के भाषण में हस्तक्षेप करते हुए अपना वक्तव्य दिया है तब माननीय राम सुन्दर पान्डेय व माननीय कल्पनाथ सिंह ने नियम १३१ के अन्तर्गत यह मांग उपस्थित की कि संबंधित निर्णयों के लेख-पत्र सदन के समक्ष उपस्थित किये जायें। इस पर माननीय राजस्व मंत्री ने उचित आपत्ति उठाई कि विचाराधीन विधेयक उन निर्णयों पर आधारित नहीं है जो माननीय संपूर्णानन्द मंत्रि-परिषद् ने लिया था। अतः वह लेख पत्र नहीं मांगा जा सकता। इस पर माननीय उपाध्यक्ष का निर्णय मेरे मत में ठीक है।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक दूसरा माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का है। वह माननीय बाबूलाल श्रीवास्तव के सदन के सामने गिरफ्तार किये जाने के संबंध में है। उनका कहना यह है कि माननीय सदस्य इस सदन की सेवाओं से वंचित किये गए, इस कारण से विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि माननीय बाबूलाल श्रीवास्तव क्रिमिनल ला एमेंडमेन्ट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत सदन के बाहर गिरफ्तार किये गए। फौजदारी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारियों से कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। अतः सूचना अस्वीकृत की जाती है।

***श्री टम्बेश्वरीप्रसाद** (जिला सीतापुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि सदस्य के गैर-कानूनी ढंग से बाहर गिरफ्तार होने के बाद, मैं यह नहीं कहता कि श्री बाबू लाल श्रीवास्तव ने कानून तोड़ा। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि यदि सदस्य गिरफ्तार हो जाय तो आप तो यह कहते हैं कि वह सदन के अन्दर सदस्य को आने से रोक रहे थे और वह कोई काम नहीं कर रहे थे। वह सदन के सदस्यों से आग्रह कर रहे थे कि जोतकर विधेयक का विरोध कीजिये। मेरी समझ में नहीं आता कि एक सदस्य के ऊपर उसी के अन्तर्गत तो सदन में आप पूरा विवाद करा दें और दूसरे सदस्य को बुलाकर सुनें भी नहीं कि क्यों पकड़ लिये गये हो। उन्होंने कानून तोड़ा होगा तो वह स्वीकार कर लेंगे। जब वैधानिक ढंग से इतना बड़ा विवाद चल रहा है जब कि एक सदस्य इस सदन में आपके अविश्वास के प्रति और सरकार के अविश्वास के प्रति भी वोट दे सकता है उसे बन्द कर देना और फिर कोई सुनवाई न होना। जब माननीय पूरन लाल का केस उठाया था तो आपने व्यवस्था दी थी वह इस सदन की सेवाओं से निलम्बित हैं, इसलिये उनकी गिरफ्तारी से हमारी कार्यवाही में असर नहीं पड़ता लेकिन जो निलम्बित नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी से असर पड़ता है लेकिन आपके दरबार में कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप कहें कि हजारों आदमी जेल में हैं तो मेरा निवेदन है कि उन्हें आप जेल में बुलाकर सुनें या स्वयं जायं और सुनें।

श्री अध्यक्ष—सूरत यह है कि जहां तक माननीय सत्यनारायण जी का प्रश्न था वह स्वयं सदन में उपस्थित हुए...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--वह गिरफ्तार हो गये थे और उसके बाद छूट गये ...

श्री अध्यक्ष--आप बीच में बोलते हैं। जहां तक माननीय सत्यनारायण जी का प्रश्न है वह स्वयं सदन में आये और अपनी शिकायत रखी कि सदन में आने से उनका अवरोध किया गया और उसके साथ अपमान भी किया गया। तो जो माननीय सदस्य सदन में आकर एक शिकायत रखें उस पर हम विचार कर सकते हैं। आपका कहना यह है कि उसी तरीके से हम माननीय बाबूलाल को यहां तलब करें, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम वह कार्यवाही करें जो हैबियस कार्पस के अन्तर्गत होती है। उनको बुलायें और बयान लें। मेरा खयाल यह है कि हमें ऐसा अधिकार नहीं है, विशेषकर जब हम यह देखते हैं कि वह क्रिमिनल ऐक्ट के अन्तर्गत पकड़े गये हैं और जहां कहीं भी किसी भी देश में, क्रिमिनल ला के अन्तर्गत जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसके संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न न कभी उठाया गया और न उठाया जा सकता है। अब इस विषय को समाप्त किया जाता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--अब जेल जाने की बात क्यों कह रहे हैं, उनका सत्याग्रह तो स्थगित हो गया ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३ (१) के अधीन मैं एक प्रस्ताव रखता हूं कि--

श्री अध्यक्ष--वह ठहर कर रखियेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--जो बच जाय पुलिस के हाथों से, उसी की सुनवाई होगी....

श्री अध्यक्ष--प्लीज!

गोरखपुर में गोलीकांड के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--आज कार्य-स्थगन के प्रस्ताव, नियम ५२, ५३ की सूचनाएं और १०६ और ११२ में और एक अविश्वास का प्रस्ताव, बहुत से आ गये हैं। मुझे ये सवेरे देख लेने चाहिए थे और बहुत से इसमें कार्यस्थगन प्रस्ताव और अविश्वास के प्रस्ताव एक दूसरे से इतने संबंधित हैं कि ठीक तौर से अभी निर्णय नहीं कर पाया हूं कि इन पर क्या व्यवस्था दी जाय और क्या कार्यवाही की जाय। तो अब चूंकि ऐसा विषय है कि जिसमें मेरा यहां रहना आवश्यक न होगा, मैं सदन से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जाकर इनको देख लूं अभी और अपना निश्चय कर लूं, और इस बीच में कार्यवाही होती रहेगी।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं एक निवेदन करदूं। एक कार्य स्थगन प्रस्ताव गोरखपुर के गोली कांड के संबंध में दिया था। मैं समझता हूं कि उसमें तो सिर्फ शब्दों को देखना है और उसमें आप अपना निर्णय देदें क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं आप को विश्वास दिलाता हूं, गेंदासिंह जी, मैंने बिलकुल निश्चय कर लिया था कि मैं उसको स्वीकार कर लूंगा, लेकिन प्रातःकाल जब मैंने नियमों में नियम ६० को देखा, तथा जो सूचना अखबारों में प्रकाशित हुई है उसको देखा, तो मुझे कुछ शंका हुई कि कदाचित हम उस पर विचार न कर सकेंगे। मैं नियम ६० पढ़ दूं जो इस प्रकार है--

"साधारणतया ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हो जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी

[श्री अध्यक्ष]

संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिये नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो"। साथ ही उसमें परन्तुक भी है जो इस प्रकार है—"परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित हो, यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इसे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।" मैं चाहता हूं कि पूर्व इसके कि मैं उसपर विचार करूं, उसके ऊपर माननीय नेता सदन कुछ प्रकाश डाल दें. . .

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्,यदि आप कुछ संयम के साथ भी यहां इस पर विचार करने की कृपा करें और अगर ऐसा करेंगे तो जो विषम परिस्थिति गोरखपुर की हो गयी है उसे सम्भलने में मदद मिलेगी, और यदि इस पर विचार नहीं हुआ तो जब तक जुडीशियल इन्क्वायरी की फाइंडिंग आदि निकलेगी तब तक इसका क्या नतीजा होगा ? वहां पर असंतोष और भय का वातावरण है और उस पर विचार होना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा भी एक निवेदन पहले आप सुन लें। पहले भी सन् ५७ से ६२ तक जो अहम गोलीकांड हुये हैं, जिनमें जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उनके बारे में भी यहां चर्चा हुई है और वह इसी परन्तुक के आधार पर हुई है और उसी के अन्तर्गत यहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है। श्रीमन्, अलीगढ़ की स्थिति के संबंध में जो कामरोको प्रस्ताव लाया गया था, उस वक्त माननीय न्याय मंत्री ने यही कहा था कि यह मामला चूंकि सब-जूडिस है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, किन्तु उस समय इसी परन्तुक का यहां हवाला दिया गया था और उसको यहां स्वीकार किया गया है। यहां उस पर चर्चा हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी उस पर प्रकाश डालें, तो कहीं जनता के सामने ऐसा इम्प्रेशन न हो कि गोरखपुर की घटना को चोक किया जा रहा है। इसलिये वहां की घटना को ध्यान में रखकर ही वे प्रकाश डालें। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, उनको बुलाने के बाद हमको आप किस लिये बुलायेंगे क्योंकि उनका तो लास्ट वर्ड हो जाता है, मालिक तो वही हैं इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस कामरोको प्रस्ताव को आप किसी न किसी रूप में स्वीकार करें और इस पर कुछ विचार-विनिमय का अवसर जरूर दें। घटना बहुत बड़ी है। मेरी भी अपनी जानकारी है और जहां तक मैं याद करता हूं, हमारे प्रदेश में आज तक ऐसा कोई गोलीकान्ड नहीं हुआ है जिसमें ४ व्यक्ति मौके पर ही मारे गये हों और जिनमें से ३ विद्यार्थी हों। एक गयन्दर की मृत्यु लखनऊ में जब गोली से हुई थी, तो उस समय लखनऊ में क्या हुआ यह सभी को मालूम है। १२५ आदमी तो वहां घायल हो गये हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं कहां कह रहा हूं कि इसे मैं डिसएलाउ कर रहा हूं ? मैं तो चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकालूं जिससे इस पर चर्चा हो जाय।

श्री झारखंडे राय—तरीका तो आप ही निकाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इसका फैसला आप कल पर न छोड़ें।

श्री अध्यक्ष—मैं कल के लिये नहीं कह रहा हूं। आज ही दो बजे मैं इस पर फैसला दूंगा। मैं चाहता हूं कि जरा स्टडी कर लूं कि उसका रूप क्या बनता है, और किसी रूप में उस पर चर्चा हो जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं....

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, माननीय कल्पनाथ सिंह जी, आप भी बैठें। मैं जरा मुख्य मंत्री जी को सुन लूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मेरी बात पहले आप सुन तो लें कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं सुन लूंगा लेकिन पहले आप मुख्य मंत्री जी को सुन लें, उसके बाद दो बजे, मैं कोई न कोई तरीका निकालूंगा जिससे इस घटना पर कुछ बातचीत हो जाय। लेकिन पहले आप सुन तो लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---मैं एक बात जानना चाहता हूं कि...

श्री अध्यक्ष---श्री नरसिंह नारायण जी, पहले मुख्य मंत्री जी को सुन लें, उसके बाद आप कह लेंगे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी पहले उस घटना के बारे में हम लोगों से कुछ सुन लें। इस संबंध में और कुछ न कह कर मैं आपको यह फोटो दिखलाता हूं। जरा इन बच्चों को देख लें जिनको गोलियां लगी हैं। श्रीमन्, गोरखपुर में जो यह गोलीकांड हुआ है, ऐसा गोलीकांड आज तक कभी यहां नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष---इससे कौन इंकार करता है। उसके महत्व को समझ कर ही गवर्नमेंट ने भी हाई कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक आयोग मुकर्रर किया है। आप बैठ जायं। मैं अभी कोई फैसला नहीं दे रहा हूं। माननीय मुख्य मन्त्री के कहने के बाद आप कुछ कहना चाहें तो हमें बतला सकते हैं। हम तो अभी यह जानना चाहते हैं कि जो आयोग सरकार ने मुकर्रर किया है उसका टर्म आफ रेफरेंस क्या है, किस तरह से वह प्रोसीड करेगा, कब तक वह अपनी फाइंडिंग्स देगा, आदि आदि।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---माननीय मुख्य मन्त्री को सुनने के बाद हम लोग अपनी क्या राय दे सकेंगे ? उसके बाद तो आप अपना फैसला दे देंगे। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि या तो आप हम लोगों को पहले सुन लें या माननीय मुख्य मन्त्री को सुनने के बाद, बिना हम लोगों को सुने, आप कोई फैसला न दें।

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मन्त्री से मैं बहस नहीं मांग रहा हूं, आप बैठ जायं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जो आयोग मुकर्रर किया गया है, उसका टर्म आफ रेफरेंस क्या है, वह किस तरह से काम करेगा, क्या कारण था, इसपर थोड़ा प्रकाश पड़ जाय, उसके बाद हम सोचेंगे।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस नियम ६० का आपने हवाला दिया है, उसके मुताबिक आपको पूरा अधिकार है निर्णय लेने का।

श्री अध्यक्ष---मैं कहां कह रहा हूं कि मैं निर्णय नहीं दूंगा। मैं तो चाहता हूं कि एलाउ करूं लेकिन इसके पहले मैं मुख्य मन्त्री जी से कुछ सुन लेना चाहता हूं जिससे अपने डिस्क्रिशन का, अपने जजमेंट का इस्तेमाल, आपके हक में, कर सकूं।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, आप सभी जानते हैं कि यह घटना परसों हुई और कल सुबह अखबारों ने इसे पहले पहल छापा। जाहिर है कि यह एक अहम घटना थी और जैसे ही इसकी इत्तला हम लोगों को हुई, फौरन उसके ऊपर विचार किया गया और यह फैसला किया गया कि इस अहम घटना की इंक्वायरी करने के लिये कोई सीनियर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाय, जो इसके ऊपर जांच करके इसके तमाम आसपेक्ट्स पर रोशनी डाले। हम यह समझते थे कि यह एक अहम घटना है और जनता में इस बात की ख्वाहिश है कि सही वाकयात की जानकारी उसे मिल, इसलिये अगर हम कोई कमिश्नर या और कोई छोटा अफसर रख देते तो हो सकता था कि पब्लिक की कान्फिडेंस उसमें न होती। इस सब का लिहाज करके, यह फैसला किया गया है कि एक हाई कोर्ट के सीनियर जज इसकी जांच करें। जहां तक टर्म्स आफ रिफरेन्स की बात है तो जो हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुये हैं वह खुद ही इशूज और प्वाइंट्स बनायेंगे और हम ने भी थोड़ा बहुत उनको बताया है कि ऐसी बात है, इसपर थोड़ी-सी इंकवायरी होनी चाहिये, इसमें अब पब्लिक एवीडेंस आयेगी। नेता विरोधी दल ने जो हवाला दिया मुझे मालूम नहीं वह किस माहौल में हुआ था या इंक्वायरी कैसे हुई थी वह दूसरी चीज है लेकिन अगर कोई स्पीकर का डिसीजन हुआ है .....

(व्यवधान)

उससे यह निकलता है कि बावजूद रुल ६० के इंक्वायरी अलाउ हुई है हमें देखना होगा कि डिसकशन हाउस में अलाउ किया गया है। हमें देखना होगा कि रूल ६० (१) सालिटरी चीज है और जब कि मामला जुडीशियल या क्वासी जुडीशियल आफिसर के मातहत कर दिया गया तो अगर उसपर यहां डिस्कशन होता है तो यहां पेनिक या जोश पैदा हो सकता है और उनका असर इंक्वायरी पर पड़ सकता है। हमारी परम्परा भी यह रही है कि जब कोई मामला इंक्वायरी में चला जाता है तो जब तक कि वह इंक्वायरी रिपोर्ट न आ जाय उसपर कोई विचार नहीं होता। तो इसकी अहमियत और इम्पार्टेंस को देखते हुये जब इतने सीनियर जज को मुकर्रर किया गया है तो किसी प्रकार का डिस्कशन इस स्टेज पर नहीं हो सकता जैसा कि प्राविजो में इंक्वायरी कैसे हो और प्रोसीजर क्या होगा यह दिया है लेकिन कोई ऐसा डिस्कशन, इंसीडेंट के मुताल्लिक, किसी तरह से हाउस में अलाउ नहीं हो सकता। मेरे पास अंग्रेजी की कापी है, आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं, इसमें है कि—

"No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigate a matter shall ordinarily be permitted to be moved :"

"Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the Tribunal or Commission or Court of Enquiry."

प्रोसीजर के मुताल्लिक स्पीकर साहब अलाउ कर सकते हैं, उसके बाद भी शर्त है कि अगर मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है.....

श्री अध्यक्ष—जबतक कि आप यह न बतायें कि क्या इंक्वायरी होगी, क्या टर्म्स आफ रिफ्रेंस हैं, क्यों गोली चलाई, यह सब.....

श्री सैयद अली जहीर—वह सब माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे।.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं।

श्री श्यामलाल---आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष---क्या है? श्यामलाल जी, प्वाइंट आफ आर्डर का मतलब है कोई नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

श्री श्यामलाल---माननीय न्याय मन्त्री ने अपने वक्तव्य को प्रारम्भ करते हुये कहा कि एक जज मुकर्रर कर दिया गया है और इंक्वायरी हो रही है। यह हाउस यह मानता है कि कोई चीज सब-जूडिस यदि है तो हाउस उसे डिस्कस नहीं कर सकता लेकिन कोई चीज जान-बूझ कर सबजूडिस बना दी जाय यह कहां तक न्यायसंगत है?

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सैयद अली जहीर---टर्म्स आफ रिफरेंस सुन लें, मेरा यह कहना है।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---गजट एक्सट्रा आर्डिनरी में नोटिफिकेशन छपा है। अंग्रेजी वाली प्रतिलिपि मेरे पास आई है, उसे ही पढ़ देता हूं सारा।

श्री अध्यक्ष---सारा ही पढ़ दीजिये तो लोगों को मालूम हो जायगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह इस प्रकार है---

Whereas it has been made to appear to the State Government that—

(*a*) a scuffle between a policeman and the driver of a car of a University teacher of Gorakhpur in the evening of 19th October, 1962 led to the taking out of a procession by students and others the next day in defiance of prohibitory orders promulgated under section 144 Cr, P.C., and

(*b*) this procession became violent in the vicinity of the Kotwali Police Station at Gorakhpur, throwing brickbats and causing injury to several policemen and other government servants on duty, and

(*c*) the police used force to disperse the assembly, ultimately resorting to firing, and

(*d*) the firing resulted in two deaths and injuries to several other persons.

And whereas the State Government is of opinion that it is necessary to hold a full enquiry into the said chain of events leading to the unfortunate consequences mentioned above, which are of definite public importance.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Enquiry Act (No. LX of 1952), the State Government hereby appoints Sri Justice Basudeo Mukerji of the Allahabad High Court as a Single-M mber Commission of Enquiry.

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

2. The Commission shall enqiure into and report on and in respect of :

(*a*) the entire series of incidents with a view to —

(i) ascertaining the full facts regarding these incidents and the causes which led to them.

(ii) assessing the responsibility for the unfortunate happenings, and

(*b*) the conduct of the police and the magistracy with regard to the handling of the situation and the quantum of force used.

3. The Commission shall perform its functions within a period of four months from the date of this notification.

हिन्दी में थोड़ा-सा सारांश इस प्रकार है कि कमीशन निम्नलिखित चीजों पर इंक्वायरी करेगा और रिपोर्ट पेश करेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जितना अंग्रेजी में पढ़ा है उसका अक्षरशः अनुवाद करें क्योंकि ऊपर के मैटीरियल में गवर्नमेंट के व्यूज हैं जिसके आधार पर मिस्टर मुकर्जी को नियुक्त किया गया है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अगर अक्षरशः अनुवाद सदस्य महोदय चाहते हैं तो मैं उसका अनुवाद करवा लूंगा तभी उसे प्रस्तुत कर सकता हूं। इस समय तो अक्षरशः अनुवाद नहीं कर सकता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---और किसी मन्त्री महोदय को जो अनुवाद कर सकते हों उन्हें दे दिया जाय और वह हम लोगों को अनुवाद कर के सुना दें अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी असमर्थ हैं।

श्री अध्यक्ष---इस समय मैं समझता हूं कि एक्सटेम्पोर कोई तर्जुमा कर दे, अक्षरशः अनुवाद में समझता हूं कि इस वक्त कोई नहीं कर पायेगा। बहुत कुछ आशय मालूम ही हो गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

देखिये, यह सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप बैठ जायं। माननीय दीपनारायण जी, आप आसन ग्रहण करें।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, सदन की भाषा हिन्दी है.....

श्री अध्यक्ष---मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं है।

श्री चन्द्रबली सिंह---अगर हिन्दी होती तो अंग्रेजी में क्यों पढ़ा जाता ?

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)---मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी की ए, बी, सी, डी, भी नहीं जानता हूं तो या तो मैं सदन छोड़कर चला जाऊं या जो पढ़ा गया है उसको अधूरा समझूं।

श्री अध्यक्ष---इसका अक्षरशः अनुवाद एक घंटे में हो जायगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---चूंकि यह सवाल उठ गया है और अक्षरशः अनुवाद देने की अगर परम्परा बन जायगी तो मैं समझता हूं कि सदन का काम चलने में बड़ी दिक्कत होगी। हमारे रूल्स में यह साफ लिखा है कि भाषा हिन्दी है लेकिन अगर अंग्रेजी में कोई पढ़ेगा तो उसका सारांश बता देगा। इसलिये सारांश बता दिया जाय और जो सज्जन अनुवाद चाहते हैं उनको भिजवा दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---मेरा निवेदन यह है कि यदि अक्षरशः अनुवाद नहीं हो सकता है तो सारांश जो कहा जाय वह आदि से कहा जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं वही व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठ तो जाइये। जिनको अक्षरशः अनुवाद चाहिये वह २ बजे मिल जायगा। इस समय माननीय मुख्य मन्त्री उसका आशय सदन को सुना देंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गवर्नमेंट को यह विदित हुआ है कि पुलिसमैन और एक कार के ड्राइवर में जिसमें कि विश्वविद्यालय का एक अध्यापक बैठा हुआ था १९ तारीख के सायंकाल एक झगड़ा हुआ जिस झगड़े के कारण लड़कों ने एक जुलूस दूसरे दिन दफा १४४ के उल्लंघन में निकालने की चेष्टा की और यह जुलूस जब कोतवाली पुलिस स्टेशन के नजदीक पहुंच रहा था तो यह उच्छृंखल (वायलेंट) हो गया और पत्थरबाजी इत्यादि का कार्य करने लगा जिससे कि बहुत से पुलिसमैन को और सरकारी कर्मचारियों को जो ड्यूटी पर थे, चोटें लगीं और पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों को इस कार्य से वर्जित करने के लिये फोर्स का इस्तेमाल किया जिससे वे डिसपर्स हो जायं और अन्ततोगत्वा फायरिंग करने की नौबत आयी और फायरिंग से दो व्यक्तियों की मौतें हुईं और बहुतों को चोटें लगीं। सरकार की यह राय है कि इस मसले में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिये, उन तमाम जो वाक्यात हुये हैं उनकी शृंखलाओं में, जिनके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई। इसलिये सरकार यह निर्णय करती है कि मिस्टर जस्टिस बासुदेव मुखर्जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वे इस मसले में इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के सिलसिले में जिन बातों को इस कमीशन को विचार करना है वह यह है कि जितने वाक्यात इस सिलसिले में हुये उनके ऊपर वे नजर डालें और सारे वाक्यात की जानकारी प्राप्त करें कि जिनके कारण यह दुर्घटना हुई। साथ ही जो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुईं उनके करने में किसकी जिम्मेदारी है और पुलिस के अधिकारियों का क्या रवैया रहा और मैजिस्ट्रेसी का क्या रवैया रहा और जो परिस्थिति सिचुयेशन को हैंडिल करने में पैदा हुई और कितना फोर्स इस्तेमाल किया गया, इस के विषय में इंक्वायरी करें और रिपोर्ट दें। कमीशन अपनी सारी कार्यवाही चार माह के अन्दर कर ले और सरकार को उसकी रिपोर्ट दें। अब हिन्दी का भी तर्जुमा आ गया है, इसमें अक्षरशः विचार दिये हैं, मैंने आशय बता दिया है।

श्री अध्यक्ष---जो देखना चाहेंगे, देख लेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, मैं उन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं जो न्याय मन्त्री जी ने व्यक्त किये हैं। जब इंक्वायरी कमीशन की नियुक्ति हो गई और ऊंचे हाई कोर्ट जज के तत्वावधान में हो गई तो कदाचित जो वाक्यात हैं जिनको साथियों ने देखा है, सुना है, उनके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे अगर इस अवसर पर अपनी-अपनी राय दें या आलोचना करें। हाई कोर्ट जज के सामने सब की गवाहियां गुजरेंगी और जो हाई कोर्ट जज अपनी राय देगा वह एक ऐसी होगी जो तथ्यों का निचोड़ होगी और वह सब के साथ, चाहे वह पुलिस का अधिकारी हो, चाहे वह विद्यार्थी हो या जनता का कोई व्यक्ति हो, उसके कार्यों के विषय में न्याय कर सकेगा। इसलिये मुझसे यदि सदन कोई स्टेटमेंट चाहता है तो वाक्यात की सरकार के पास जो रिपोर्ट आई है वह मैं दे सकता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि उनके ऊपर बहस करना जबकि जुडीशियल इंक्वायरी नियुक्त हो गई है बहुत न्याय-संगत बात नहीं होगी, ऐसा मेरा विचार है।

*श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि हद दर्जे की ज्यादती होगी कि इस मामले में सदन में कोई बहस-मुबाहिसा न हो। श्रीमन्, आपने जो गवर्नमेंट गजट है उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

ऊपर के हिस्से को सुना। उसमें स्पष्ट है कि जो मामले पर रोशनी डाली गई है और ऐसी चीजें कही गई हैं जिनके बारे में नेता विरोधी दल गोरखपुर गये, मैं भी कल वहीं था और कल्पनाथ जी आदि अन्य कई साथी वहां थे। उन्होंने जुडीशियल माइंडेड रहकर जांच-पड़ताल की है और उसके बाद जो हमें जानकारी हुई है उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो भूमिका के तौर पर लिखा है वह बयान असत्य और असलियत से दूर है। तो श्रीमन्, इस भूमिका के बाद गवर्नमेंट ने इंक्वायरी सुपुर्द की और मुख्य मन्त्री जी का कहना यह है कि दूसरे विचार सदन के सामने सुनना नहीं चाहते हैं। सरकार तो सब कुछ कह ले और सरकार इस मामले पर और जितना भी चाहे सरकार पर्दा डाल ले। जो गोरखपुर के अधिकारियों ने किया वही काम सरकार ने किया।

अब श्रीमन्, दूसरा विचार है जो सत्य है उसको सरकार सामने आने नहीं देना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह ऐसा अवसर है जिसको सरकार को स्वीकार करना चाहिये। अगर सरकार स्वीकार न करे तो आपको जो डिसक्रीशन की पावर मिली हुई है, यह मौका है कि आप इस समय उसका इस्तेमाल करें और हमें बहस करने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष---इतना ही सोच लें कि अगर यह ५७ में नहीं आता है तो ५२ या ५३ में आ सकता है। इसको भी समझ लें कि यह इस सीमा में आ सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---श्रीमन्, एक निवेदन करना है, अगर आप आज्ञा दें। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूमिका पढ़ी है, इस भूमिका का जुडीशल इन्क्वायरी पर जो जज बैठेगा उसके मस्तिष्क पर असर होगा। मैं समझता हूं कि इसके कारण यह भी आवश्यक है कि मैं जो स्वयं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, और वह भूमिका नितांत असत्य है, सत्य से परे है, इसलिए आवश्यक है कि दूसरा दृष्टिकोण सदन में आ जाय जिससे जब जज इनक्वायरी करें तो उनके सामने वह भी दृष्टिकोण रहे और वास्तव में जुडीशल दृष्टिकोण ले सकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह ने और माननीय सदस्यों ने जो भी प्रस्ताव---काम रोको, दफा ५३ में, ५२ में, जो कुछ भी आज दिए, उनको आपने पढ़ने की मेहरबानी नहीं फरमायी। दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री का जो बयान हाउस में हुआ, एक पक्ष का वह हुआ, यह हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान, जो वहां के सरकारी अधिकारियों ने कहा, उसको आपने पढ़ने की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, दफा ५२ और दफा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं हैं, उनको आपने पढ़ने की भी जहमत गवारा नहीं की।

श्री अध्यक्ष---माननीय पांडेय जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं। आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। मैं यह कह रहा था कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या विस्तार है जिसमें कि आयोग छानबीन करेगा। उस सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह जो नोटिफिकेशन है पढ़ दिया जाय। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने इजाजत दे दी कि आप पढ़ दीजिये। आप बैठ जाइये। अगर आप को कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में कुछ कहना है तो कहिए। अगर आपको आलोचना ही करनी है तो आप को मैं इजाजत नहीं देता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---माननीय मुख्य मंत्री का जो बयान हुआ है उसमें उन्होंने घटनाओं का उल्लेख कर दिया है इसलिए मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष---यह आप के नेता ने कह दिया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---दूसरी बात यह निवेदन कर दूं कि प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो दफा ६० का उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसमें आप को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—वह माननीय रामायणराय ने बतला दिया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—तीसरी बात यह है कि दफा ५३ में अधिकार दिया गया है हमको, जिसमें दफा ६० लागू नहीं होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दफा ५३ में भी आप ढाई घंटे का समय दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने खुद नियम ५२, ५३ के सम्बन्ध में कहा है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय न्याय मंत्री ने जो बात कही है सोचने की है। मैं कानून और न्याय की दृष्टि से कहता हूं कि आयोग जब नियुक्त कर दिया गया और माननीय हाई कोर्ट जज को नियुक्त कर दिया, सरकार ने किया हो या हाउस ने, इसके बाद जब कि विषय न्यायालय के जज के सुपुर्द हो गया, अगर अब हमारी तरफ से या दूसरी तरफ से टिप्पणी होती है, दोनों तरफ से हम प्रेजुडिस करेंगे। आपने जो पक्ष रखा है, जो सामने घटना आयी है, वह माननीय मुकर्जी साहब को प्रेजुडिस नहीं कर सकती। हम विश्वास रक्खें कि हमारी स्टेट का एक हाई कोर्ट जज पुलिस के दिये हुए वर्सन से प्रभावित होने वाला नहीं है। वह हमारे सदन में कहे हुए वक्तव्यों से प्रभावित होने वाला नहीं है, यह रूल आफ ला का जो प्रिंसिपुल है वह बिल्कुल सही है। इसलिए मेरा यह दृष्टिकोण है कि अगर कोई टर्म्स आफ रेफरेंस में कमी हो तो यह सदन उसमें विस्तार कर सकता है, उसको साफ कर सकता है, लेकिन इसके लिए विवाद के लिए कि कौन वर्सन क्या है, क्या घटना कही जाती है या आपने कह दिया कि वह गलत है या सही है, उससे कुछ नहीं होता। यह जज साहब तय करेंगे क्योंकि यह कमीशन के सुपुर्द हो गया है। इसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, मैं इस राय का हूं क्योंकि अगर बहस होती है तो चूंकि एक न्यायालय के जज महोदय के यहां मामला आपने सुपुर्द कर दिया तो इसका मतलब होगा कि हम जज साहब को अपनी इस बहस के द्वारा प्रभावित करना चाहते हैं। कोई टर्म्स आफ रेफरेंस में अगर गलती हो तो दो बजे उसके ऊपर और कहा जाय। लेकिन इसके ऊपर विवाद करने का मतलब है कि हम संविधान की धारा की हत्या करना चाहते हैं और न्याय प्रणाली का खून करने के लिए यहां बैठे हुए हैं। यही मेरी आप से प्रार्थना है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो टर्म्स आफ रेफरेंस उन्होंने दिये हैं उसमें जो माननीय हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट आयेगी वह सरकार पर मान्य होगी या नहीं होगी? उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी, किसी आदमी को अगर वह दोषी ठहरायें तो उसको दोषी मान कर जो सजा वह कहेंगे, वह सजा उसको देने को सरकार तैयार होगी या नहीं, बस इतना ही मैं जानना चाहता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मुझे निवेदन यह करना है कि जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है उसमें एक बड़ा सैद्धान्तिक और गौण प्रश्न निहित है। वह यह है कि जिस कमीशन की धारा के मुताबिक हाई कोर्ट के जज मुकर्रर किये गए हैं, इस जांच के बारे में, उसमें सरकार ने निश्चित तरीके से अपनी राय उस नोटिफिकेशन में एक पक्षीय लिख दी है...

श्री अध्यक्ष—एक बात सुन लीजिए। जो बातें कही गई हैं उनको न दुहराइए।

(व्यवधान)

यह एक बात हो गई। आप प्वाइंट्स बतला दीजिए।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—मुझे यह कहना है कि इस नोटिफिकेशन में जो बातें कही गयी हैं वह एक पक्षीय हैं और कमीशन की जिस धारा का हवाला दिया गया है अगर आप उसको देखें तो उसमें जो भी कमीशन आफ इन्क्वायरी आज तक अप्वाइंट किया गया है उसमें

इंसीडेन्ट के बारे में केवल इतना ही लिखा जाता है नोटिफिकेशन में मिसाल के तौर पर कि गोरखपुर में एक फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के सम्बन्ध में एक आदरणीय जज उसकी जांच के लिए नियुक्त किये जाते हैं और यह उनका टर्म आफ रेफरेंस है। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट ने खुद इस नोटिफिकेशन के द्वारा जज के दिमाग को प्रेजुडिस किया है।

श्री अध्यक्ष---यह सब कहा जा चुका है। देखिए, वही बात रिपीट न कीजिए।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---दूसरी चीज यह है कि यह एक बड़ा और वैधानिक प्रश्न उपस्थित हो गया है कि अगर किसी जगह की घटना के बारे में यह सरकार कोई न्यायिक जांच नियुक्त कर दे और उस घटना से वहां की शान्ति और व्यवस्था और जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया हो तो उसके लिए श्रीमन्, इस आदरणीय सदन की परिधि बहुत बड़ी मानी गयी है, इस परिधि के अन्दर चाहे जो भी चीजें हों जोकि ला एंड आर्डर से सम्बन्ध रखती हैं, जन-जीवन से सम्बन्ध रखती हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। मेरा यह निश्चित मत है कि यह कामरोको का प्रश्न और अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बन चुका है और वहां पर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, इसलिए इस पर डिस्कशन किया जाय और काम रोको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---एक बात तो निश्चित है कि हमारे बड़े विस्तृत अधिकार हैं, लेकिन हमारे बहस करने की जो परिधि है वह हमारे इन नियमों से नियंत्रित है, इतना तो आप मानेंगे ?

श्री झारखंडे राय---अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से कुछ तकलीफ भी हुई और आश्चर्य भी हुआ।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)---प्वाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष---(श्री झारखंडे राय से) वह प्वाइंट आफ आर्डर रेज कर रहे हैं। इस समय प्रश्न सिर्फ इतना है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या आपको कुछ कहना है ? जो बात आप कहना चाहते हैं वह तीन-तीन आदमियों ने कह दी हैं। उसी को कहना है तो दिक्कत है और यही प्वाइंट आफ आर्डर हो रहा है। आप अपना प्वाइंट बतला दें तो आसानी होगी।

श्री झारखंडे राय---मुझे कुछ तकलीफ भी हुई और आश्चर्य भी। मैं समझता था कि मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि सदन इस विषय पर अपने विचार प्रकट करे। जो माननीय सदस्य वहां गये हैं, इंक्वायरी कर के आये हैं उनकी सूचनाओं के आधार पर...

श्री वीरसेन---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---किस विषय पर प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं।

एक सदस्य---यह तरीका अच्छा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं और प्वाइंट आफ आर्डर सुन लें।

श्री वीरसेन---यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो आते हैं उन पर यह फैसला करना आपका काम है कि वे एडमिसेबिल हैं या नहीं...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---यह तो प्वाइंट आफ लबड़-धोंधों है, प्वाइंट आफ आर्डर नहीं।

श्री वीरसेन---मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ यह निश्चय करना है कि प्रश्न अविलम्बनीय है या नहीं और लोकमत का है या नहीं। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—प्वाइंट आफ आर्डर तो बतलाया नहीं कि क्या है।

श्री वीरसेन—मेरे कहने का मतलब यह है कि यह निश्चय करना आपका काम है और इसके लिये आप को अधिकार है कि आप यह निश्चय करें कि यह लोक महत्व का है या नहीं और अविलम्बनीय है या नहीं। मैं समझता हूं कि इस तरह की डिबेट किसी विषय पर और इस तरह उसकी मैरिट में जाना, सदन के समय का दुरुपयोग करना है और आप स्वयं अपने आप निश्चय करें कि यह एडमिसेबिल है या नहीं। (व्यवधान)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आपकी श्रीमन्, रूलिंग हो चुकी है कि 'सदन के समय का दुरुपयोग होता है' शब्द नहीं कहे जायंगे। उनसे कहा जाय कि वे इन शब्दों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरसेन जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग सदन में नहीं करना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—उन शब्दों को वापस करवाइये। यह गलत बात है। आपकी रूलिंग के खिलाफ कहा गया है।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरसेन जी, यह गलत चीज है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं यदि उन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो आप उन्हें वापस लें।

श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मुझे कृपा कर आप बतला दें कि इस तरह से यदि सदन के समय का इस्तेमाल हो रहा है तो उसे किन शब्दों में व्यक्त करूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—पहले शब्द वापस लें, तब बोलिये।

श्री अध्यक्ष—किन शब्दों का प्रयोग होना चाहिये, यह सिखलाने में नहीं बैठा। लेकिन जो शब्द असंसदीय हैं उन्हें आप को वापस लेना चाहिये।

श्री वीरसेन—यदि आप उन शब्दों को असंसदीय घोषित करते हैं तो मैं उनको वापस लेता हूं।

श्री झारखंडे राय—तो मैं यह कह रहा था कि जहां तक मुझे याद है, एक बार इस सदन में ऐसा हो चुका है कि सरकार की ओर से जुडिशियल इंक्वायरी की बात मान ली गयी थी और उसके बाद भी ऐसी फायरिंग पर बहस करने की आज्ञा सदन में प्रदान की गयी थी..

श्री अध्यक्ष—यह सब बातें कही जा चुकी हैं और माननीय नेता विरोधी दल ने सब बात कह दी है। आप यदि कोई नयी बात कहना चाहते हों तो कहें।

श्री झारखंडे राय—अभी तक इन्क्वायरी होने के बाद भी यहां वह शुरू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में...

(व्यवधान)

कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, जो हम को सन्तोष नहीं हो रहा है वह बात यह है कि जब वहां जज महोदय, गोरखपुर में नियुक्त किये गए तो क्या वहां की लोकल पुलिस से वह लोग मुअत्तल कर दिये गए हैं? आज जनता को दबाने को प्रयास हो रहा है। इसलिये उसको मुअत्तल हो जाना चाहिए।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, जो एक लेटेस्ट चीज है वह मेरी बात सुन लीजिये...

श्री अध्यक्ष—आप कौन-सी बात कह रहे हैं, आप तो रिपीट करते हैं। आप जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि जब वहां पर इतना टेन्शन है, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस विषय पर यहां बहस करने दें। जो विद्यार्थी गिरफ्तार हैं उसकी वजह से टैन्शन माउन्ट अप हो रहा है। इसलिये गिरफ्तार विद्यार्थियों को छुड़वा दिया जाय ताकि वह मामला शांत हो सके। हम को इस पर विचार विनिमय करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं खुद चाहता हूं कि वह डिसकश हो। लेकिन जिस तरह से आप बात करते हैं उस तरह से तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती है। प्रश्न तो यह है कि नियम ६० किसी तरह से बाधा डालता है, या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया और न्याय मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया। उसी पर इस पक्ष के लोग जो कि उस वक्तव्य से सहमत नहीं हैं और उस कैबिनेट के डिसीशन से सहमत नहीं हैं वह यह कह रहे हैं, आपने माननीय बी० बी० शरण जो कि देहरादून के बाद से गोरखपुर तक कितनी जानकारी रखते हैं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं केवल नियम ६० के सम्बन्ध में सुनना चाहता था।

श्री कल्पनाथ सिंह—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझे इसके बाद कब मौका देंगे ? अब आप किसको मौका देंगे ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—श्रीमन् मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। एक निश्चित कामरोको प्रश्न यह है या नहीं है इस सम्बन्ध में विरोधी पार्टी के विभिन्न नेताओं की बातें सुनी और उसके बाद उधर के बैठने वाले नेता सदन और न्याय मंत्री जी की अभी बातें सुनी। तो उसके बाद क्या स्थिति रह जाती है और स्पष्ट कराने के लिये, जो कि आप कराना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ नियम ६० के सम्बन्ध में सुनना चाहता हूं और उन्हें यदि इसके बारे में कुछ नहीं कहना है तो घटना के बारे में कहें।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कैबिनेट ने जो डिसीजन दिया है उसमें जो टर्म आफ रिफरेन्स की बात कही गई है वह अपूर्ण है और कैबिनेट के डिसीजन पर इस सदन में चर्चा हो सकती है। उस टर्म आफ रिफरेन्स को बदलने के लिये उसमें एडीशन करने के लिये यह सदन सक्षम है। इस सम्बन्ध में तो मेरा प्रस्ताव यह है कि टर्म आफ रिफरेन्स पर इस सदन में बहस की जाय। इसके पश्चात् वह प्रस्ताव अभी आयेगा।

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—मैं यह जानना चाहता हूं कि कमीशन के अन्तर्गत और जब तक कमीशन अपना फैसला दे उस प्रोफेसर साहब की मारपीट से सम्बधित कांस्टेबिलों को उन्होंने निलम्बित किया है या नहीं ? उनको निलम्बित कर दें या अन्य पुलिस अधिकारी जो इस घटना से सम्बन्धित हों उनको भी, क्योंकि तभी इंक्वायरी निष्पक्ष रूप से हो सकती है वरना नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आप इस चेयर पर विराजमान हैं। आपने एक प्रश्न सदन के समक्ष प्रस्तुत किया और माननीय नेता सदन और न्याय मंत्री को आपने सुन लिया, इस तरफ से भी सुन लिया। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या फैसला दें। अगर इस बहस को जारी रखेंगे तो इधर से और उधर से बोलने वाले खड़े होते रहेंगे। अब तो आप के ऊपर है कि निर्णय दें। अब निर्णय दें या एक घंटे के बाद दे दें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, अब दो बजे में निर्णय दूंगा। आप बैठें, मैं कमरे में बातचीत कर लूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैंने जो दिया था ११३ वाला, अब उसकी मुझे आज्ञा दें। वह कार्य-स्थगन का ही प्रस्ताव है, उसे आइटम ४ पर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइये तो मैं बता दूं। मद ४ पर नियम ५७ के अन्तर्गत सूचनायें आती हैं। आप की सूचना नम्बर ६ पर जो है, उसके बाद आयेगी।

बस्ती जिले की हरैया तहसील में घाघरा नदी के कटाव से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय रणबहादुर सिंह, एम० एल० ए० द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी नोटिस जो कि बस्ती की हरैया तहसील के कुछ गांवों के कटाव के सम्बन्ध में है, के सम्बन्ध में वक्तव्य इस प्रकार है—

"जिन ६ ग्रामों की ओर माननीय रण बहादुर सिंह द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है वे सब घाघरा नदी के कटाव क्षेत्र में आते हैं और प्रायः प्रति वर्ष ही बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन ग्रामों के निवासी साधारणतया ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको सरलता से बाढ़ आने पर...

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—पंडित जी के गले में खराश हो गयी है, दवा की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—कोई भी व्यक्ति हो मैनेजर सिंह जी, शिष्टाचार का तकाजा है कि हम शिष्ट रहें और अगर किसी कारण से उन्हें तकलीफ है तो आप को और शान्त रहना चाहिए।

श्री बृजबिहारी—गृहस्थी के अन्य वस्तुओं के साथ हटाया जा सकता है और बाढ़ हट जाने पर ये लोग पुनः अपनी झोपड़ियों को अपनी जोती हुई भूमि के पास बना लेते हैं।

इनमें से अधिकांश लोग अपने खेतों को छोड़ कर नहीं जाना चाहते हैं और अभी तक उनको स्थायी रूप से अन्यत्र बसाने के समस्त प्रयत्न निष्फल रहे हैं।

इन सभी ग्रामों में रेवेन्यू अधिकारियों ने जा जाकर स्थिति का अध्ययन किया है तथा ग्रामीणों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है। परगनाधीश हरैया तो स्वयं ही त्रिलोकपुर, कन्धईपुर, बेटावा में कैम्प डाल कर पड़े रहे और अहेतुक सहायता, तकावी आदि का वितरण कराया। प्रत्येक ग्राम की स्थिति इस प्रकार है :—

१—ग्राम कन्धईपुर—केवल ५ कच्चे घर कटे हैं और इनके निवासी स्वयं निर्मित झोपड़ियों में रह रहे हैं। इन परिवारों को बसाने के लिए ग्राम खरहटिया में भूमि दे दी गयी है और वहां का अवरुद्ध रास्ता खुल जाने के पश्चात् कन्धईपुर ग्राम निवासी वहां बसने के लिए चले जायंगे। उनको ७५ रुपये की अहेतुक सहायता तथा पर्याप्त मात्रा में अन्न दे दिया गया है। अब और अन्न की मांग नहीं है। ग्राम वासियों ने तकावी लेना अस्वीकार कर दिया है।

ग्राम भोसिया—बाढ़ हटने के पश्चात् ३ झोपड़ियां गिर गई हैं। सुपरवाइजर कानूनगो ग्राम का निरीक्षण कर चुके हैं और गृह निर्माण के लिये २२-१०-६२ को अहेतुक सहायता बांटी जायेगी। खाद्यान्न के लिये कोई मांग नहीं है।

ग्राम त्रिलोकपुर—पूरी आबादी, जिसमें ४ कच्चे घर तथा १६ या १७ झोपड़ियां थीं, कट गयी हैं। समस्त परिवारों को कन्धईपुर ग्राम की जोत की भूमि पर वहां के लोगों की सहमति से बसा दिया गया है।

[श्री ब्रज बिहारी]

गत वर्ष भी यह गांव खतरे में था। ६ मील की दूरी पर स्थित ग्राम हलबैया चक में १२ १/२ बीघा बंजर भूमि त्रिलोकपुर ग्राम निवासियों के बसने के लिये दे दी गई थी। पहले तो त्रिलोकपुरवासी वहां बसने के लिये तैयार थे परन्तु भूमि वितरण किया गया तो ग्रामीणों ने वहां बसने से इन्कार कर दिया। इस वर्ष भी, जब बाढ़ का पानी ग्राम में आने लगा था, तो ग्राम हलबैया चक में उनके लिये भूमि निर्दिष्ट ((demarcate)) कर दी गई लेकिन इस वर्ष भी लोगों ने वहां जाना स्वीकार नहीं किया।

ग्रामवासी अपने मकान के लिये ग्राम सोहगिया में भूमि चाहते हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश यह भूमि उनको नहीं दी जा सकती क्योंकि सोहगिया ग्राम सभा के पास एक तो वैसे ही नियोजित विकास के लिये १० प्रतिशत से कम भूमि है और दूसरे सोहगिया ग्रामवासी अन्य किसी को अपने क्षेत्र में बसने नहीं देना चाहते। इन सब कारणों से त्रिलोकपुर निवासियों को ग्राम हलबैया चक में बसने के लिये पुनः प्रेरित किया जा रहा है।

अभी तक ३१० रुपये की अहेतुक सहायता, ६४० रुपये की आपदा कालीन तकावी, ३ मन १० सेर खाद्यान्न और वस्त्रों के ३६ सेट बांटे गये। पुनर्वास के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने पर गृह निर्माण सम्बन्धी अनुदान दिया जायेगा।

ग्राम सहजौरा—इस नाम के दो ग्राम हैं—(१) सहजौरा पुरे दुखी (२) सहजौरा पाठक।

सहजौरा पुरे दुखी के कुछ कच्चे घर गत वर्ष कट गये थे और उन सबको ग्राम सोनगहा में बसा दिया गया था और साथ ही साथ पर्याप्त सहायता भी दी गयी थी। इस वर्ष कोई और कटाव नहीं हुआ। अतः इस वर्ष और अधिक सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहजौरा पाठक—ग्राम में कोई कटाव नहीं हुआ और इसलिये सहायता का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

ग्राम दुधौरा—इस वर्ष कोई आबादी नहीं कटी। केवल ५ बीघा जोती गई भूमि कट गयी है। इस भूमि की मालगुजारी वसूली रोक दी गयी है और नियमानुसार लगान में छूट भी दी जायेगी।

ग्राम बेटावां—१६ कच्चे मकान कट गये हैं। इनमें से ११ के परिवारों को ग्राम रैतिया की बंजर भूमि पर आबाद कर दिया गया है। उनको १७० रुपये की अहेतुक सहायता, ४ मन १६ सेर खाद्यान्न, वस्त्रों के १९ सेट, १,१९० रुपये की तकावी दी गयी है।

अन्य ५ मकान कुछ ही दिन पूर्व कटे हैं। इनके परिवार ग्राम के समीप अपनी जोती गई भूमि पर अस्थायी झोपड़ियां बना कर बस गये हैं। उनको २२-१०-६२ को अहेतुक सहायता तथा तकावी दी जायेगी और ग्राम खैरतिया में उनके पुनर्वास सम्बन्धी अन्तिम निर्णय हो जाने पर पर्याप्त गृह-निर्माण हेतु सहायता भी दी जायगी।

कन्धईपुर, भोसिया, तथा त्रिलोकपुर के लिये ३ नावें तथा बेटावान के लिये ३ नावें सेवा कार्य में लगाई गई थीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, इसे पढ़ा हुआ ही मान लिया जाय, समय क्यों बरबाद हो?

श्री बृजबिहारी—समाप्त हो गया है।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या सरकार इस सूचना को सही मान कर कि वहां भी १० हजार की लागत तक के मकान कटे हैं, कोई जांच करायेगी?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मेरे पास जो सूचना आयी है उसके हिसाब से मैंने बयान दे दिया।

श्री रणबहादुरसिंह—इस समय जो सहायता दी जा रही है वह वहां की जनसंख्या और कटाव आदि की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। तो क्या इसको देखते हुए सरकार वहां पर अधिक पैमाने पर सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार पूरे तौर से कम्पनसेट नहीं करती है। जो फौरी तकलीफें होती हैं उनको रफा करने की कोशिश करती है और सहायता देती है।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या सरकार के पास वहां से बहुत से ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र आये हैं कि उनके रहने के लिये कोई जमीन नहीं मिली है और जहां सरकार ने बसाने के लिये व्यवस्था की है वहां के लोग उन्हें नहीं बसने देते हैं, तो सरकार सरकारी सहायता देकर उन्हें बसने की सुविधा देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। कुछ लोग जाना ही नहीं चाहते हैं।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है कि घाघरा जैसी नदियों से गांवों को कटने से बचाया जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सत्य तो यह है कि कोई ऐसी योजना नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह—ढहाई-पीड़ितों या कटान से कटे हुए निवासियों के बसाने के लिये बिहार सरकार प्रति परिवार २५० रुपये देती है, क्या इस प्रकार की व्यवस्था हमारी प्रदेशीय सरकार भी करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हर केस में जो उचित समझा जाता है वह किया जाता है।

श्री मैनेजरसिंह—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, श्रीमन्।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बिहार की प्रथा मुझे मालूम नहीं है। हम बिहार की नकल भी नहीं करना चाहते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सरकार के विचाराधीन कोई रीवर-टैमिन्ग योजना है ? यदि हां, तो उसमें घाघरा नदी भी शामिल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे ख्याल में ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—चूंकि सरकार के कुछ कामों से पहाड़ नंगे हो गये हैं और वहां से मिट्टी भी पानी में आने लगी जिससे कटान होते हैं, तो ऐसी सूरत में कटान पीड़ितों को मुआवजा न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार के किसी काम से कोई पहाड़ नंगा नहीं हुआ है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—जैसा प्रश्न कर्ता महोदय ने कहा, वहां सहायता कम क्यों पहुंचाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सवाल तो हम समझे नहीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह देखते हुए कि सरकार ऐसे लोगों को कुछ मामूली सहायता रिलीफ के तौर पर देती है, यह मसला ६ गांवों का है जिसमें काफी लोग परेशान हैं, तो क्या माननीय माल मन्त्री जल्द से जल्द इन कटे हुए गांवों के लोगों को बसाने के लिये कोई ऐसा प्रयत्न करेंगे कि अगर कुछ ज्यादा भी सहायता देनी पड़े तो भी देकर उन्हें कैसे ही बसाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे बहुत से वहां के भाई अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं, अगर उन्हें जमीन भी दी जाय। वर्ना जहां-जहां कटाव होता है उसका प्रबन्ध करना हमारा फर्ज हो जाता है और करने का हम प्रयास भी करते हैं।

श्री रणबहादुरसिंह—क्या भूतपूर्व जिलाधीश, बस्ती का ऐसा पत्र सरकार के पास आया है कि कटे हुए गांवों की रेवेन्यू माफ करें और सरकार ने क्या किया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा सुझाव आया। सूचना की जरूरत है।

नियम ११३ के अन्तर्गत नेफा सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुंवर श्रीपाल सिंह की प्रार्थना

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ११३ (१) के अधीन एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या?

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास भेज दें। मैं देख तो लूं कि क्या है।

कुंवर श्रीपालसिंह—११३ में बिना पूर्व सूचना प्रस्ताव किया जाता है, वही है।

श्री अध्यक्ष—भारत की सीमा पर.....यह?

कुंवर श्रीपालसिंह—हां, मगर मैंने कुछ नहीं भेजा है। प्रार्थना यह है कि जो हमारी फ्रंटीयर पर सिपाही लड़ रहे हैं, सेना को बधाई देने का प्रस्ताव है, और जो वहां जुझे हैं उनके प्रति सम्वेदना का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—क्या प्रार्थना है उस प्रस्ताव में? वह बाद में लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—११३ नियम तो इसीलिये है कि...

श्री अध्यक्ष—मैं आप को बतला दूंगा कि किस वक्त लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—मुझे कब आज्ञा होगी?

श्री अध्यक्ष—अभी, पहले मैं यह खत्म कर लूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट तथा राज्य मद्य निषेध बोर्ड के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यों को इस सचिवालय के पत्र संख्या ६१९९/४२१(एस)-६२ दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ के अनुसार यह सूचना दी जा चुकी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये ५ और राज्य मद्य निषेध बोर्ड के ४ सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक २० अक्तूबर, १९६२ को नियत समय पर की गई और सब नाम-निर्देशन-पत्र ठीक पाये गये। अतः यदि नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय, अर्थात् २५ अक्तूबर, १९६२, को सायंकाल ५ बजे तक अतिरिक्त नाम वापिस न लिये गये तो निर्वाचन दिनांक ५ नवम्बर, १९६२ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा। अब यह सूची सचिव के पास है, उसे देख सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव की तृतीय पंचवर्षीय योजना में मंत्रि परिषद् द्वारा तथाकथित कटौती के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—एक प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन मैं चाहता हूं। आज समाचार पत्रों में निकला है कि हमारी कैबिनेट ने डिसीजन कर लिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को काटना है। छोटी योजनायें काटने को, आप जानते हैं कि अनेक बार सदन में कहा गया है कि हमें तीसरी योजना को पूरा करना है। उसके लिये सुझाव भी दिये गये। माननीय मुख्य मन्त्री भी बार-बार इस बात पर जोर देते आये.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ९ के बाद यह आइटम ८ कैसे आ सकता है?

श्री अध्यक्ष—अभी तो आइटम ६ समाप्त हुआ है। ७ देखिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि उस सम्बन्ध में सुझाव भी दिये गये थे और सारी बातें हुई थीं जबकि माननीय मुख्य मन्त्री जी तीसरी पंचवर्षीय योजना पर विचार करने का प्रस्ताव सदन में लाये थे। सभी लोगों ने सरकार को इस पर सुझाव दिये कि किस प्रकार से इस योजना को पूरा किया जाय। तो यह जो मन्त्रि परिषद् के निर्णय की खबर अखबारों में निकली है इससे प्रान्त की जनता में एक चिन्ता व्याप्त हो गयी है कि अब शायद हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी न हो सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर स्पष्ट वक्तव्य दें कि आज क्या स्थिति है और समाचार पत्रों में जो समाचार आया है उसमें कहाँ तक सच्चाई है ताकि लोगों में जो आशंका और चिन्ता है वह दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य अभी देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन वक्तव्य के बाद, उस पर कोई प्रश्न आदि नहीं हो सकेगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, अब व्योरे में अगर वे कोई चीज जानना चाहते हों तो अभी व्योरे में तो उन्हें बतलाऊंगा नहीं और अभी बतला भी नहीं सकूंगा। मैं तो कई मर्तबा इस सदन में पहले कह चुका हूं कि जो हमारी योजना है वह बड़े प्रयास के बाद, केन्द्रीय सरकार के सहयोग से, हमें मिली और अब उसके काटने से काम नहीं चलेगा और इसीलिये बराबर सदन से प्रार्थना करता रहा कि सदन सहयोग देगा तो हम उसे पूरा करने की आशा करते हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जब इस प्रदेश के नागरिकगण या आपके दलों के नेतागण उस उत्तरदायित्व को सम्भालने के लिये तैयार नहीं हैं, तो फिर इस सरकार के पास और कोई चारा ही नहीं है कि अपने प्लान में कुछ कट करे क्योंकि सरकार स्वतः कोई मिंट तो है नहीं। तो ऐसी दशा में हमें विचार करना है कि इस योजना को कम करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति हम किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि रोजमर्रा जैसा कि सदन को जानकारी है हमारे वित्त सचिव, हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर या विकास सचिव मेरे सामने कागजात लाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि किस-किस योजना को स्वीकृति प्रदान की जाय और किसको किसको न की जाय। तो अब मेरे सामने और सरकार के सामने यह भारी दिक्कत है क्योंकि अगर रुपया नहीं आना है और हम रेवेन्यू एकाउन्ट में रुपया इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार के सामने इसके अलवा कोई चारा नहीं है कि वह योजना को काटे और उसको कम करके संचालित करने की चेष्टा करे। उस दृष्टिकोण से कल हमारे मन्त्रि परिषद् में विचार हुआ और उसके बाद कुछ काम सुपुर्द हुआ सचिव को और प्लानिंग मिनिस्टर को कि वे तमाम चीजों का अध्ययन करें और अपने विचार हमारे सामने लायें। वे अवश्य उस चीज को सामने रख कर विचार करेंगे और हमारे सामने लायेंगे कि वास्तविकता क्या है। हमने वचन दिया था कि जितना धन हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पास है उसको खर्च करके हम अपनी इस पंचवर्षीय योजना को पूरा करेंगे और इसीलिये हमारी यह योजना तैयार की गयी थी। यह सही है कि हमें उस योजना में कमी करनी है ताकि विभिन्न टार्गेट का उद्देश्य पूरा हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैं माँग कर रहा हूं कि सदन ने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की थी कि हमारी योजना लगभग ५०० करोड़ की होगी और अब मन्त्रि परिषद् ने बगैर सदन की राय लिये हुए उसमें कट करने का निर्णय लिया है जिसकी घोषणा अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने की है—तो माननीय मुख्य मन्त्री को चाहिये कि वे इस योजना को फिर सदन के सामने लायें, जहाँ इस पर फिर से विचार हो सके। हमने सरकार को योजना की पूर्ति के लिये मुतिल्लक सलाहें दी थीं कि किस तरह से बकाया टैक्स आदि की वसूली करके यह किया जा सकता है। मन्त्रि परिषद् ने जो निर्णय लिया है, यह प्रश्न सदन के सामने अवश्य आना चाहिये ताकि सदन उस पर अपनी निश्चित राय और सुझाव दे सके कि किस तरह से योजना की पूर्ति की जा सकती है। और सरकार भी कट करने का कोई बहाना न दे सके।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अगर आप आज्ञा दें तो मैं केवल एक जानकारी चाहता हूं। मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप पहले आइटम ९ हो जाने दें।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिसका कार्यकाल दिनाँक २० अक्तूबर, १९६२ को समाप्त हो गया है, में कार्य करने के लिये, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार, विधान सभा ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिस का कार्यकाल दिनाक २० अक्तूबर, १९६२ को समाप्त हो गया है, में कार्य करने के लिये, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२१ की धारा १७ की उपधारा (१) के खंड ३ के मद (१६) के अनुसार, विधान सभा ५ सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं परिस्थितियों को देखते हुए कि समाज में अधिक कन्फ्लिक्ट न हो और आपस में सद्भावना बनी रहे, क्या मुख्य मन्त्री जी इस लैंड टैक्स विधेयक को वापस लेने का विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह आप जब लैंड टैक्स बिल पेश हो, तब पूछ लें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव भी था....

श्री अध्यक्ष—बिना नोटिस के यह नहीं लिया जा सकता। आप मुझे तो सूचना दे देते। मुझे भी नहीं मालूम कि उसमें क्या है...

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, इसी धारा की ६ के अधीन कार्य स्थगन का मोशन बगैर आपकी सूचना के आया था।

श्री अध्यक्ष—नियम ११३ के आरम्भ में पहले ही यह लिखा है कि यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें, तब बिना सूचना के यह पेश किये जा सकेंगे। मैं अनुज्ञा उसी वक्त दूंगा जब आप लिख कर दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने भी एक दिया था वह भी.....

श्री अध्यक्ष—वह अभी नहीं लिया जायगा.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—तो २ बजे ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—हाँ, ठीक है, आप बैठें।

(इस समय १२ बजकर ४७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—मैं जानना चाहता हूं कि आइटम नम्बर १० को अब कौन पेश कर रहा है।

***श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ आज यह प्रस्ताव आप की आज्ञा से, सदन के समक्ष अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने का सौभाग्य या दुर्भाग्य मिल रहा है—"यह सदन अपने अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा को उनके पद से हटाने का निश्चय करता है।"

हमें उम्मीद थी कि जब माननीय वर्मा जी हमारे अध्यक्ष हुए तो वह निष्पक्ष और स्वतन्त्रता-पूर्वक न्याय के साथ इस सदन का काम करेंगे लेकिन खेद है कि उनकी व्यवस्थायें और निर्णय ऐसे हुए हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वह अध्यक्ष की तरफ से नहीं बल्कि वह एक कांग्रेस पार्टी के स्पोक्समैन की तरह से कार्य करते हैं और सदन में उनका रवैया बहुत ही विन्डिक्टिव रहा है। उन्होंने अकारण ही मेम्बरों को सदन से निकालने और इंगित करने में....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता—अब वह समाप्त ही कर रहे हैं, आप जरा ठहर जायं।

श्री नेकराम शर्मा—जितने भी निर्णय उनके हुए हैं उनमें पक्षपात की बहुत अधिक बू आती है। मैं अधिक समय न लेता हुआ, इन शब्दों के साथ, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सदन की अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव पेश करें।

***श्री कृष्णानन्द राय**—अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस पर पहले अपनी व्यवस्था दें कि यह प्रस्ताव, जो श्री नेकराम जी शर्मा ने पेश किया है वह, ऐडमिसिबिल है या नहीं।

मेरी यह धारणा है कि यह बिलकुल अवैध है। इस सम्बन्ध में रूल २७० की ओर ध्यान दें जिसमें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पर विश्वास का प्रस्ताव लाने की व्यवस्था है। आप देखेंगे कि रूल २७० में यह लिखा हुआ है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के लिये रिजोल्यूशन आता है और रिजोल्यूशन की व्याख्या रूल ९३ में दी गयी है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

जिसमें रिजोल्यूशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में कन्डीशन्स दी हुई हैं जैसे "It shall be clearly and precisely expressed" हाउस आफ दी पीपुल की नियमावली के रूल २०१ के अन्तर्गत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और सम्बन्धित नियम १९२ में उस रिजोल्यूशन को डिफाइन कर दिया गया है और इन्हीं शब्दों का उसमें योग किया गया है "It shall be clearly and precisely expressed" इस प्रकार दोनों में एक ही प्रकार का इस्तेमाल किया गया है और "It shall be clearly and precisely expressed" पर एक इण्टरप्रिटेशन हो चुका है और यह लोक सभा के डिसीजन्स जनवरी, १९५१ से मार्च, ५७ तक जो हुये हैं उनमें पृष्ठ ४५६ पर है—

"When the resolution came up before the House on the 18th December, 1954 a point of order was raised by Shri Kotha Raghuramiah that the resolution offended against sub-rules (i))and (iii) of Rule 112 (Fourth Edition) in asmuch as it was not specific in its charges of partiality and contained statements which were defamatory.

इसमें वैसे तो बहुत लम्बा चौड़ा रिफरेंस है लेकिन उसे मैं पढ़ना नहीं चाहता। थोड़ा सा रिफरेंस के लिये मैंने पढ़ दिया है। हाउस आफ दी पीपुल में एक माननीय सदस्य ने स्पीकर महोदय के रिमूवल का प्रस्ताव रखा था।

श्री अधिष्ठाता—यह एलाऊ हुआ या डिसएलाऊ हुआ?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय सदस्य के प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में मेरा निवेदन है कि चूंकि अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद १७९ के अन्तर्गत आता है और नियमावली में यह लिखा हुआ है कि उसपर कोई भाषण नहीं होगा लेकिन माननीय सदस्य का भाषण हो रहा है?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपका नाम नहीं लिया। उन्हें बोलने का मौका मैंने दिया है। प्वाइंट आफ आर्डर चल रहा है। उन्हें सुनने का तो मौका दें।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा कहना यह है कि इसपर प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर आप नियमों को अनियमित नहीं कर सकते। अनुज्ञा देने के लिये सदन के सामने कोई इसपर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता। इसलिये अगर आज्ञा आप दे रहे हैं तो बेकार समय बर्बाद हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—यह फैसला मुझे करना है, आपको नहीं करना है।

श्री कृष्णानन्द राय—जब इधर से कहा जाता है "समय बरबाद किया जाता है" तो उन शब्दों का वापस कराया जाता है। लिहाजा उन्होंने जो शब्द प्रयोग किये हैं पहले वे वापस कराये जायं।

श्री नेकराम शर्मा—मेरा प्रस्ताव है कि जब तक यह बहस समाप्त न हो तब तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—मैं यह निवेदन कर रहा था कि "It shall be clearly and precisely expressed" पर जो इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है वह एडमिट भी हुआ था लेकिन लीडर आफ दी हाउस ने उसकी टेक्निकलटीज पर न जाकर एडमिट करने की रजामंदी दे दी थी। इसमें रिफरेंस ऊपर इस प्रकार से दिया हुआ है—

"Removal of Speaker from the office ought to be specific with respect to charges."

यानी जो आरोप लगाये गये हों वे स्पेसिफिक हों। इसमें कोई आरोप नहीं है....

श्री अधिष्ठाता—ठीक है।

श्री कृष्णानन्द राय—एक चीज और है। इसके बारे में एक प्रीसीडेंट भी हमारी असेम्बली का है। 'उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाहियों की अनुक्रमणिका,' इसमें माननीय खेर साहब के विरुद्ध रेमूवल का एक प्रस्ताव आया था। यह पृष्ठ ६२० पर है। इसमें माननीय रामस्वरूप वर्मा, जो यह प्रस्ताव लाये थे, ने ये कारण दिये थे—

"यह सदन वर्तमान अध्यक्ष को उनके अध्यक्ष पद से हटाने के लिये निम्नलिखित कारणों से निश्चय करता है—

क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री नेकराम शर्मा के विशेषाधिकार...."

इस तरह से तीन कारण दिये गये थे। मौजूदा प्रस्ताव में कोई कारण नहीं दिये गये हैं। इसलिये यह प्रस्ताव बिल्कुल आउट आफ आर्डर है। इसपर आप व्यवस्था दें।

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—अगर आप आज्ञा दें तो एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—अब इतना बहुत काफी है।

(व्यवधान—बैठिये, बैठिये की आवाजें)

सदन में शांति रहे, यह व्यवस्था कायम करना मेरा काम है, आपका नहीं।

मैंने माननीय सदस्य के भाषण को सुना। मैं उनकी जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि इस विषय में जो पहले डिप्टी स्पीकर यहाँ रहे हैं उन्होंने एक रूलिंग दी है कि बहुत टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर ऐसी चीजों को रोकना गलत है। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि माननीय अध्यक्ष के खिलाफ उनको अपने पद से हटा दिया जाय, केवल इतना भी प्रस्ताव आ सकता था, सिर्फ इतना ही काफी है। तो टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर मैं इसको नहीं रोक सकता। इस सम्बन्ध में मैं नियम पढ़ दूं—

"जिस सदस्य के नाम से प्रस्ताव हो वह प्रस्ताव वापस ले सकेगा। परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित करने के लिये सदन की अनुज्ञा माँगेगा। इस प्रक्रम पर किसी भाषण की अनुज्ञा नहीं होगी किन्तु प्रस्तावक प्रस्ताव लाने के कारणों का संक्षेप में उल्लेख कर सकेगा।"

तो इसमें व्यवस्था यही है कि मैं सदन से अनुज्ञा लूंगा। अगर सदन के मेम्बरान का पाँचवाँ हिस्सा इसके पक्ष में होगा तो मुझे अवश्य इसके लिये अनुमति देनी होगी। प्रश्न यह है कि 'यह सदन अपने अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा को उनके पद से हटाने का निश्चय करता है।' २ के प्रस्ताव पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करता है, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया अपनी-अपनी जगहों पर खड़े हो जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—वह मेरे अधिकार में है। वह मैं स्वयं कर लूंगा। जबतक मैं इस सदन को ऐडजर्न नहीं करता वह अपने आप चलेगा।

(खड़े हुये सदस्यों की गणना हो जाने के बाद)

चूंकि ११४ माननीय सदस्य अपने स्थानों में खड़े हुये हैं इसलिये सदन ने इस प्रस्ताव रखने की अनुज्ञा दे दी। अब इसके लिये कोई दिन निश्चित करने की बात है। इसके लिये मैं जानना चाहूंगा कि.....

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, कल का दिन नियत कर दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ८ नवम्बर इसके लिये निर्धारित की जाय।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, जब इस प्रस्ताव को सदन की अनुज्ञा मिल गई तो माननीय अध्यक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। इसलिये जरूरी है कि आप इसपर जल्द से जल्द फैसला दें। कल दे दें, परसों दे दें या २५ तक दे दें। इससे ज्यादा विलम्ब न करें।

श्री अधिष्ठाता—इस विषय पर मैं दो बजे बताऊंगा। आपस में बातचीत कर लें तब तय हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता—इसको कौन माननीय सदस्य पेश करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश करता हूं कि—

"यह सदन निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाय।"

मान्यवर, यह प्रस्ताव पेश करते हुये हमें बहुत दुख हो रहा है परन्तु मैं महसूस करता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत संक्षेप में कहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मुझे इतना ही कहना है कि उपाध्यक्ष महोदय ने पहले वाले उपाध्यक्ष जी की परम्पराओं को भी कायम नहीं रखा, पहले के उपाध्यक्ष, विरोधी पार्टी के होने के बावजूद भी कभी उन्होंने किसी मत में भाग नहीं लिया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय कांग्रेस के साथ मत में भाग लेते हैं और इतना ही नहीं आगे वह और भी जो अव्यवस्था देते हैं जिससे आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती है। इसलिये मैं सदन की अनुज्ञा प्रस्ताव पेश करने हेतु चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि 'यह सदन निश्चय करता है कि उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया जाय' के प्रस्ताव पर अपनी अनुज्ञा प्रदान करता है। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(खड़े हुये सदस्यों की गणना हो जाने के बाद)

इसके पक्ष में ११४ हैं इसलिये सदन ने इस प्रस्ताव को भी रखने की अनुज्ञा दे दी। तारीख दोनों के लिये एक साथ निर्धारित हो जायगी।

अब हम उठते हैं और २ बजकर ५ मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

गोरखपुर गोलीकांड के सम्बन्ध में अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ की सूचनाओं पर निर्णय

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा एक प्रस्ताव है, मैंने सुबह ही दिया है, हमने नियम ११३(१) (२) के अन्तर्गत.....

श्री उपाध्यक्ष—जरा बैठ जाइये। पहले रूलिंग हो जाय।

एक सदस्य—कोरम भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, रूलिंग देने के पहले मैं अपनी बात कह लूं।

श्री उपाध्यक्ष—पहले रूलिंग हो जाय।

"गोरखपुर सम्बन्धित कार्यस्थगन प्रस्ताव निम्न कारणों से अस्वीकार किये जाते हैं—

हाईकोर्ट के जज आयोग नियुक्त हो चुके हैं। उक्त आयोग को अधिकार दिया गया है कि वह उन समस्त घटनाओं के विषय में सम्पूर्ण तथ्यों और उनके कारणों का पता लगाने का तथा दुखद घटनाओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने की दृष्टि से समस्त घटनाक्रम के तथा स्थिति का सामना करने के तथा प्रयुक्त बल की मात्रा के सम्बन्ध में पुलिस तथा मैजिस्ट्रेसी के आचरण की जांच करेगा और उन पर तथा उनके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग इस विज्ञप्ति के दिनांक से चार महीने की अवधि के भीतर अपने कार्यों का सम्पादन करेगा।

इतने विस्तृत अधिकार दिये गये हैं कि प्रारम्भ से अन्त तक के तथ्यों की जांच व पड़ताल आयुक्त महोदय कर सकेंगे और मैं समझता हूं कि प्रस्तावना में दिये हुये विषय भी उनकी जांच के अधिकार के अन्तर्गत आते हैं।"

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जहां तक मेरा खयाल है उस रोज अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी कि सदन की अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद कुर्सी नहीं लेंगे। इसपर व्यवस्था दे दीजिये जरा।

श्री उपाध्यक्ष—जरा सुनिये। यह तो मैं रूलिंग पढ़ रहा हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—पहले मैं पढ़ दूं।

"अतः इस बात की आशंका नहीं है कि आयुक्त महोदय इस विज्ञाप्ति के किसी भी अंश से कुप्रभावित हों।

मैं समझता हूं कि कार्य स्थगन प्रस्तावों के विषय के ऊपर विचार किये जाने पर जांच की प्रक्रिया, विषय तथा प्रक्रम, सब पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है अतः यह भी अस्वीकार किये जाते हैं।

जो सूचनायें, ५२, ५३ के अन्तर्गत आयी हैं उनके सम्बन्ध में भी मैं यही समझता हूं कि यदि यह विषय इस सदन में चर्चा का बना".....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—आप इधर की बातों को सुन लीजिये, तब पढ़िये।

श्री उपाध्यक्ष—रुक जाइये।

(शोर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—आज आपका निलम्बन भी अवैधानिक होगा.....

श्री हरीशकुमार गंगवार—आपको कोई अधिकार नहीं है....आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—"तो आयोग के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित है क्योंकि वक्तव्य और प्रश्नों के उत्तरों पर सरकार का मत बहुत अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जायगा और हो सकता है कि उससे आयुक्त तथा जन समुदाय प्रभावित हो जाय। अतः नियम ५२ और ५३ में आयी हुई सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।"

(शोर)

एक-एक साहब कहें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध और माननीय आपके विरुद्ध भी एक अविश्वास का प्रस्ताव इस आदरणीय सदन में आया था और उसकी अनुज्ञा इस सदन ने दे दी है, तो श्रीमन, मैं यह आपसे जानना चाहूंगा कि अनुज्ञा प्राप्त हो जाने के बाद भी क्या आप सक्षम हैं कि आप इस कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं? यदि हां, तो उसे स्पष्ट कीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरी बात भी तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—एक-एक बात तय हो जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा भी सुन लिया जाय। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर पहले का था। आपने उनको बुला लिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस रोज मैंने अध्यक्ष महोदय के सामने प्रश्न रखा था तो उन्होंने यह व्यवस्था दी थी कि यह बात उस समय से लागू होगी, जब से सदन की अनुज्ञा प्राप्त हो जायगी, तो आप कृपाकर उस व्यवस्था को भी देख लें तब कोई व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—रूल और बता दीजिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कांस्टीट्यूशन की धारा १८१। और हम तो यह मानते हैं कि आप रूलिंग भी नहीं दे सकते....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद, एक बात सुनें.....

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अब तो सिवाय इसके कि हम सचिव से कुछ कहें, आप से तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। हम समझते हैं कि आप बिलकुल जबर्दस्ती उस जगह पर बैठे हैं। यह मेरी वैधानिक दिक्कत है।

(शोर)

एक सदस्य—यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय की ही व्यवस्था है कि अनुज्ञा प्राप्त हो जाने के पश्चात् माननीय अधिष्ठाता महोदय यहां विराजमान होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी कोई उनकी रूलिंग नहीं है और १८१ को, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। वह चीज लागू नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह आप कैसे कह रहे हैं कि उनकी रूलिंग नहीं है? मैंने आपत्ति उठायी थी तो उन्होंने कहा था.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं उस वक्त सदन में मौजूद था। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अनुज्ञा मिलने पर ही वह विचाराधीन हो जायगा। यह कांस्टीट्यूशन है, जरा सुन लीजिये न, जल्दी करने से क्या फायदा है?

१८१ में यह है....हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा,

तो यह मतलब है कि विचाराधीन के माने यह नहीं हैं कि आज्ञा मिल गई तो विचाराधीन हो गया। उस वक्त विचाराधीन होगा जब उस प्रस्ताव पर विचार होगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—फिर आप अनुज्ञा देते समय क्यों हट गये क्योंकि उस समय तो विचाराधीन नहीं था? मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं बैठे रहे?

श्री उपाध्यक्ष—वह हमारी नैतिकता के ऊपर था कि जब ऐसा कोई प्रश्न आये तो किसी तरह से कोई साहब प्रभावित न हों और स्वेच्छापूर्वक अपना मत प्रकट कर सकें, इसलिये अनुज्ञा देने के वक्त यद्यपि कि बैठ सकते थे लेकिन फिर भी उठ गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इसी संविधान की धारा १८१ (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

जबकि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन हो, तब उनको सभा में बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १८९ में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर अथवा ऐसी कार्यवाहियों में किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हक होगा किन्तु मत साम्य होने की दशा में न होगा।

तो श्रीमन्, आपको मत देने का भी अधिकार नहीं है, तो आप कैसे उस कुर्सी पर विराजमान रह सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, जरा वह कार्यवाही मंगवा लीजिये और अध्यक्ष महोदय के वह शब्द पढ़ दीजिये ताकि मेरे कलेजे को ठंडक पहुंच जाय।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय सदस्य ने १८१ की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। मैं थोड़ा-सा अंग्रेजी में पढ़कर उसका ट्रांसलेशन फिर कर दूंगा। आर्टिकिल १८१ इस तरह से है—

"At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker from his office is under consideration,....."

जिस समय वह रेजोल्यूशन उस सिटिंग में कन्सीडरेशन में हो तो, इससे ज्यादा भाषा के साथ और खींचातानी नहीं की जा सकती। अनुज्ञा मिल चुकी है, यह ठीक है लेकिन इस समय वह प्रस्ताव डिस्कशन में नहीं है। लफ्ज इसमें है—

"At any sitting of the Legislative Assembly, while any resolution for the removal of the Speaker....."

में शब्द "while" पर जोर देना चाहता हूं। "from his office is under consideration, the Speaker, or while any resolution for the removal of the Deputy Speaker from his office is under consideration, the Deputy Speaker, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 180 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Speaker or, as the case may be, the Deputy Speaker, is absent.

तो इसका तात्पर्य साफ है कि असेम्बली की उस सिटिंग में जिसमें वह प्रस्ताव विचाराधीन हो, वे लोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे। इसके माने यह नहीं हैं कि अनुज्ञा मिलने के बाद अगर ८, १० दिन बाद उसपर डिस्कशन होने वाला हो तो उस समय तक असेम्बली नहीं चलेगी। इसके बाद पांडेय जी ने उसके पार्ट टू की तरफ ध्यान दिलाया। वह इस प्रकार है—

'The Speaker shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Assembly while any resolution for his removal form office is under consideration in the Assembly and shall, not withstanding anything in article 189 be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes'

तो अगर इसे रेफरेंस और कन्टेक्स्ट में देखा जाय तो पता चल जायगा कि जिस समय उस रेजोल्यूशन पर डिस्कशन चल रहा हो उस समय वे पीठासीन नहीं रहेंगे, यह नहीं है कि दूसरे बिजनेस पर भी उनको अध्यक्षता नहीं करनी चाहिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—जो कुछ आपने पढ़ा है उन लाइनों का मतलब तो आप अपनी तरह से लगा सकते हैं और हम अपनी तरह उनको देख सकते हैं, लेकिन जिस नैतिकता की दुहाई आप ने दी है और जिसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं उसके अन्तर्गत आप देखें कि हम लोग आपके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। स्वाभाविक है कि अब आपके चेयर पर रहने से हम लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। इस चेयर पर तो अब कोई थर्ड परसन ही रहना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, अभी शरण साहब ने बतलाया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ उसी समय नहीं बैठ सकते कि जब वह प्रस्ताव अंडर कंसीडरेशन हो। मुझे यह निवेदन करना है कि थोड़ी देर पहले जब अनुज्ञा का प्रश्न सदन में उपस्थित था उस समय अधिष्ठाता महोदय यहाँ बैठे थे और उनको जब इन प्रस्तावों के लिये अनुज्ञा मिल गयी सदन की तो फिर उन्होंने कहा कि दो बजे बाद आकर मैं तिथि बतलाऊंगा कि कब इस पर बहस होगी। तो जब तक वह तिथि नहीं बतलाते तब तक यह माना जायगा कि वही प्रस्ताव जो इस सदन में उपस्थित किया गया था, जारी है और वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये बहस की तिथि और समय न मुकर्रर कर दिया जाय। चूंकि अभी तक उसका समय और तिथि नहीं निश्चित किया गया है इसलिये मेरी धारणा है कि वह प्रस्ताव स्टैंड करता है और उस समय तक के लिये अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इन बातों पर विचार कर के श्रीमन्, जैसा उचित समझें, करें।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—श्रीमन्, बहुत ही संक्षिप्त निवेदन है। प्रक्रिया नियमावली में स्पष्ट दिया हुआ है कि नोटिस, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के लिये नोटिस देने के लिये दोनों संशोधन की जरूरत होगी। नोटिस समय से दिया गया, उसके ऊपर अनुज्ञा समय से ले ली गई। अनुज्ञा समझने के बाद प्रश्न विचाराधीन हो जाता है। मैं वही समझा रहा हूं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध जब अविश्वास का प्रस्ताव मान लिया गया, उसके बाद समय निर्धारित करने की बात रह जाती है। यदि कोई प्रश्न विचाराधीन है तो वह इस बात से तय हो जाता है कि वह मान लिया जाय। अनुज्ञा के तत्काल बाद ही उस पर बहस शुरू हो जाती है। तब तो मैं समझता हूं कि आपको उसको विचाराधीन मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अनुज्ञा मिलते ही तुरन्त सदन उस पर अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ कर देता तो कोई दिक्कत विचाराधीन होने की न होती। लेकिन आप यह मान रहे हैं कि जिस समय बहस होगी, एक्चयूअली उसी समय से वह विचाराधीन हुआ। लेकिन आज जो प्रस्ताव हमने स्वीकार किया है, वह सदन के सामने है।

श्री उपाध्यक्ष—उसको मूव करने की आज्ञा मिली है।

श्री रामायणराय—जो माननीय नेकराम शर्मा जी का है उसके पक्ष में या विपक्ष में माननीय सदस्यों ने विचार करना प्रारंभ कर दिया। आप जब अवसर देंगे उनको, तभी वह विचार व्यक्त कर सकेंगे। जैसे ही वह प्रश्न विचाराधीन हो गया, हम सभी लोग मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस या सब देखने लगे कि कैसे उस प्रस्ताव के समर्थन या विरोध में विचार व्यक्त किये जायेंगे। मेरा यह कहना है कि विचार करना तो हमने प्रारंभ कर दिया। परन्तु एक्चयूअली कब उसको हाउस में व्यक्त करेंगे इसका समय आप निर्धारित करेंगे। तो वह एक स्टेज की बात है। लेकिन विचार प्रक्रिया का उस समय से प्रारंभ हो जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बृजभूषणशरण---आप इन्डीविजुअली विचार कर रहे हैं। हाउस नहीं कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप लोगों ने प्वाइन्ट आफ आर्डर इधर से और उधर से रेज किये, अब मैं अपनी बात कहे देता हूं।

(व्यवधान)

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय की बहस सुनकर निहायत आश्चर्य हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता क्या विचार के माने लिये जाते हैं। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि जब कोई रिजोल्यूशन हाउस में आने को होता है तो उसके लिये बैलट होता है। वह रिजोल्यूशन किसी के नाम बैलट हो जाता है तो वह भेज देता है। वह एजेन्डा के ऊपर आ जाता है या आप तक पहुंच जाता है। उसके बाद तारीख मुकर्रर हो जाती है उसके बाद रिजोल्यूशन होता है। उनमें से पहला आये, दूसरा आये और तीसरा आये। वह जब पहला रिजोल्यूशन विचाराधीन हुआ, तो एक बात और बता दूं कि महज रिजोल्यूशन दे देने से या बैलट तैयार कर लेने से नहीं होता है। हाउस की अनुज्ञा के बाद स्पेशल प्रोसीज्योर है कि इतने आदमी जब तक उसके सपोर्ट में न खड़े हों, तब तक वह नहीं लिया जायगा। तो जब तक आप एजेन्डे पर रखेंगे ही नहीं, तब तक कोई विचार का सवाल नहीं पैदा नहीं होता। यह कह देना कि एक रेजोल्यूशन भेज दिया और हाउस ने इजाजत दे दी इसलिये विचाराधीन हो गया, यह तो ऐसी बात है कि मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कोई समझदार आदमी इसको पेश कर सकता है। यह तो बेकार के लिये बहस की गरज से बहस की जा रही है, जिसकी न कोई मिसाल है और न हो सकती है। अब आप काफी बहस सुन चुके, जल्दी इसको खत्म करें।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---आपको हटाने की बात आयी हुई है, मेरी बात भी सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रबलीसिंह---नहीं सुनते। इसलिए हम अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। आपको सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---अब नेकराम जी शर्मा और कह लें, उसके बाद कोई न बोले।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---न्याय मंत्री जी को आपने और पूरे सदन ने सुना। उनका तात्पर्य यह था कि प्रस्तुत विषय कब विचाराधीन माना जायगा। आज के एजेंडे में यह प्रस्ताव था और उसके पक्ष में जितने सदस्य खड़े होने थे वह खड़े हुए और यह मान लिया गया कि प्रश्न विचाराधीन है। मुझे ताज्जुब है कि न्याय मंत्री तो न्याय के कस्टोडियन है, अगर ऐसे विचार वह सदन में रखते हैं तो फिर खुदा ही हाफिज है यहाँ का और उत्तर प्रदेश की जस्टिस का और आप बुजुर्ग हैं, क्या कहूं? न्याय मंत्री को यह बात कैसे शोभा देती है? आप जिस आसन पर बैठे हुए हैं, आपके ऊपर पूर्ण आस्था रखते हुए नम्र निवेदन है कि ११४ सदस्यों ने यह कह रखा है कि उस कुर्सी पर बैठने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में इन सब सदस्यों का विश्वास नहीं है और जब विश्वास नहीं है तो वह एजेंडा सामने है, उस पर विचार-विमर्श होना चाहिए, जब तक कि वह खत्म न हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथसिंह—क्या आज भी आपकी आज्ञा पालन करेंगे ? दो मिनट लगेंगे मुझे विराजने में ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा ।

(व्यवधान के बीच)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—मैं केवल एक मिनट चाहता हूं । हमारे सदन की यह परम्परा रही है और आदरणीय टंडन जी जब स्पीकर थे तो उन्होंने एक व्यक्ति से यह कहा था कि अगर एक व्यक्ति भी मेरे अन्दर अविश्वास प्रकट करता है तो मैं यहां नहीं बैठूंगा । अब जहां ११४ सदस्यों का आपके प्रति अविश्वास हो, तो मेरा निवेदन है कि आप इस स्थान को ग्रहण न करें ।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप बैठ जाइये । (कई सदस्यों के खड़े होने पर) मैं अब किसी को इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—(व्यवधान के बीच) मैं संविधान की एक धारा कोट करना चाहता हूं, मुझे बोलने की इजाजत दी जाय । धारा १८० इस प्रकार है.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये, मैंने उसको सुन लिया है, मैं अब नहीं सुनना चाहता । (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—हमारा अब आप में बिलकुल विश्वास नहीं है, हम आपके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जाइये । (श्री चन्द्रबली सिंह के न बैठने पर) आप बैठ जाइये, अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे आपसे सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—श्रीमन्, हमारा अविश्वास का प्रस्ताव है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठिए । जो सदन में इस बात पर एतराज उठाया गया है कि चूंकि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन की अनुज्ञा मिल गयी है इसलिये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, वह बात बिलकुल गलत है । जो शब्द नियम में हैं वे यह हैं कि "पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो"। इन शब्दों के यह मानी हैं कि जब उस पर बहस हो रही हो.....

(व्यवधान)

अभी वह विचाराधीन नहीं है, वह एजेन्डे पर भी विचार के लिये नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से बैलेट होता है उसी तरह से इस पर अनुज्ञा हुई है, वह चाहे मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्ताव हो, चाहे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो । अभी तो केवल अनुज्ञा मिली है.....।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, एक व्यवस्था का सवाल है । आपने कहा कि अभी यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं है जब कि सदन के सामने यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं। जब मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न कैसा? मेरी व्यवस्था यह है कि जब विचार के लिये कोई संकल्प होगा तो वह एजेंडे पर आयेगा, फिर उसके बाद प्रस्ताव पेश होगा और उसके बाद वह विचाराधीन होगा। अभी तो केवल अनुज्ञा मिली है। अनुज्ञा के माने केवल यह हैं कि प्रस्ताव रखने के लिये आपको मौका मिलेगा कि आप प्रस्ताव रख सकें। जब प्रस्ताव रखेंगे तब उस पर विचार होगा। इसलिये वह अभी विचाराधीन नहीं कहा जा सकता और डिप्टी-स्पीकर सदन को प्रेसाइड कर सकते हैं। जहाँ तक टाइम का ताल्लुक है कि कब होगा, अभी यह थोड़ी देर में बतलाता हूं।

दफा ५२ के अन्तर्गत कई सूचनायें मिली है उनमें से.....,

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—कामरोको प्रस्ताव पर आपने जो व्यवस्था दी है उस पर मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें क्लेरिफिकेशन की क्या बात है?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक प्वाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि आज भी गोरखपुर में करफ्यू आर्डर लगा हुआ है, वहाँ दफा १४४ लागू है, बेगुनाह गिरफ्तार किये जा रहे हैं जिससे वहाँ एक भयावह स्थिति और अशान्ति व्याप्त है। वहाँ के डी० आई० जी० ने गोली चलवायी और जुडिशियल इन्क्वायरी जो आपने बैठायी है.....

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मुसीबत तो यह है कि आप सुनते तो हैं नहीं। जिस प्रपोजीशन पर आपने व्यवस्था दी है उसी पर मैं बोल रहा हूं। आज गोरखपुर में करफ्यू लागू है, वहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और वहाँ के डी० आई० जी० व डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ चार्जेज हैं जिनको वहाँ से हटाने के बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वहाँ शान्ति कैसे स्थापित होगी, इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना क्लेरिफिकेशन दें। जब कि शान्ति रक्षक ही शान्ति की अव्यवस्था पैदा करने पर उतारू हैं....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहें तो इस संबंध में कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय जिसकी चर्चा माननीय नरसिंहनारायण जी ने की है, जब अध्यक्ष महोदय यहाँ थे तो उस समय भी इस पर बहस हुई और अपने विचार मैं इस विषय में व्यक्त कर चुका हूं कि जुडिशियल इनक्वायरी कमेटी की नियुक्ति हो जाने के उपरान्त अब किसी ऐसे प्रश्न पर विचार करना जिससे कि हम उस कमीशन के डिसीजन पर तथा उनके विचारों पर कोई ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे इधर या उधर प्रिजुडिस पैदा हो, मेरा नम्रता के साथ निवेदन है कि इस पर बहस की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं इसका क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि आज जो अस्पताल में पुलिस पड़ी हुई है वह किसके आर्डर से पड़ी हुई है। मेरी समझ से तो वह माननीय मुख्य मंत्री और जिलाधीश के आर्डर से पड़ी हुई है.....

श्री उपाध्यक्ष—यह प्रश्न इस समय नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जब आपने एक जुडिशियल इनक्वायरी की बात मान ली और एक जज को मुकर्रर कर दिया तो फिर पुलिस का अस्पताल में पड़े रहने का क्या मतलब है जहाँ कि घायल लोग पड़े हुए हैं ? आज वहाँ शान्ति का वातावरण पैदा करने के लिये पुलिस को अस्पताल से हटा लेना चाहिये। जुडिशियल इनक्वायरी कमीशन नियुक्त हो जाने के बाद वहाँ किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिये। किस तरह से पुलिस उन लोगों को और उनके संबंधियों को जो कि आज अस्पताल में पड़े हुए हैं, परेशान कर रही है, वह नहीं होना चाहिए और इस तरह से गिफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिये और दफा १४४ वहाँ से वापस होना चाहिये ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक प्रार्थना के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को एक व्यावहारिक सुझाव देना चाहता हूं कि जो खबरें हमारे पास टेलीफोन द्वारा आ रही हैं या जिनका जिक्र अभी माननीय पांडेय जी ने किया है या जो साथी हमारे वहाँ से गाड़ी से आये हैं उनसे जो कुछ हमें मालूम हुआ है उसको समझ कर एक प्रार्थना मेरी मुख्य मंत्री जी से है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं या अपने किसी वरिष्ठ केबिनेट के साथी को जरूर वहाँ भेजें, वहाँ की इन्क्वायरी में हस्तक्षेप के लिये नहीं बल्कि केवल इसलिये कि वहाँ की स्थिति बद से बदतर न हो, गंभीर से गंभीरतर न हो। यह इसलिये बहुत आवश्यक है कि उस मामले में डी० एम० और डी० आई० जी० इन्वाल्व हैं, मैं इसमें नहीं जाता कि उसमें कितना किस का हाथ है लेकिन सिचुयेशन को अब भी उन्हीं के हाथ में छोड़े रखना उचित न होगा। इसलिये पूरे प्रदेश की न्याय और शान्ति व्यवस्था के नाते मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह स्वयं या अपने किसी वरिष्ठ मंत्री को वहाँ भेजें ताकि यह मामला आगे नियंत्रण में रहे ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, निवेदन है कि गोरखपुर के मामले में कामरोको प्रस्ताव नियम ५२ और नियम ५३ सब अस्वीकार हो गये, बड़ा गंभीर मसला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री, माननीय न्याय मंत्री और उधर के बैठने वाले सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर का यह मामला कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है । यह ठीक है कि मुख्य मंत्री जी और उनकी कैबिनेट ने कमीशन को बिठाने का फैसला ले लिया है लेकिन क्या टर्म आफ रिफ्रेन्स हों इस सब पर विचार करने के लिये यह सदन सक्षम है क्योंकि आप ने कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ तथा ५३ में इसको नहीं लिया है। अध्यक्ष महोदय जब आप की जगह पीठासीन थे . . . .

श्री उपाध्यक्ष—प्राइवेट तौर से आप उनसे बात कर लें ।

श्री कल्पनाथसिंह—यह मामला कोई अकेले मुख्य मंत्री का या कैबिनेट का नहीं है यह प्रदेश के पुलिस प्रशासन और सारी जनता का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—इसके बारे में रूलिंग हो चुकी है।

श्री कल्पनाथ सिंह—कहाँ हुई है रूलिंग, आप पढ़कर सुना दें क्या रूलिंग हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह सब को मालूम है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—नहीं हुई हैं, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि दो बजे जब बैठेंगे तब रूलिंग देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—पांडेय जी ने केवल क्लेरिफिकेशन चाहा है, उसी में वह चाहते हैं जो रूलिंग हो चुकी है, आप कहते हैं कि नहीं हुई है।

श्री कल्पनाथसिंह—वह नहीं हुई है, आप पढ़कर सुना दें कि क्या हुई है।

कर-वृद्धि विरोधी सत्याग्रहियों पर लखनऊ जिला तथा आदर्श जेल में कथित अत्याचार एवं दुर्व्यवहार के कारण की गयी भूख हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—अब दफा ५२ की सूचनाओं में से एक सूचना स्वीकार की गई है और वह यह है कि "कर वृद्धि विरोधी आन्दोलन के कारण लखनऊ जिला तथा आदर्श जेल में बन्द आन्दोलनकारियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं। तीन चार दिन पूर्व दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप सभी ग्रामवीरों (बन्दी) ने एक दिन की प्रतीक भूख हड़ताल की थी। परन्तु फिर भी अधिकारियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आदर्श जेल में बन्द लोक सभा में जनसंघ दल के उप नेता, श्री बृजराज सिंह, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विरोधी दल के उपनेता, श्री कृष्णपाल सिंह सहित अन्य सभी विधायक तथा संसद सदस्य भूख हड़ताल पर हैं।

इस समाचार से सम्पूर्ण प्रदेश में घोर असंतोष तथा उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो रहा है। अस्तु, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

अब यह भेज दिया जायगा गवर्नमेन्ट के पास। कल बतला देंगे वह कि किस दिन वक्तव्य देंगे ?

गोरखपुर में गोलीकांड के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव, नियम ५२ तथा ५३ की सूचनाओं पर निर्णय के संबंध जानकारी

श्री कल्पनाथ सिंह—इस विषय में क्या रूलिंग हुई है सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये बतला दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप बड़ी देर से खड़े हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—मुझे मौका दें। मैं वह कामरोकों प्रस्ताव सदन की मेज पर रख सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—वह रूल आउट हो चुका है। अब कोई सवाल नहीं उठता।

श्री कल्पनाथसिंह—जो रूलिंग हुई है उसे पढ़ कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष—रूलिंग एक दफा हो चुकी है। अब एक दफा कोई खड़ा हो जाय और दूसरी दफा कोई खड़ा हो जाय और कह दे कि रूलिंग पढ़ दी जाय, यह कहाँ तक उचित है ? जितने प्रस्ताव थे इस संबंध में, वे रूल आउट हो चुके हैं। आयोग मुकर्रर हो गया है। जो बहस होगी वह उसको प्रभावित करेगी। इसलिये सब प्रस्तावों को रूल आउट कर दिया गया है क्योंकि मामला सबजूडिस हो गया है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—सरकार केबिनट में प्राइवेटली कोई चीज तय कर ले और हाउस को हक न दे उस पर विचार व्यक्त करने का, यह कहाँ तक उचित है ? इस तरह की फायरिंग हर साल होती है।

श्री उपाध्यक्ष---आप तो संविधान को जानने वाले हैं। जब एक दफा रूल आउट हो चुका है तो फिर सवाल उत्पन्न नहीं होता है।

श्री बलवानसिंह---प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इसके प्रोटेस्ट में दो मिनट के लिये वाक आउट करती है।

(इसके उपरान्त प्रजा समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त---दो मिनट के लिये जनसंघ दल वाक आउट करता है।

(इसके बाद जनसंघ दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---इस आदरणीय सदन में जो आपने रूलिंग दी है जहाँ पर जनतंत्र की रक्षा होती है और जो सदन जनमत की भावनाओं का प्रतीक है उन भावनाओं को व्यक्त करने का जब मौका नहीं दिया जाता है तो यह भावना किस तरफ हमें ले जायगी, इससे देश में एक दूसरे तरह की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। इस सरकार ने और आप की व्यवस्था ने हमें मजबूर किया है कि हम सदन का ५ मिनट के लिये वाक आउट करें।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री झारखंडेराय---जो व्यवस्था दी गई है, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश के विद्यार्थियों के विरोध में है वहां, सदन के पौने २०० सदस्य की भावनाओं के विरोध में भी है। मैं समझता हूं कि इस समय जनमत को शांत करने के लिये और गोरखपुर की घटना आगे न बढ़े और फैले इसके लिये हमें आज्ञा मिलनी चाहिये थी ताकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते। लेकिन जो व्यवस्था दी गयी है उसके प्रति मैं अपना तीव्र विरोध प्रकट करता हूं और विरोध-स्वरूप में और मेरी पार्टी सदन का त्याग ५ मिनट के लिए करती है।

(इसके उपरान्त साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवानसहाय---उपाध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था आप की हुई है उसके प्रोटेस्ट में हम लोग पांच मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(इसके बाद निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, हम लोग भी पांच मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(इसके उपरान्त स्वतंत्र दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा---श्रीमन्, आप की आज्ञा से, मैं एक प्रस्ताव यह पेश करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---चीन के सम्बन्ध में कई सूचनायें हमारे पास आयी हैं। कुछ बधाई की हैं और कुछ दूसरी तरह की हैं। मुख्य मन्त्री जी आज सब नेताओं से परामर्श करेंगे और उसके बाद यहां लायेंगे। इसलिये यह सब स्थगित कर दिये गये हैं।

श्री नेकराम शर्मा---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस सदन के माननीय सदस्य और जितने भी मंत्रीगण हैं वे सब एक दिन का डी० ए० माननीय मुख्य मंत्री जी को भेज दें और मंत्रीगण एक दिन की तनख्वाह दे दें और वह सब नेफा में भेज दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसे प्रस्ताव जब आते हैं तो लीडर आफ़ दि हाउस की तरफ़ से आते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक चीन के हमले का सम्बन्ध है, आज मैंने विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करके पौने ६ बजे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की बैठक तिलक हाल में बुलायी है और वहां इस मसले पर हम विचार करेंगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और दूसरा प्रश्न भी जो अभी शर्मा जी ने उठाया है उस पर भी हम वहां विचार करने वाले हैं।

श्री रामायणराय---उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम १०६ के अन्तर्गत चीन का जो आक्रमण है.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय रामायणराय जी, अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सब नेताओं को बुलाया है और वहां मंत्रणा करने के बाद यहां आयेगा। इसलिये आप मान जाइये, विराजिये।

श्री रामायणराय---हैरानी इस पर होती है जब आप पूरी बात नहीं सुनते हैं और बीच में बोलना शुरू कर देते हैं (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---मैं बोलना शुरू कर देता हूं? यहां इतना शोरगुल है कि समझ में नहीं आता कि क्या किया जाय। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात कह दी। उसमें कोई मतभेद की बात तो है नहीं। मान जाइये।

श्री रामायणराय---मैं कोई नयी बात या प्रस्ताव से अलग कोई बात तो कह नहीं रहा था। मेरा एक वैधानिक अधिकार है। उस अधिकार के बारे में मुझे निवेदन नहीं करने दिया जाता। मैं आप से आग्रह यह कर रहा था जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का निमन्त्रण हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि उन्होंने विधान सभा से अलग कहीं तिलक हाल में माननीय सदस्यों की कोई मीटिंग इस अहम समस्या पर विचार करने के लिये बुलायी है। हमको इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं तो यह चाहता था कि सदन में जहां कि प्रत्येक प्रकार के प्रतिबन्ध विद्यमान हैं, जहां पर कि कोई प्रोसीडिंग जिसे आप देश हित या राज्य हित में न समझें उसको आप रोक सकते हैं, वहां पता नहीं क्यों माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस पुनीत प्रस्ताव पर विचार करना वांछनीय नहीं समझा।

श्री उपाध्यक्ष---यहां क्या कार्यवाही की जाय, यह भी विचार कर के वहां तय कर लिया जायगा।

श्री रामायणराय---अच्छी बात है। तो मेरा प्रस्ताव नियम १०६ का आपके सामने विचाराधीन है।

श्री श्यामलाल---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जो रूलिंग गोरखपुर फ़ायरिंग के सिलसिले में हुई है वह बडी असंतोषजनक हुयी है और इस रूलिंग के अनुसार ऐसा आभास होता है कि आयोग की नियुक्ति के पश्चात् यह हाउस कम्पीटेंट नहीं है कि इस तरह की चीज पर डिसकशन हो। लेकिन जहां मैंने पढ़ा है.....

श्री उपाध्यक्ष---रूलिंग पर कमेंट न कीजिये। रूलिंग प्रक्रिया नियमावली के मुताबिक हुई है। अब आप कोई बात न कीजिये।

श्री श्यामलाल---श्रीमन्, हमारा रिपब्लिकन दल ५ मिनट के लिये वाक आउट करता है।

(इसके उपरान्त रिपब्लिकन दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने नियम ११३ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दे रखा है उसको इजाजत दे दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—वह भी उसी के अन्दर है। देखिये, वे सब देख लिये गये हैं और आप लोग जो तय करेंगे उस समय वे आयेंगे। इसलिये इस पर चर्चा न करें। वह उसमें ही शामिल है।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, इससे वह सम्बन्धित नहीं है। वह तो केवल एक लाइन का प्रस्ताव है। आप जरा देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, जितने कंडोलेन्स और प्रशंसा के प्रस्ताव होते हैं वे सब लीडर आफ दि हाउस की तरफ़ से होते हैं। आज वे स्थगित कर दिये गये हैं कोई रूल आउट नहीं किये गये हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—आप के इस प्रस्ताव के देख लेने के बाद यदि आज्ञा होगी तो मैं माननीय नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको पेश करें।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, नेता सदन ने आप लोगों को आमंत्रित किया है।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, वह चीन वाला नहीं है। पहले ही आप फैसला दे देंगे तो बड़ी बदकिस्मती होगी।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, कंडोलेंस के जो प्रस्ताव होते हैं वे लीडर आफ दि हाउस की तरफ से होते हैं। उनसे आप बात कर के कर सकते हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, नियम देख लें, कोई भी सदस्य कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—ठीक है, लेकिन एक परम्परा रही है।

श्री कल्पनार्थसिंह—श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इस प्रकार की सूचना लिखकर भेज दी जाय ताकि वह देख लें। मैंने उनके देखने के लिये सूचना भेज दी है। आप इस समय पीठासीन हैं। आपकी रूलिंग शिरोधार्य है लेकिन मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—आप ज्यादा जिद कर रहे हैं। कल तक के लिये रहने दीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ११३ (२) के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा है और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि २ बजे लिया जायगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं उसे पेश कर सकता हूं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—काहे के बारे में था ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं उसे पढ़ देता हूं। वह इस प्रकार है कि.....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये [वह सबेरे तक के लिये स्थगित है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—देखिये चीन के बारे में यह तय हुआ है.....

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—श्रीमन्, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि....

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसको इस समय एलाऊ नहीं करता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—कब एलाऊ करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—विचार करने के बाद बताऊंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—कब तक विचार हो जायगा ? अध्यक्ष महोदय, ने कहा था कि २ बजे आकर वे इसको लेंगे, इसके बारे में क्या हुआ ? इस पर व्यवस्था दे दीजिये। श्रीमन्, मैं २ बजे इस प्रस्ताव को पढ़ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सदन के बैठने पर ही फौरन् मैं ले लूंगा। मैं १३३ (१) और (२) के अन्तर्गत ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें भी आज्ञा की बात है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, इस वक्त पेश करने की।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—कब फैसला करेंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष—पीछे से बता दिया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप के कमरे में आकर जानूं ?

श्री उपाध्यक्ष—कमरे में न आइये। यहीं बता दिया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये। अब सब खत्म हो गया।

श्री मैनेजर सिंह—नहीं, चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह—दस बार मैं खड़ा हो चुका हूं। आप सुनते नहीं हैं। इसीलिये हटाने का प्रस्ताव आया है। अगर यह दशा न होती तो अविश्वास का प्रस्ताव न लाते ।

श्री उपाध्यक्ष—उस पर जो हाउस का हुक्म होगा वह माना जायगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ११३ का एक प्रस्ताव दिया था, उसके विषय में आपने क्या किया ? वह सभी नेताओं ने दस्तखत करके आपको दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—जोत कर विधेयक हाउस के विचाराधीन है। उस पर जो हाउस फैसला करेगा वह होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप कृपया उस प्रस्ताव को पढ़ें और पढ़ने के बाद रूलिंग दें ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय यादवेन्द्रदत्त, आप जवाब दें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—श्रीमन्, जनसंघ ने कल अपना सत्याग्रह वापस ले लिया है और इसलिए ले लिया है कि हमारे देश पर संकट है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। सारा सदन इस बात का इच्छुक है कि जब हमारी सीमा पर....

श्री उपाध्यक्ष—यह तरीका कोई अच्छा नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—हमारे राष्ट्रपति ने भी यह घोषणा की थी कि जितनी भी पालिटिकल पार्टियां हैं अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला कर राष्ट्रीय हित में योग दान दें। जनसंघ ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, कम से कम, इस लैंड टैक्स बिल को वापस न करें तो स्थगित कर दें जिससे हम राष्ट्रपति के पास जा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—आपने अपील कर ली। अब विराजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय जब चेयर पर थे तो मैंने उनके द्वारा एक प्रश्न माननीय मुख्य मन्त्री जी से किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जब यह विवाद शुरू हो तब आप यह प्रश्न करियेगा। वह प्रश्न अब भी माननीय मुख्य मन्त्री जी के प्रति उपस्थित है। देश में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए और देश में विवाद समाप्त हो इस दृष्टि से क्या है वह इस जोत कर विधेयक को वापस लेने की सोच रहे हैं, केवल यह जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहेंगे, गवर्नमेन्ट की तरफ से जो जवाब होगा उस जवाब में आ जायगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री अगर जवाब देना चाहते तो स्वयं खड़े हो जाते। लेकिन वह खड़े नहीं होते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—वह सो रहे हों, थक गये हों, पूछ भी तो लें।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप मजबूर नहीं कर सकते किसी को। आप जवाब दीजिए।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि किस डिक्शनरी में पूछना और मजबूर करना बराबर है?

श्री उपाध्यक्ष—तो आप ने पूछ लिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप उनसे पूछ लें। आपके द्वारा ही तो मैंने उनसे पूछा है।

श्री उपाध्यक्ष—आपने पूछ लिया। वह बैठे हैं, सुन रहे हैं सब। अगर उनको जवाब देना होता तो दे देते। अब आप शुरू कीजिए।

†उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)*

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो बहुत कुछ था इस पर, लेकिन मैं सोचता हूं कि अब कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो गया है देश में, एक विदेशी का आक्रमण हमारी सीमा पर हो गया है और उस आक्रमण से हमें अपने देश की रक्षा करनी है, उस रक्षार्थ जितने भी हमारे विवाद हैं वह हमारे परस्पर के विवाद हैं, परन्तु एक विदेशी के सम्मुख तो हमारा कोई विवाद नहीं है—'वयम् पंचाधिकम शतम्'। आज घर में हम भले ही १०० और ५ हों लेकिन विदेशी के खिलाफ हम लोग १०५ हैं। तो उस दृष्टि से जनसंघ ने अपना अनुरोध आन्दोलन वापस लिया और देश की अब स्थिति यह नहीं है कि आरोप-प्रत्यारोप हो जिससे कि आपस की कटुता बढ़े। इसलिए मैं शरण भाई की चांदनी रात और कुछ लोगों के अंधेरी रात में हल चलाने का जो सारा वर्णन हुआ है, उस की चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन श्रीमन्, बनारसीदास जी जिनको कि हम लोग स्वनामधन्य कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं कि जिन पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सूचना मन्त्री के लिये माना जाता है कि सूचना से परिपूर्ण हैं। जैसे कलश को हम लोग जल से परिपूर्ण मानते हैं उसी तरह सूचना मन्त्री को भी सूचना से, परिपूर्ण मानते हैं और सूचना से परिपूर्ण होने के माने हैं कि बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है कि सूचना मन्त्री को बुद्धि से कोई मतलब नहीं होना चाहिये। (व्यवधान) अब आप को तो मैं क्या कहूं? केवल गन्ना ही गन्ना है आपको। उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात कह दी कि जिससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह फरमा दिया मेरा नाम लेकर कि

---

†४ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

*१९ अक्तूबर, १९६२ की कार्यवाही से।

काश्मीर का जो, प्लेबिसाइट का प्रश्न है उस पर भी रेफ्रेंडम की बात वह मान जायेंगे क्या ? मैं समझता हूं कि जनतंत्र की बड़ी दोहाई देते हैं हमारे स्वनामधन्य माननीय सूचना मन्त्री महोदय, उसकी एक सर्वमान्य परम्परा है उसमें जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न होते हैं उसके ऊपर रेफ्रेंडम का प्रश्न नही उठता है।

इंगलैंड ने जब हेलिगुलेन बाइट जर्मनी को दिया था तो रेफ्रेंडम हुआ था। प्रश्न उठता है रेफ्रेंडम का उस समय जब कि कोई टैक्सेशन मेजर का सवाल होता है, जिस मेजर के बारे म जनरल एलेक्शन में पार्टियों ने कोई एश्योरेंस न दिया हो। ऐसे ही मेजर जब होते हैं तो उसके ऊपर जब डिमांड होती है जनरल एलेक्शन की तो वह मान्य होती है। आप को याद होगा इंगलैंड में ई० सी० एम० की बात चल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के मैनिफेस्टो में यह बात नहीं थी। परन्तु अब चूंकि उन्होंने इस प्रश्न को लिया है तो वहां की पार्लियामेंट में यह विचार हो गया है और बहुत ही जल्दी ई० सी० एम० के ऊपर ही वह इंगलैंड के अन्दर एलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पार्लियामेंट डिजाल्व होने जा रही है। यह जो फर्क है आपके जनतंत्र का मैं समझता हूं कि हमारे सूचना मन्त्री जी उस तरफ से अनभिज्ञ हैं और होना भी चाहिए श्रीमन् क्योंकि वह स्वनाम धन्य हैं, कितनी ही बातों से अनभिज्ञ रहते हैं। मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। आजकल तो वह मुझसे जरा नाराज रहते हैं और नाराज रहने का उनका कारण भी है क्योंकि माननीय सूचना मन्त्री जी तो इस सिद्धान्त को मानते हैं—'Be may brother or I will bash your head'. या तो मेरी बात मान नहीं तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। दुर्भाग्य है कि मैं उनकी बात मानने में असमर्थ हूं। यह आपकी ही परंपरा और आदर्श है। जो मेरे मन में उनके लिये आदर था उसे ठेस पहुंची है। सूचना मन्त्री जी पार्लियामेंटरी अफेयर्स के भी मंत्री हैं, उनको इसकी जानकारी होनी चाहिये थी और अगर उन्हें जानकारी नहीं थी तो इस बात को उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बड़े जोर से सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग किया। मैं नहीं समझता कि सांप्रदायिक शब्द के माने क्या हैं, आज कल तीन चार शब्द ऐसे हैं कि जो भी भाषण के लिये खड़ा हो आसानी से उनका प्रयोग करने लगता है। एक शब्द है ऐसा ही प्रोग्रेसिव। अगर केवल काल गणना से ही प्रोग्रेस तय होती है तो कल हम लंगोटी बांधते थे, आज धोती पहनने लगे, इसे क्या हम प्रोग्रेस कहेंगे ? अगर काल गणना ही प्रोग्रेस का मापदंड हो तो कल हम पैर के बल चलते थे और आज स्वनाम धन्य सिर के बल चलने लगे, इसे क्या हम प्रोग्रेस कहेंगे ? जब किसी के पास कोई तर्क नहीं रहता तो यह स्वाभाविक है कि वह गालियां देना शुरू कर दे। मैं उनकी बहुत सी बातों का उत्तर देना नहीं चाहता क्योंकि मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि बुराइयां और अच्छाइयां बाई क्लास होती हैं। गुण और दुर्गुण व्यक्ति व्यक्ति में अलग अलग होते हैं और अगर हम इसमें क्लास वाली बात शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि वह स्तर के नीचे की बात होगी। इसलिये मैं इसकी चर्चा नहीं करता।

एक चर्चा १८५७ की बड़े जोर से आपने की। मैं पूछता हूं कि १७६० में आप कहां थे ? और १८५७ में आप कहां थे ? इस देश ने हजारों स्वतंत्रता की लड़ाइयां लड़ी हैं। जो सहस्रों वर्षों से दास रहा है उसने हजारों युद्ध किये होंगे। इस बात के लिये यदि आज्ञा हो तो अंग्रेजी का एक वाक्य कह दूं "चीप क्लैप ट्रैप" वाली बात है, वही फूटा हुआ रेकार्ड, बार बार में में करना शुरू कर देता है। तर्क कुछ नहीं, गाली-गलौज करने से, १८५७ की बात कहने से, कोई लाभ निकलता नहीं। मुझे आशा थी कि कम से कम उधर के फ्रंट बेंचेज पर बैठने वाले संतुलित, तर्कयुक्त और संयत बात बोलेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मेरी कुछ आशा रखी, किन्तु बाक़ी लोग जो उधर से बोले उनको या तो विषय का ज्ञान नहीं था, या जिसे अंग्रेजी में कहें—लेडीज प्रोटेस्टिंग टू मच। कस्में खाने की पद्धति जो गालियों में ही परिणत हो गयी और एक भी तर्क नहीं आया कि यह लैंड टैक्स इसलिये लगाया जाय। जो तर्क आये थे वे लचर, युक्तिहीन और अविश्वसनीय। श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ नवलकिशोर जी पर। दुःख है कि वे यहां उपस्थित नहीं हैं.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उनके बहनोई की डेथ हो गयी है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मुझे बड़ा दुख है और उसके लिये मुझे समवेदना है। उन्होंने बड़ी बातें कहीं। बड़े आंकड़े दिये। जैसे आंकड़ों की एक पंक्ति बांध दी हो, एक तांता लगा दिया हो, इतना गुड़ हुआ, इतनी चीनी हुई और इतनी अरहर हुई। वह इतना सब कह गए कि मुझको बस यही मालूम पड़ा कि सिर्फ घास के आंकड़े रह गए हैं।

मैंने एक प्रश्न किया कि आप यह बढ़े हुए प्रोडक्शन की बात कहते हैं। परन्तु आपने बढ़े हुए एकरेज आफ लैंड कल्टीवेशन को छोड़ दिया है। अगर आप २० बीघा जोतते हैं और उस पर १०० मन अनाज होता है और आप ने २१ बीघा कर दिया तो प्रोडक्शन भी १०५ मन हो जायगा, बढ़े हुए प्रोडक्शन के साथ साथ तो आपने एकरेज भी बढ़ाई है। इसलिये मैं आप के आंकड़ों को सही नहीं मानता हूं। आज गांवों की दशा में आप को बताऊं कि वहां पर किसान ने मेड़ तक की भूमि को जोत डाला है। तो इस तरह से जब आप यह सोचते हैं कि किसानों के पास बड़ा पैसा आ गया है तो यह तथ्य गलत हो जाते हैं। कम से कम यह फ्रन्ट बेन्चेज के लिये तो शोभा नहीं देता है। वह भले ही चीप क्लैप ट्रैप में चले जायें लेकिन आपको तो कम से कम किसी बात को कसौटी पर कस कर के देख लेना ही चाहिए। ठोस बात कहनी चाहिए।

एक बात और कहूंगा कि आज योजना का बड़ा हल्ला है। चारों तरफ प्लान प्लान ही सुनाई देता है। भगवान जाने क्या है यह प्लान। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि यह योजना मनुष्य के लिये है या मनुष्य ही योजना के लिये है। इस बात का उत्तर कहीं से नहीं आया। आखिर योजना किस के लिये बनीं। आप यदि मेरे लिये १०० मन का कोट बनवा दें लोहे का और कहें कि इसको पहन कर तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन सवाल है कि मैं उस कोट को संभाल पाऊंगा या नहीं। मैं तो उसको पहनने में ही मर जाऊंगा। ठीक यही हालत आज आप की योजना की भी है। अगर हमारी पेईंग कैपेसिटी नहीं है और हम टैक्स देने में असमर्थ हैं तो हम समाप्त हो जायंगे और दरिद्रता और बढ़ती जायगी। उससे हमारी परचेजिंग केपेसिटी का ह्रास होगा और वह नष्ट होगी। इस तरह से सारी योजना असफल हो जायगी। टैक्सेशन के अर्थ यह नहीं हैं कि वह सारी अर्थ व्यवस्था को ही नष्ट कर दे बल्कि उसको तो और अर्थ व्यवस्था को जनरेट करना चाहिए और जीवन देना चाहिए। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि आज देहात की आमदनी घटी है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब सरकारी आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश की जाती है कि देहातों की आमदनी बढ़ी है। जो बजट के समय आप की पुस्तिका निकली थी उसमें तो यही लिखा था कि देहात की आमदनी घट गई है परन्तु इस बिल के समर्थन के लिये पता नहीं कहां से वह बढ़ गई है। यदि मैं गलत कहता हूं तो माननीय मंत्री जी मुझको सही कर दें, वह तो कहीं चले गए हैं। परन्तु वह हमसे कहते हैं कि आंकड़े को छोड़ो और आंखों से देखो। आप आंखों से ही देखें कि प्रदेश की गरीबी बढ़ी है या नहीं। हम लोगों ने आंख से देखा है। आज उसकी गरीबी बढ़ी है, ऊपर की टीम-टाम अच्छी दिखलाई पड़ती है। जिसको हम स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ा हुआ कह देते हैं कि टीनोपाल से कुर्ता धोकर नील से धो लिया, वह आमदनी का बढ़ाना नहीं है, वह तो खोखलापन है। आंख से देखिये तो दरिद्रता बढ़ी है, खुशहाली नहीं बढ़ी। जैसा मैंने उस दिन कहा और हमारे विकल जी ने बड़े जोरों से कहा कि आर्थिक उन्नति और ह्रास का बड़ा भारी लक्षण होता है जन-स्वास्थ्य। आज संक्रामक रोग, जैसे टी० बी० बढ़े हैं। वाइटैलिटी लोगों की कम हो गयी है, लोगों की पावर आफ रेजिस्टेंस कम हो गयी है इसलिए कि आवश्यक भोजन अपर्याप्त है। इसलिए यह कहना कि गांव की क्रय शक्ति बढ़ गयी है, मैं समझता हूं बड़ी गलत बात है।

बनारसीदास जी ने एक बात बड़े जोरों से कही कि हम तो किसानों को ६० परसेंट रिबेट दे रहे हैं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—मैंने कहा कि भूमिधर लोगों पर जहां ढाई परसेंट लगा है वह ६० परसेंट रिबेट देने के बाद जो आयेगा वह कर देना पड़ेगा और वह सीरदार के मुकाबले में कम होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो सरकार आज से कुछ ही वर्ष पहले अपने दिये हुए वचन को भंग कर रही है, उसको आप पोलिटिकल नेसेसिटी, इकोनामिक नेसेसिटी कह लें या अपनी अपात्रता कह लें, उसके वचनों का विश्वास क्या कि जो आज रिबेट दिया जा रहा है वह काट नहीं दिया जायगा? मेरा तो स्पष्ट आरोप है कि जो "रिबेट" शब्द है वह किसानों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास है। जिसने प्लान के नाम पर इरिगेशन पर दिये हुए रिबेट को खत्म कर दिया, वह सरकार बहुमत के बल पर इसको भी खत्म कर सकती है।

श्री बनारसीदास—यह तो कानून का हिस्सा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—हिस्सा केवल आंख में धूल झोंकने के लिए है। माननीय सूचना मंत्री जिनको सभी सूचना केबिनेट की गुप्त, और प्रत्यक्ष सब प्राप्त हैं और जिनको कभी-कभी डि-फक्टो चीफ मिनिस्टर कहते हैं उनके लिए यह बात उचित नहीं है। इस प्रकार के आर्गुमेंट्स के ऊपर अगर एक अनजस्टिफ़ायेबिल टैक्सेशन मेजर अगर जस्टिफाइड किया जायगा तो प्रशासन सूबे का चल चुका। श्रीमन्, मुख्य मंत्री मुझ को सही कर दें अगर मैं गलत कहूं...

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम आपको कैसे दुरुस्त करेंगे?

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप तो बिगड़ ही गये, इसलिए हम तो आपकी सोहबत से दूर रहते हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो एक्सपर्ट्स योजना बनाते हैं वह अनुभवहीन और अनभिज्ञ थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने नहीं कहा।

श्री यादवेन्द्र दत्त—आप तो हुकुम मानने वाले हैं, आप की बात नहीं कहता। श्रीमन्, प्रश्न यह है कि अगर अनुभव नहीं था तो एक्सपर्ट किस बात के थे। यह तथाकथित एक्सपर्ट्स के कार्यों का ही परिणाम है कि हमारी दोनों योजनायें विफल हो गयीं। थ्योरीटिकल एक्सपीरियन्स के कोई मानी नहीं होते। केवल सैद्धान्तिक अनुभव की ही जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव भी चाहिये। श्रीमन्, जीवन का एक यह बड़ा भारी सिद्धान्त है कि जो भी चाहे आदर्शवाद हो, चाहे व्यक्तिवाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे कोई आन्दोलन हो, अगर वह व्यवहारिकता से परे है तो उसका हमेशा पतन हुआ है। तो यह तथाकथित थोथे ज्ञानियों को लेकर अपनी योजना बनायें, और हम उनसे यह आशा करें कि वह योजनायें सफल होंगी, यह एक शेखचिल्लियों का सपना है। जिन्होंने दस वर्ष तक हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, केवल एक्सपर्ट्स होने के नाम पर, अब ऐसी परिस्थिति आ गयी है कि और ज्यादा जनजीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिये। जिस चीज को माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनौती दी, उसको साबित करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वह उधर से ही साबित हो गयी। माननीय विकल जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप ह्विप हटा दें और फिर देख लें कि बहुमत आप के पक्ष में है या नहीं। इधर के ही नहीं, उधर के बैठने वाले भी यह अनुभव करते हैं कि यह टैक्सेशन मेजर गलत है। केवल पार्टी के अनुशासन के भय से और ह्विप के दबाव से, अपनी आत्मा का हनन करते हुये, वे इनका साथ देते हैं, किन्तु यह सत्य है कि बहुमत इस बिल के विरोध में है और इस सत्य पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। श्रीमन्, पर्दा डालने के लिये लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाता। आज अगर कांग्रेस पार्टी के ह्विप को हटा दिया जाय तो उधर से कम से कम ८० आदमी इस बिल के विरोध में अपना मत देंगे। इस बिल के बारे में सरकार आज स्वयं अल्पमत में है। मैं नियमों की दुहाई नहीं देता, वे तो रबड़ की तरह हैं, मेन्टल जेम्नास्टिक करके उनको जिधर चाहें उधर घुमा दें।

जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, माननीय कृष्णानन्दराय जी उसके एक्सपर्ट हैं, वह मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं,। नैतिकता का तकाजा यह है कि जहां पर मारल डिफीक्ट

[श्री यादवेंद्र दत्त]

हो जाय वहां पर माननीय मुख्य मंत्री को बिल को वापस ले लेना चाहिये। उसको प्रेस्टीज का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये। जब उनके दल के एक व्यक्ति ने कह दिया कि ह्विप हटा लो और देख लो, तो यह उनकी मारल डिफीट हो जाती है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इंगलैण्ड का उदाहरण दे दूं और मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से जिसको कि वेदवाक्य कहा जाता ह जिसका बार बार यहां उदाहरण दिया जाता है उसी का मैं भी उदाहरण देना चाहता हूं। सन् १९३७ में इंगलैण्ड में, जो नेशनल गवर्नमेंट थी, वह जितनी बहुमत में थी, जो ब्रिटिश कन्जरवेटिव पार्टी थी, उतनी मेजारिटी में सन् १९५२ में यह कांग्रेस पार्टी नहीं थी। उस समय वहां विरोधी दल के केवल २६/२७ सदस्य ही थे। उस समय दो बिल वहां ऐसे लाये गये थे जिसका विरोधी दल द्वारा वहां विरोध किया गया था, जनमत विरोध में था, और वहां बहुमत दल ने, जनमत का आदर करते हुये, उन बिलों को वापस ले लिया था। उस समय इस दल में फूट भी नहीं थी जैसी कि आज है। इनके घर में बिल के ऊपर फूट है। विरोधी दलों में चाहे जितने मतमतान्तर हों, परन्तु इस विधेयक पर सब एक हैं। ऐसी स्थिति में जहां माननीय मुख्य मंत्री जी इस बिल को वापस लेकर नैतिकता की रक्षा करेंगे वहां वह जनतंत्र की परम्पराओं को भी सुदृढ़ बनावेंगे। यह कहा जा सकेगा कि जनमत के सामने सरकार झुकी और उससे सही जनतंत्र का बीजारोपण इस प्रदेश में होगा। चाहे जितने नारे जनतंत्र के यह सरकार लगाती हो लेकिन वह यहां जनतंत्र की रक्षा नहीं कर रही है। अगर मैं राजनीति को अलग रख दूं और अगर मुख्य मंत्री जी इस बिल को वापिस लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि वह अपनी नैतिक पराजय को नैतिक विजय में परिणत करते। लेकिन अगर उन्होंने जनमत का उपहास किया और जनमत की ओर दुर्लक्ष्य किया तो यह उनकी पराजय होगी। जिस जनतंत्र की आप रक्षा करना चाहते हैं, जिसे आप पुष्ट करना चाहते हैं, आज उसकी नींव को यह सरकार खोद रही है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि सदन ने तृतीय पंचवर्षीय योजना स्वीकार की। टैक्नीकली यह बात ठीक हो सकती है। जिस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना पर वाद-विवाद इस सदन में हो रहा था, सरकार ने अपने बहुमत के बल पर उसे पास किया। उस समय यहां कहा गया था कि देखिये आपकी योजना अव्यावहारिक न हो जाय, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए योजना बनाइये। लेकिन यदि बहुमत के बल पर आप पास करा लें गये तो यह तर्कसंगत बात नहीं है कि विरोधियों ने भी उसका समर्थन किया था। यह न्यायसंगत नहीं है।

मुख्य मंत्री जी ने बड़े रोचक, बड़े मनोहर, शब्दों में अपील की कि प्रदेश के जिस सपने को उन्होंने अपने मस्तिष्क में रखा है उसे साकार करने में हम लोग उनके हाथ मजबूत करें। श्रीमन्, प्रश्न यह उठता है कि पहली २ पंचवर्षीय योजनाओं में उनके स्वप्न क्या थे? प्रथम और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के उनके सब स्वप्न चूर हो गये क्या? तृतीय योजना के २ वर्ष बीत रहे हैं, उनका स्पिलओवर आप केअल कर रहे हैं। तो आप हमसे कैसे कह सकते हैं कि हम आपके हाथ मजबूत करें? स्वप्न तो शेखचिल्ली के भी थे। जबतक कोई ठोस चीज सामने नहीं आवे तब तक केवल स्वप्न की साकारता की दुहाई देना उचित नहीं है। स्वप्न तो केवल काल्पनिक होते हैं और कल्पना के मृदुकरों से किसी की भाग्यरेखा नहीं बनी है। केवल कोरे कोमल स्वप्नों की कल्पना से भाग्य-रेखा नहीं बना करती है। मेरे मन पर तो, श्रीमन्, प्रतिक्रिया यह हुई कि दो योजनाओं की असफलता स्पष्ट सामने आने पर मुख्य मंत्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में लोगों को आह्वान किया कि उनके फेल्योर का हिस्सा बांट लें, जिससे सारे फैल्योर की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही न रहे। श्रीमन्, फेल्योर आफ्टर फैल्योर किसे कहते हैं? असफलता के बाद असफलता। सक्सेस के हाथ मजबूत करना ठीक होता है। परन्तु फेल्योर में उनके हाथ मजबूत करने की दुहाई देना सीधे-सीधे यह स्पष्ट करता है कि हमारी असफलता में हिस्सा बांट लो, ताकि यह कहा जा सके कि हम क्या करें, उनका भी तो हिस्सा था इस फेल्योर में।

श्रीमन्, बड़े जोर से मुख्य मंत्री जी ने फरमाया कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सही बात है। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्यों पिछड़ा हुआ है, और उसका कौन जिम्मेदार है। आज १५ वर्ष से ऊपर आपका शासन इस प्रदेश में है। उसे ऊपर उठाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर थी। परन्तु आपने क्या करके दिखाया? उस पिछड़ेपन को आप स्वयं स्वीकार करते हैं और आप कहते हैं कि आओ हमारी मदद करो। असफल की कौन मदद करता है? मदद मांगने का अधिकार इस सरकार को तब था जबकि वह सफलता दिखाती और उत्कट परिश्रम दिखाती। केवल नारे लगाने से आराम हराम है, काम नहीं चल सकता। साइनबोर्ड टांग दिये गये। अधिक अन्न उपजाओ के साइन बोर्ड लटका दिये गये। क्या इन साइन बोर्डों से अन्न पैदा हो सकता है? सरकार को बताना चाहिये कि उसने १५ वर्षों में क्या करके दिखाया। मुझे नाम नहीं याद है। कांग्रेस की ओर से एक साहब ने कहा कि उन्होंने इतने मच्छर और मक्खियां मार डालीं। हमने प्लेग हटा दिया। उन्हीं के भाषण के बाद अखबारों में आया कि प्लेग का पुनः इस प्रदेश में उद्भव हो रहा है। मुझे एक कहानी याद आती है। एक पहलवान ने दूसरे से बड़े जोश में कहा कि मैंने फलां आदमी के पैर काट डाले। उसने कहा कि भाई सिर क्यों नहीं काटा। तो जवाब देते हैं कि भाई, क्या कहते हो, अगर सिर होता तो पैर ही क्यों काटता? ठीक यही हालत इस सरकार की है। यही हालत इस सरकार की योजनाओं की है। योजना की सफलता की एक ही कसौटी होती है कि प्रदेश की बेकारी और गरीबी घटी है या नहीं, और लोगों की किसानों की, क्रयशक्ति बढ़ी है या नहीं। मच्छर और मक्खी मारना कोई मापदंड नहीं है। वह तीस-मारखाओं का माप दन्ड हो सकता है जो अपने को तीस-मारखां कहते हों। लेकिन वे मच्छर और मक्खी भी किसके बल पर मारें? World Health organisation में जो भीख मांग कर पैसे मिला उससे ये मारे। भीख मांग कर वह धन आया और भिखमंगा कहे कि हमारा वैभव हो गया उसके ऊपर। आश्चर्य है। मैं जानता हूं कि सभी माननीय सदस्य बुद्धिमान हैं और पढ़े लिखे हैं। जरा हृदय में सोचिये कि आज इस देश के ऊपर जितना घटनाचक्र है और जो इसकी दुर्दशा हो रही है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है।

एक सदस्य—जनसंघ के ऊपर है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जनसंघ के राज्य में देश की यह दुर्दशा न होती। उसके जिम्मेदार आप हैं।

श्रीमन्, मुझे बड़ी हंसी आई। मुख्य मंत्री जी ने बड़े जोश में कहा कि कांग्रेस में जीवन है। हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। यह भी कह गये कि इधर नहीं है। मैं नहीं जानता कि उनका इशारा किसके ऊपर था। लेकिन जीवन के लक्षण क्या होते हैं? माननीय मुख्य मंत्री जी से मुझे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी हलकी-फुलकी बात वह बोलेंगे। जीवन का लक्षण क्या है? वही संस्था जीवित है जिसमें एकता और संगठन हो, लेकिन आज क्या इनकी संस्था में एकता है? वास्तविकता से आंख नहीं मूंदी जा सकती। मैं नाम नहीं लेता लेकिन अखबारों में रोज क्या आता है और किसको कौन किस प्रकार से क्या कहता है यह भी सभी जानते हैं। कुर्सी के लिये यह चीज हो, क्या यह जीवन का लक्षण है? किसी आदर्श पर आधारित कोई संघर्ष होता तो उसे मैं आदर्श मानता कि वास्तव में यह जीवन है। जीवन का दूसरा लक्षण है कि विचारों की कशमकश और विचारों का उद्भव होना। यह आरोप मैं ऐसा लगाता हूं जिस आरोप को लगा कर माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री हुए। हमारी बात आप न मानें लेकिन रोज रोज अखबारों में आता है कि विभिन्न कांग्रेस कमेटियों ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि यह टैक्स न लगाया जाय। लेकिन आज सरकार अपने को संगठन के ऊपर मानती है। समझ में नहीं आता कि यह कौन सा आदर्श है? यह तो केवल कुर्सी को कायम रखने का ही आदर्श है। जिस संस्था में केवल पद के लिये संघर्ष लगा रहे वह संस्था अगर जीवित

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

समझी जाय तो फिर मृत्यु किसकी होगी ? केवल कुर्सी और पद के लोभ के पीछे नहीं रहना चाहिये। जहां तक त्याग और तपस्या की बात है, मैं मानता हूं कि कभी रही हो लेकिन आज नहीं है। आज तो त्याग तपस्या केवल लाइसेंस, ब्लैक मार्केटिंग . . . .

श्री बनारसीदास—जनसंघ के वे होंगे। क्योंकि व्यापारी लोग ज्यादातर उस में हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अब श्रीमन्, मैं क्या बतलाऊं, माननीय बनारसी दास जी कहते हैं तो कहिये, मैं नाम लेकर कह दूं। वे लोग स्वनाम धन्य आपकी तरफ के ही लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपनी बात कहें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जिस संस्था में लाइसेंस, कोटा, परमिट पोषणमात्र हो, उसमें कहा जाय कि जीवन है तो यह आश्चर्यजनक है। माननीय बनारसी दास जी से एक बात जानना चाहता हूं कि बुलाबशहर में जो ४६ लाख पये सेल्स टैक्स की माफी हुई उसमें किस जनसंज्ञा की हुई ?

श्री बनारसीदास—बुलन्दशहर में कोई माफी नहीं हुई।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यहीं सदन में प्रश्नों के उत्तर में यह बतलाया गया। मैं आशा करूंगा कि माननीय बनारसी दास जी इसका पता लगायेंगे और यह जानने के बाद कि उन्होंने गलत कहा है, उसके लिये खेद प्रकट करेंगे। मुझे गलत कहने का कोई मतलब नहीं है मेरे लिये रोटी का वह सवाल नहीं है। बहुतों के लिये यह रोटी का सवाल हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की अनर्गल बातें कहना कि हमने जीवन का यह आदर्श बना रखा है, यह कुछ शोभा की बात नहीं है। मैंने तो इस बिल के खिलाफ तर्क देते हुए कैबिनेट इकोनामी की बात कही थी, क्रय-शक्ति के ह्रास होने की बात कही थी, बिल के परिणाम की बात कही थी। वह इसलिये नहीं कहीं थी कि राजा महाराजाओं और जमींदारों को गाली मिले। समझ में नहीं आता कि जो राजा इधर बैठ गये वे तो खराब हो गये और जो उधर बैठ गये वे दूध के धोये हुए हैं। यह तो उसी तरह से हुआ कि 'Sir Pound are equal to table and table is equal to six pound' इक्वल टु सिक्स पाऊंड। इतना ही नहीं जिन राजाओं को गाली दी है अगर उनसे कभी दान मिल गया तब तो उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की जाती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दो रुपये के लिये हाथ फैलाते थे कि मैं भूखा हूं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बिलकुल बेकार थे। लेकिन गद्दारों से भी दान मिल जाने पर उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। इस प्रकार की अनर्गल बातें सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ परन्तु मेरे मन में जो विश्वास बन गया था कि उधर के बैठनेवाले और विशेषकर ट्रेजरी बेंचेज का यह कौशल कि जब कोई तर्क न हो तो गालियां दो, यह और भी दृढ़ हो गया। साफ मतलब यह है कि अब उनके पास कोई तर्क नहीं है जिस के आधार पर वह लैंड टैक्स बिल को सही साबित कर सकें। केवल २ ही तर्क उनके हैं एक गालियां और दूसरा प्लान का गीत। प्लान न मालूम क्या है कि, इन सीजन आउट आफ सीजन, हमेशा उसकी ही दोहाई दी जाती है, कोई तर्क हो न हो, युक्ति हो या न हो उनको वही तर्क लौट फेर कर देना है। माननीय राजस्व मंत्री जी का मैं बड़ा आदर करता हूं और उनकी व्यवहार-कुशलता, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का मैं आदर करता हूं। वह समझते हैं कि मैं कोई मुंहदेखी, बात कह रहा होऊं ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे आशा करूंगा कि अगर इस बिल में रंचमात्र का भी कोई तथ्य हो तो जैसी कि उन की पद्धति बोलने की अभी तक रही है हास्य और मनो-विनोद की उस पद्धति को इस बिल में न अपना कर तर्कयुक्त, न्यायुक्त और युक्तियुक्त बातें ही इसके डिफेंस में रखें।

अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस बिल के विपक्ष में मेरी ही बात दोहराई है और मैं उनका भी आभारी हूं जो इसके पक्ष में बोले और जिन्होंने

अपनी इन्टेलेक्चुअल बेन्कपसी का ज्वलंत उदाहरण दिया। मैं उन माननीय सदस्यों का तो विशेषतः आभारी हूं जिन्होंने बड़े साहस के साथ अपनी आत्मा की आवाज को सुन कर खुल कर उधर से इस बिल का विरोध किया। उन्होंने इस प्रकार जिस आदर्श का परिचय दिया है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। रोटियों के लिये तो सभी जीवित रहते हैं लेकिन बलिदान के लिये और पराक्रम के लिये जो आदर्श कार्य होते हैं वह अनुकरणीय हैं। भारतमाता के लिये बलिदान हुये हैं रोटी के लिये नहीं हुये हैं। मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत ही आदर करता हूं कि जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को सुन कर और अपने सिद्धान्तों पर अडिग रह कर इस बिल पर खुल कर अपने विचार व्यक्त किये। मैं इसमें कोई बुराई नहीं समझता और किसी को इसमें बुरा मानने की जरूरत भी नहीं है। डेमोक्रेसी को जीवित रखने के लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य कम से कम अपनी आत्मा की आवाज को तो बाहर व्यक्त कर सके और अगर उसमें बासिज्म चले तो फिर वह आलोचाकी हो जाती है डेमोक्रेसी के ऊपर और उस दशा में डेमोक्रेसी का नाश हो जाता है।

मुझे इस बात को जानकर हर्ष हुआ कि अभी भी ऐसे लोग उस दल में मौजूद हैं जो आत्मा की आवाज पर कुछ कह सकते हैं उनको मैं बधाई देता हूं, और उन्होंने अपने शब्दों में मेरी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा। मैं उन लोगों का भी आभारी हूं चाहे वह मन्त्रि-मंडल के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस के साधारण सदस्य हों जिन्होंने विरोध कर के साबित कर दिया कि यह बिल गलत है। अन्त में मैं एक बार पुनः इस बिल के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी से सविनय, साग्रह अनुरोध करूंगा कि वह इसको प्रेस्टीज प्वाइंट न बनायें और यह प्रश्न ऐसा नहीं है। जब जनमत इसके विरुद्ध है और जब आप के दल के लोग भी इसके पक्ष में नहीं हैं तो आपकी महानता इसी में है कि आप जनमत के सामने झुकें और उसके लिये सीधा रास्ता यही है कि आप इसको वापस लें। कतई इस को वापस लें इसको मैं सविनय साग्रह आपसे अनुरोध करता हूं और माननीय सदन के सदस्यों से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल पर पार्टी दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बिल किसी पार्टी विशेष का नहीं है। टैक्सेशन का यह मेजर समाज के सभी वर्गों को प्रभावित करेगा। आज जब विदेशी हमें चुनौती दे रहा है और इस भारत की पावन पवित्र भूमि को रौंद रहा है तो आज पार्टी के विचारों से ऊपर उठने की आवश्यकता है। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं जिस समय डंकर्क का युद्ध छिड़ा हुआ था तो पार्लियामेंट में विवाद छिड़ा हुआ था। हमारी डेमोक्रेसी घबड़ाती है विवाद से। मैं नहीं जानता कि मुख्य मन्त्री ने किस सिद्धान्त तथा तर्क के आधार पर चीन के विवाद को स्वीकार नहीं किया। डंकर्क की पराजय की बहस शुरू हुई है और पार्लियामेंट में लेबर पार्टी के मशहूर सदस्य श्री ग्रीनवुड बोलने खड़े हुये तो कन्जरवेटिव पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा इंग्लैंड के लिये बोलो। इसलिये आज यहां भी वर्ग विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विदेशी हमारे देश में घुस रहा है। आज दलगत नीति से उठ कर प्रदेश और स्वदेश के लिये विवाद करने की आवश्यकता है। जैसा आदरणीय राष्ट्रपति ने कहा है यह सत्य है कि जब ऐसा संकटकाल उपस्थित हो तो आवश्यक है कि हम आपस के विवाद भुला दें। खाली कह देने मात्र से चीजें भुलाई नहीं जा सकतीं। उसके लिये मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता होती है और मार्ग प्रशस्त होगा भाषणों से नहीं, कृत्यों से। जैसे जनसंघ ने मार्ग प्रशस्त किया हमने अपना आन्दोलन वापस ले लिया, उसी तरह हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी भी इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त करेंगे ताकि प्रान्त में आपस के विवाद समाप्त हों। वह मार्ग एक ही हो सकता है कि यह जो कन्ट्रोवर्शियल मेजर है जिसने प्रान्त की नींव को हिला दिया है उस को वह वापस ले लें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—आपके हिसाब से कोई नान-कन्ट्रोवर्शियल मेजर हम लायें, जिसमें आपने साथ दिया हो ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—कोई सही बात कहेंगे तो जरूर साथ देंगे। चीन से लड़िये हम आपके साथ हैं। इस स्थिति में दलगत प्रतिष्ठा अथवा व्यक्तिगत मान-अपमान की बात को छोड़कर आज समष्टि की दृष्टि से विचार करते हुये ऊपर उठने की आवश्यकता है और इस बिल को सरकार वापस ले यदि सरकार इसे वापस नहीं लेगी, अपनी हठधर्मी पर डटी रहेगी तो सभी माननीय सदस्यों से । आग्रह करूंगा कि वह इनको रोकें क्योंकि प्रदेश और स्वदेश व्यक्तियों से बहुत महान् है। व्यक्ति आयेंगे और जायेंगे परन्तु यह प्रदेश और स्वदेश अनादि और अनन्त है। इसकी रक्षार्थ आप ऊपर उठें और इस बिल को पराजित करें।

मैं सविनय, साग्रह अनुरोध करूंगा कि मेरी बातों पर दलगत दृष्टि से न विचार करते हुये समष्टि की दृष्टि से विचार करें । मेरी बात को स्वीकार करें और इस बिल को सदन की स्टेट्यूट बुक से हटायें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता था कि माननीय नेता सदन जब कि देश के ऊपर एक भयावह स्थिति विद्यमान हो गयी है और एक विदेशी मुल्क ने हमारे ऊपर हमला करके कल शाम तक हमारी ५ चौकियों पर कब्जा कर लिया है ऐसे कन्ट्रोवर्शल बिल को अवश्य वापस लेंगे । मैं बहुत ही आदर के साथ आज भी कहता हूं कि वह समय आ गया है कि जब हमें संयम के साथ अपने पग को आगे बढ़ाना पड़ेगा और विभिन्न पार्टियों के मतभेदों को भुला कर देश की रक्षा के लिये देश के अन्दर नैतिक बल को ऊंचा करना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति क्या है? आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, लखीमपुर-खीरी आदि जिलों की सरहदों के ऊपर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें भी गृह-युद्ध छिड़ा हुआ है। आज हम इधर से आंख मूंदे हुये हैं। लेकिन हमारी सरहदों के ऊपर जो स्थिति चल रही है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। उस मुल्क के अन्दर जहाँ हमने करोड़ों रुपये उस मुल्क और वहाँ की जनता के उत्थान और प्रगति के लिये खर्च किये हम देखते हैं कि आज वह मुल्क भी हमारे खिलाफ सिर उठा रहा है, आज वह मुल्क भी ऐसा वातावरण पैदा कर रहा है जिससे हम उत्तर प्रदेश के लोग अछूते नहीं रह सकते। आज हमारी सरहदों से ४० मील की दूरी पर पंखरा, भैरहवा में लुम्बिनी के पास हवाई अड्डे बन रहे हैं और वह मिलिटरी अड्डे हैं और मैं बहुत ही साधिकार तरीके से यह कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—वह बात न कहिये जो किसी दूसरे मुल्क से सम्बंधित हो।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप शांति से सुनिये तो, आप बीच में ही टोक देते हैं। आज स्थिति इस हद तक पहुंच गयी है कि शांति-व्यवस्था रखने के लिये आज हमें उन सरहदी जिलों के अन्दर सड़कों आदि को सुनियोजित बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी समय आने वाले हमले का मुकाबला किया जा सके। आज हम इस आवश्यकता की ओर से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आपने इस ओर से मुंह मोड़ लिया और वास्तविकता को छिपाने की कोशिश की तो आज हमारा क्या हश्र हो रहा है। आपको याद होगा कि उसी क्षेत्र में जहाँ आज लड़ाई छिड़ी हुई है कल तक कहा जाता था कि जाड़े का मौसम आ गया, दोनों तरफ की फौजें अपनी-अपनी सरहदों में चली जायेंगी, लड़ाई नहीं होगी लेकिन आज ५-६ चौकियाँ हमारी छीन ली गयीं। हमारे जवान जो अनप्रिपेयर्ड स्टेट में थे वे आज एक भी इंच जमीन की रक्षा नहीं कर पाये तो मैं कह रहा हूं कि आज वातावरण बनाने की जरूरत है। इस प्रदेश में इस कन्ट्रोवर्शियल बिल ने प्रदेश की जनता में जो भावना उत्पन्न की है, उसको आप जानते ही हैं और हर व्यक्ति जो जरा भी जनता से सम्बन्ध रखता है और उनके बीच में उठता बैठता है, आज देहात में चले जाइये सब जगह जोतकर विधेयक की ही चर्चा सुनने को मिलेगी। इसी तरह से शहरों में चले जाइये सब जगह उसी बिल की चर्चा सुनने को मिलेगी जिसको आप पास कर चुके हैं। आज हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है

कि हमारी स्थिति दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी गिरती गई और उसके बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति गिर रही है। तो ऐसे समय में इस तरह का बिल ले आना हमारी हड्डियों को निचोड़ना कहा जा सकता है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान, आज दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के सम्बन्ध में जो कांग्रेस की इकोनामी कमेटी बनी हुई है और जिसको २६ अक्तूबर को अपनी रिपोर्ट देनी है और उसके कुछ पोर्शन्स जो अखबारों में छपे हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, आपकी दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद कांग्रेस सब कमेटी की रिपोर्ट है कि ४० प्रतिशत प्राप्ति भी हमको दो योजनाओं के बाद नहीं हुई और ६० प्रतिशत रुपया कहाँ गया, इसका कोई पुरसाँ हाल नहीं है। आज इस प्रकार की योजनायें जिनमें ६० प्रतिशत पयों का क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है, यह कांग्रेस के लोगों के द्वारा बनाई हुई उस कमेटी की रिपोर्ट है जिस को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया है। तो मैं कहता हूं कि आपकी योजनायें सारे मुल्क को कहाँ ले जाना चाहती हैं। आपकी कोई सुनियोजित, सुनिश्चित योजना नहीं मालूम होती है जिसके जरिये किसान और मजदूर को यह आभास हो सके कि वे मुल्क को कहां ले जायंगी और किस ओर हमारी प्रगति हो रही है।

श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने गोरखपुर के एक प्राध्यापक की मिसाल दी और उनकी किताब का हवाला देते हुये कहा कि ५ एकड़ के बाद भी सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी के लिये यह आवश्यक है कि लोगों पर टैक्स लगाया जाय और दुगना टैक्स लगाया जाय। श्रीमन्, मैं समझता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ये शब्द कह रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कोई भावना छिपी होगी। लेकिन गहन अध्ययन करने पर मालूम हुआ। मुझे बड़ा ताज्जुब था क्योंकि मैं भी गोरखपुर से आता हूं कि कहाँ कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इतनी बड़ी एग्रेरियन किताब लिख दी। पहले मैं समझ नहीं पाया लेकिन बाद में पता चला कि वे किस तरह के प्रोफेसर हैं, उनका क्या स्वाध्याय है और कहाँ तक उन्होंने प्रदेश की अर्थ व्यवस्था जानने की कोशिश की है। श्रीमन, मुझे खेद हुआ। माननीय, प्रोफेसर साहब की एजूकेशनल क्वालीफिकेशन्स देख लीजिये कि किसी भी समय और किसी भी परीक्षा में, हाई स्कूल से लेकर एम० ए० तक थर्ड डिवीजन से आगे वे हासिल नहीं कर सके। मैं समझता था कि मुख्य मन्त्री जी माननीय राधाकमल मुकर्जी और बलवन्त राय मेहता कमेटी आदि की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। उनकी कुछ बातों को सदन में रखेंगे और मैं समझता था कि उसके द्वारा अपनी सेल्फ जनरेटिंग इकानमी की चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ और इतना और बता दूं कि वह हजरत जो हैं उनकी नियुक्ति भी बड़ी गजीबो गरीब है। लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री ने उनका जिक्र कर दिया तो वह भी देश के बड़े इकानोमिस्टूस में हो गये, चाहे वह हों या न हों यह दूसरी बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी की जबान से निकलते हों उनकी अहमियत तो बढ़ ही गयी। माननीय मुख्य मंत्री ने जब यह बातें कहीं तो मुझे आश्चर्य हुआ कि समय का समाजवादी जो समाजवादी विचारधारा में भ्रमण कर चुका हैं वह इस तरह की बातें कैसे कहता है। लेकिन बाद में समझ में आया। जब जी० डी० बिड़ला विदेश से भ्रमण करके आये तो उन्होंने टाइम्स आफ इंडिया में सीरीजी आफ आर्टिकिल्स टैक्सेशन पर लेख लिखे। उनका मेन लक्ष्य था कि देहाती क्षेत्रों के भी टैक्स १० से साढ़े ११ परसेंट है और शहरी क्षेत्रों में २३ परसेंट टैक्स है। उनका कंटेशन था कि यह टैक्स बढ़ा कर २३ परसेंट तक कम से कम कर दिया जाये। उन्होंने भी इसी तरह से सेल्फ जनरेटिंग इकानामी की बात कही थी। तब मुझे याद आया कि मालूम होता है कि हमारे नेता सदन ने बड़े ध्यान से उस आर्टिकिल को पढ़ा उसके बाद अपने विचार को रखा। वह बिड़ला साहब के जाल में बड़ी अच्छी तरह से फंस गये और उन्होंने उसी तरह की बात इस सदन में रखी। एक बड़ा ही मोटा उसूल है कि आज रेंट क्या चीज है और टैक्स क्या चीज है? रेंट हमारे ऊपर लग रहा है या टैक्स हमारे ऊपर लग रहा है? अगर टैक्स लग रहा है तो टैक्स की क्या परिभाषा है? हमें यह देखना पड़ेगा। अगर मैं किसी दूसरी तरह की किताब का हवाला दूं तो उस पर उधर के बैठने वाले हम पर जरूर बिगड़ेंगे। इसलिये मैं उन्हीं की कमेटी जो कांग्रेस एग्रेरियन इनक्वायरी

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

कमेटी है उसकी रिपोर्ट में से हवाला देता हूं कि उन्होंने टैक्स की क्या परिभाषा की है। मैं अंग्रेजी पढ़ने के बाद उसका अनुवाद कर दूंगा। (व्यवधान) कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी की रिपोर्ट है। आपकी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक सब-कमेटी बनायी थी जांच करने के लिये उत्तर प्रदेश के हालात की और वही जो यू० पी० कांग्रेस ऐग्रेरियन रिपोर्ट है, वही मैं पढ़ रहा हूं। श्रीमन्, आप इसके पृष्ठ ५६ पर देखियेगा—

'It has often been asked whether rent should be taken as a tax or as mere rent. According to Ricardo , a tax is based on a fixed income.'

श्रीमन्, टैक्स जो है रिकार्डो के अनुसार फिक्स्ड इनकम के ऊपर जैसे इनकम टैक्स होता है ३६ सौ रुपये के ऊपर, वैसे ही टैक्स भी फिक्स्ड आय पर होना चाहिये।

'In taxing a person, it is always kept in view that the taxation should not be such as to deprive the man of the means of meeting his expenses.'

और जिस समय टैक्स लगाया जाय मान्यवर, उस समय इस चीज को देख लिया जाना चाहिये कि वह अपनी जरूरत के खर्चों को पूरा कर सकता है, उनको मीट आउट कर सकता है या नहीं।

'In the determination of rent, the cost of production is the main consideration'

और मालगुजारी, लगान को तय करने के लिये देखना यह बहुत जरूरी है कि कितना खर्चा उसके उत्पादन कर पड़ता है।

'and any surplus produce after that is taken as rent.'

और उसके बाद श्रीमन्, जो बचता है उसी को रेंट, मालगुजारी या लगान का कहा गया है। तो श्रीमन्, मैंने यह रिकार्डो का हवाला इसलिये दिया कि आज जब माननीय मंत्री जी इस चीज को जानते हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह साफ तरीके से तय हो चुका है कि हमारे यहां कितनी जमीन है जो कि अनएकोनामिक होल्डिंग है और यह बार-बार मांग की गई, यहां पर इसी रपट में भी अनएकोनामिक होल्डिंग अपने टर्म्स आफ रेफरेंस में लिखा है कि उसको टैक्स फ्री किया जाय, यह १९३६ की रिपोर्ट है और अभी तक इस कांग्रेसी सरकार ने अनएकोनामिक होल्डिंग से मालगुजारी नहीं हटायी और आज क्या किया जा रहा है? किसानों के साथ और साढ़े सात करोड़ प्रदेश की जनता के साथ एक फ्राड किया जा रहा है इस जोतकर विधेयक को लाकर के। रोज माननीय राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि हम तो आठ एकड़ की छूट कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं आज तक ठीक से समझ नहीं पाया इस बिल को पढ़ने के बाद कि आप आठ एकड़ की छूट करने की बात करते हैं, वह आठ एकड़ कोई खाता हो उस पर ट करेंगे या एक आदमी की आठ एकड़ जोत पर छूट करेंगे, यह आपके बिल से नहीं साफ हो सका। यह आज बड़ा प्रचार है, मान्यवर, छोटे तबके के किसानों की अनएकोनामिक होल्डिंग्स को छोड़ रहे हैं, उनके दिलोदिमाग में और हमारे बहुत से नेताओं के दिलोदिमाग में यह बात बैठ गई है कि आठ एकड़ की छूट यह सरकार दे देगी। मैं बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक के द्वारा जनता के सामने या यहां बैठने वालों के सामने इस चीज को अभी प्रतिपादित नहीं कर पायी है कि कितने एकड़ के बाद और किन खातों पर आप छूट करेंगे। दूसरी चीज है मान्यवर, कि आज तो एक तरफ कहा जाता है आठ एकड़ की छूट करेंगे और सफाई नहीं की गई कि आप एक आदमी के आठ एकड़ पर छूट करेंगे या कलेक्टिव पर छूट करेंगे और दूसरी सफाई यह भी नहीं हो पायी कि आपने एक मुस्तकिल रेन्ट पर उसका २५ गुना, पचास गुना या १२ गुना एक परसेंटेज तय कर दिया। मान्यवर यह भी शंका मैं उत्पन्न करता हूं कि आखिर यह जो आप परसेंटेज तय कर रहे हैं, इस को लगाने के बाद हमारे उन छोटे-मोटे किसानों पर भी तो कल लग जायगा। आपके इस परसेंटेज को देखने के बाद साफ तरीके से मालूम होता है कि आपकी नीयत टैक्स फ्री करने की नहीं है। आपकी नीयत साफ तरीके से छोटे मोटे किसानों पर भी टैक्स लगाने की है। केवल आपका प्रचार यह है कि हम आठ एकड़ को छोड़ना चाहते हैं।

मान्यवर, इसीलिये मैं कहता हूं कि आपको इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बिल लाने के लिये कोई नैतिक बल नहीं है। आपको गरीब किसान पर इस प्रकार का टैक्स और नहीं लगाना चाहिये। जब जमींदारी एबालिशन बिल आया तो दसगुना लेने के बाद आपका एलान था कि हम और मालगुजारी नहीं बढ़ायेंगे और मैंने शुरू में इसको पूरे तौर से सफाई के साथ कहा था और माल मन्त्री जी का भाषण भी पढ़ कर सुना दिया था। उसके बाद क्या यह किसानों के साथ ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है। दस गुना जमा करने के बाद जो गारन्टी किसानों को दी गयी थी उसे क्या आप तोड़ने नहीं जा रहे हैं? जिस सरकार पर किसानों को फेथ न रह जाय, जो वायदा खिलाफी करे, जिसके राज में किसान निश्चिन्तता के साथ न रह सकें, वह यहां बठने योग्य और ईमानदारी से काम चलाने योग्य नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसान आज कानून के जाल में फंसाया जा रहा है। वह समझ नहीं पाता कि क्या करे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का टेनेन्सी सिस्टम सरकार लागू करने जा रही है, यह समझ में नहीं आता। वह समझ नहीं पाता कि कैसे वह अपनी खेतीबारी के रोजगार को निश्चित अवस्था की तरफ ले जा सकता है। लार्ड कार्नवालिस ने बंगाल, उड़ीसा आदि में परमानेन्ट सेटिलमेंट किया था और उसके बाद किसान समझने लगा था कि उसे कितनी मालगुजारी देनी है और हम किन खेतों के मालिक हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में जितने कानून बने सब को आप देखें टेनेन्सी ऐक्ट से लेकर जमींदारी एबालिशन तक और फिर सी० एल० आर० डी० और चकबन्दी, उन सब से आपको पता चलेगा कि सरकार के दिमाग में एक कन्फ्यूजन है। जब उसके दिमाग में जो चीज आयी उसने उसे ला कर किसानों पर थोप दिया। एक रिजोल्यूशन १९३६ में ऐग्रेरियन कमेटी का था, फिर दूसरा ४७ में दूसरी एग्रेरियन कमेटी का रिजोल्यूशन आया, और अब एक तीसरी एकानामिक कमेटी आ गयी है और उसकी रिपोर्ट आनेवाली है। सब के टर्म्स आफ रेफरेंस एक हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् ३६ से लेकर ६२ तक आपने किसानों को कौन सा टेन्योर का सिस्टम दिया है। आपने उनको केवल परेशानी ही दी है। जब आप के दिमाग में जो चीज आयी उसे आपने अमेंडमेंट से और आर्डिनेन्स से उन पर थोप दी और नतीजा यह है कि वह मुकदमेबाजी से परेशान हैं। दो-दो योजनायें पूरी होने के बाद भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। ४० परसेन्ट का तो काम हुआ, लेकिन ६० का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। श्रीमन्, अगर हम कायदे-कानूनों की तरफ देखें जो कि हमने बनाये हैं, तो साफ तरीके से यह कहना पड़ेगा कि उन्नति के स्थान पर हमने अवनति ही की है।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के पहले यह वादा किया गया था कि प्राइस पालिसी मेनटेन की जायगी और चीजों के दाम मुकर्रर किये जायेंगे। लेकिन आज हालत क्या है? मैं बिल्कुल ताजे आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस में आप देखें कि होलसेल रा-मैटीरियल की प्राइस कितनी डिक्लाइन हुई। जो चीजें किसान पैदा करता है उन के बारे में जो कि उनकी होलसेल प्राइस है वह इस प्रकार है। अगस्त ५, १९६१ को १५०.५ थी, ४ अगस्त, १९६२ को वह १३९.५ हो गई। होलसेल मैन्यूफैक्चर प्राइस आप देख लीजिये जो कि ५ अगस्त, १९६१ को १२७.९ और ४ अगस्त, १९६२ को १२९ हो गई। तो आप देखें कि आज स्थिति क्या है? हमारी चीजें जो कि किसान पैदा करता है उसकी कीमत में ह्रास हो रहा है और जो चीजें मिलमालिक पैदा करता है उनको बेचता है उनकी कीमतें और बढ़ती जा रही हैं।

एक चीज मैं और कहूंगा, मैं अपनी बात नहीं कहता हूं बल्कि यह तो श्री अजित प्रसाद जैन के आर्टिकिल से ही कोट कर रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। होलसेल प्राइस जो मेनटेन की गई वह १९५२-५३ में १०० मान कर समस्त चीजों को जनरल मानकर। १९६०-६१ में १२८.७, १९६१-६२ में १३१.८ हो गई। होलसेल प्राइस गेहूं की पी० एल० ४८० अप्रैल, १९६० को थी, ८५.७, १९६१ अप्रैल में ९०.७ हो गई। तो आप गौर करें कि यह ८५.७ से बढ़ कर ९०.७ हो गई।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

इसी तरह से शुगर की होलसेल प्राइस आप जरा देखें। जिसमें कि आज तिगुना प्रोडक्शन किया गया है और सबसे ज्यादा है। उसकी स्थिति अप्रैल, १९६२ को १२१.८ और अगस्त, १९६२ को १३२.३ थी। इसी तरह से गुड़ का भाव १२०.१ और १८४.७ तक था।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने यह वादा किया था कि हम प्राइस पालिसी मेनटेन करेंगे और तय करेंगे। परन्तु आज इस प्राइस पालिसी का करेन्ट नक्शा है। कुछ और है। गरीब किसान बेचारा अपने खेत में मेहनत करके जो चीजें पैदा करता है उनके मुकाबले में कल कारखाने जिन चीजों को प्रोड्यूस करते हैं उन दोनों में कितना अन्तर है। एक तरफ तो मिलमालिक की पूंजी ४ लाख से बढ़कर ४ करोड़ हो रही है और दूसरी तरफ वह बेचारा किसान खेत में मरने के बावजूद भी कम कीमत पाता है। यह सरकार की नगण्य नीति है जिसको आप देखकर यह कह सकते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों के साथ है यह किसानों की रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है।

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने बहुत जोर से इस बात का एलान किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम काट देंगे लेकिन अभी सदन में कहा कि हम काट देंगे और इसलिये काटना पड़ रहा है कि हम क्या करें? अगर हम जोतकर विधेयक लाते हैं तो समाजवादी और प्रगतिशील सदस्य कहते हैं कि मत लाओ और इसका विरोध करते हैं। तो हमारे विरोध करने का आधार है। हमने कहा था कि १९६०-६१ का सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्कम टैक्स का बाकी है ३०० करोड़ रुपया सारे देश में और ७ करोड़ के लगभग हमारे प्रदेश में आता है और इसकी वसूली नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—आप जवाब दीजिये, जो कहा गया है। आपका टाइम भी हो रहा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—यही सारे तर्क उधर के दिये गये, जिनका जवाब दे रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—जरा श्रीमन्, कान खोलकर सुनिये तो आपकी समझ में भी आ जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा विषय पर बोलिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं कह रहा था कि आज पूंजीपतियों पर इन्कम टैक्स का इस प्रदेश का ७ करोड़ रुपया बाकी है। माननीय माल मन्त्री प्लानिंग कमीशन से और केन्द्रीय सरकार से कह दें कि इसकी वसूली की आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिये और बाद में जब इकोनामी ठीक होगी तो अदर कर देंगे, लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं हैं, पूंजीपतियों को छूना नहीं चाहते। हमने कहा था कि चुनाव के समय केवल एक मिल-मालिक पिपराइच का गोरखपुर जिले में है जिस के ऊपर किसान और मजदूरों का ४० लाख रुपया बाकी है। उसने १७ हजार कुछ रुपया चुनाव जीतने में दे दिये और उसको छूट प्राप्त हो गयी। तो हमसे तो देश के लिये बलिदान करने के लिये कहा जाता है, क्या आज मुख्य मन्त्री पूंजीपतियों को बुलाकर इसी तिलक भवन में नहीं कह रहे सकते हैं कि देश के ऊपर आपत्ति है, देश संकट से गुजर रहा है, हमारे किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसका प्रोटडक्शन इतना नहीं हो रहा है कि हम आज टैक्स देकर सरप्लस बचा सके? हमें तो उसे अनइकोनामिक होल्डिंग पर छूट देनी चाहिये। हम १९३६ के कांग्रेस के रेजोल्यूशन को पूरा नहीं कर सके। देश की तरक्की के लिये, तीसरी पंच वर्षीय योजना को पूरा करने के लिये आप लोग जो हमको चुनाव में पैसा देते हो, अब इस देश लिये कुछ पैसा दो। अगर माननीय मुख्य मन्त्री यह क्लैरियन काल पूंजीपतियों को दे दिये होते तो सूती मिल, चीनी मिल, जूट मिल, लोहे, चमड़े के मिलमालिक उनकी बातों पर अमल करते। समाजवादी होने के नाते वे इस बात का एलान करें कि हम इसके लिये पूंजीपतियों से भी कोआपरेशन लेंगे। अगर ऐसा होता तो इस बिल को लाने की जरूरत न पड़ती। लेकिन

यह ऐसा नहीं करेंगे। चीनी-मिल के राष्ट्रीयकरण की बात कही जाती है तो कहा जाता है हमारा यह बजट नहीं है। श्रीमन्, आज बिजली के जितने चार्जेज बकाया हैं, सेल्स टैक्स का जितना रुपया कानपुर के मिल मालिकों पर बकाया है, अगर उस सब की वसूली की जाय तो इसको लाने की जरूरत ही न पड़े। आज उनकी वसूली के लिये कोई नियम नहीं निकाले जाते हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो मुझे काफी बोलना है, पहले मुझे समय नहीं मिला था....

श्री उपाध्यक्ष—कोई नयी बात कहना हो तो कहिये, मैं समय दे सकता हूं, लेकिन कही हुई बातों के लिये नहीं। आप ५-७ मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—मुझे तो साढ़े ५ बजे तक बोलना है, अब अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊं, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन वैसे नहीं बैठूंगा....

श्री उपाध्यक्ष—आप यह चाहते हैं कि हम बराबर पुरानी ही बात कहते रहें। जो प्रस्ताव यहां सदन में हो चुका है उसके अनुसार आपको ३० मिनट मिलने चाहिये, आप ३५ मिनट बोल चुके हैं। मैं फिर भी आपको ५ मिनट का समय और देता हूं। इसमें आप खत्म कर दीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—मेरा निवेदन है कि हमें न बोलने का समय दिया गया और न सुनने का दिया जा रहा है। इस बहस के बाद हमें वोट देना होगा। आप पूरा रिप्लाई उनका सुन लें, ताकि हम लोग भी उसको सुन कर यह निश्चय कर सकें कि हमें किधर वोट देना है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर बैठिये। अब किसी को इजाजत नहीं मिल सकती। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप कृपया बैठ जाइये।

(श्री नरसिंह नारायण पांडेय के न बैठने पर) देखिये, यह बात ठीक नहीं है, आप विराजिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—माननीय सुचेता जी यहां मौजूद हैं, मैं एक बात मजदूरों से सम्बन्धित कहना चाहता हूं। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बड़ा ढोल पीटा गया इंडस्ट्रियल पालिसी का.....

श्री उपाध्यक्ष—यहां पर जो बात कही गयी है उसी का आप उत्तर दें, किसी नयी बात का नहीं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—गुप्ता जी ने अपनी स्पीच में इंडस्ट्रियल पालिसी के बारे में कहा है। अगर गुप्ता जी की बातों का जवाब मैं न दूं तो कैसे काम चलेगा? मैं अपने दिमाग में एक चीज बैठा कर आया हूं और आप कहते हैं कि इसे न करें। जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं नहीं बोल सकूंगा। आप बड़े अच्छे वक्ता रहे होंगे लेकिन मैं तो बहुत खराब बनता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं तो आपको पंडित मानता हूं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—मुझे कहना यह है कि इंडस्ट्रियल पालिसी की बात यहां कही गयी है लेकिन दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या प्राप्त किया और कितने औद्योगिक अशांति और झगड़े को निबटाया। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में मजदूरों को तरक्की देने की बात कही गयी है। श्रीमन्, इसी आदरणीय सदन में मैंने एक प्रश्न किया था कि १९५० के एल० ए० टी० एवार्ड के मताबिक चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों को कितना बोनस मिलेगा, तो माननीय सुचेता कृपालानी ने एक करोड़ ३० लाख से अधिक ही मिलने की बात कही थी। ठीक आंकड़े इस वक्त मुझे याद नहीं हैं। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया था कि विन्दवासिनी प्रसाद वेज बोर्ड के मुताबिक कितना मिलेगा, तो उन्होंने बतलाया कि ३८ लाख रुपये मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मजदूरों को अपनी मेहनत के मुताबिक १९५० के एल० ए० टी० एवार्ड के अनुसार बोनस मिलने की बात थी तो फिर जब कि मजदूरों ने पहले से तिगुनी चीनी पैदा की तो उनको ३८ लाख ही बोनस के रूप में देने की बात कैसे आयी और अगर

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

इसी को आप दो पंचवर्षीय योजनाओं की कामयाबी समझते हैं तो समझ सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा मैं चाहता हूं कि इस देश के अन्दर हमें एक अच्छा वातावरण बनाना है और इसके लिये आपकी इंडस्ट्रियल पालिसी को निश्चित करना पड़ेगा और वह निश्चित करना पड़ेगा उत्पादन के ऊपर, जो मजदूर जितना काम करेगा, उसके काम के मुताबिक उसे पारिश्रमिक मिले, इसका आपको एलान करना पड़ेगा। सोशलिस्ट स्टेट की बात बहुत कही जाती है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सेल्फ जेनरेटिंग एकोनामी की बात कही। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अमेरिका में तो कैपिटलिस्ट टाइप का सोशलिज्म है और दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां सोशलिस्ट टाइप का सोशलिज्म है। मैंने न तो सेल्फ जेनरेटिंग इकोनामी की बात पढ़ी है और न मिक्स्ड इकोनामी की बात पढ़ी है लेकिन अवाड़ी कांग्रेस में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी बनाने का रिज्योलूशन पास हुआ था, उसके बाद मिक्स्ड इकोनामी की बात उसमें घुसेड़ दी गयी। तो श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दिल व दिमाग से इस भ्रम को दूर करें।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मेरी समझ में नहीं आया, आप जरा यह लालबत्ती गुल कर दें इससे मेरा कोई मतलब नहीं है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---सदन ने जितना समय मुकर्रर किया है उसके मुताबिक, जितना समय उन को मिलना चाहिये उससे कहीं अधिक हो चुका है और आपके नेता ने जितना लिया था करीब करीब उतना हो चुका है, अब आप विराज जाइये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---जी, व्यवस्था का प्रश्न मेरा है वह तो आप सुन लें। मेरा प्रश्न यह है कि राजा साहब ने अपने प्रस्ताव पर अपना भाषण समाप्त किया तो उस के बाद क्या अब माननीय नरसिंह नारायण भी उसी जनमत संग्रह वाले प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---बोल तो उसी पर रहे हैं, लेकिन बार-बार वह एक चीज को ही रिपीट कर रहे हैं, सदन ने जो समय नियत किया था वह उनका हो चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---तो यह ठीक है कि वह इस जनमत संग्रह वाले पर ही बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां। मैंने समय के बारे में कहा कि वह जल्द खत्म करें, रिपीटीशन हो रहा है।

श्री कल्पनाथ सिंह---श्रीमन्, मेरा प्वाइंट अभी आफ नहीं हुआ, वह व्यवस्था का प्रश्न है आप स्पष्ट कर दें कि श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी ने जो अभी कहा वह व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं और अगर वह है तो आपने उस पर क्या व्यवस्था दी ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा यह कहना है कि . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी, आप बैठ जायं, उन की स्पीच के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---राजा साहब के बाद मंत्री जी बोलते, आपने उन को बिना वजह बुला लिया, उन का प्रस्ताव आये तब आप उन को बुलायें, दो प्रस्ताव अलग-अलग थे आप दोनों को एक ही में शामिल लिये लेते हैं। पहला प्रस्ताव राजा साहब का जनमत संग्रह का है और श्री नरसिंह नारायण का दूसरा है . ; . .

श्री उपाध्यक्ष---आप गलत समझ रहे हैं, प्रस्ताव तो माननीय राजस्व मंत्री का है, उस पर यह दोनों संशोधन हैं राजा साहब का और श्री नरसिंह नारायण का।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—पहले तो आप दूसरी बात कह रहे थे. . .

श्री उपाध्यक्ष—वह तो मेरे मुंह से उस वक्त निकल गया, आप तो शब्दों को पकड़ते हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—श्रीमन्, मेरे दस मिनट वैसे ही निकल गये इसका आप खयाल रखें। अभी मैं समाजवाद के बारे में कुछ कह रहा था। महात्मा गांधी ने जिस सोशलिज्म को माना था उसको भी मैं आप के सामने पेश करना चाहता हूं। यह यू० पी० इम्पोजीशन आफ सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज ऐक्ट, १९६० है इससे यह उद्धृत कर रहा हूं. . . .

श्री मैनेजर सिंह—यह लालबत्ती, श्रीमन्, जल रही है इस को आप सफेद कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—यह ५ मिनट के लिये जल रही है, यह अभी सफेद नहीं होगी। माननीय सदस्य जल्द खत्म कर दें।

श्री मैनेजरसिंह—श्रीमन्, माननीय सदस्य इससे डर जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—दस मिनट में काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आप १० मिनट में खत्म कर दें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—तो इस में लिखा है कि—

The recommendation made by the Committee can well be examined in the light of the observations of Mahatma Gandhi who in his article in the "Harijan" dated January 2, 1937 wrote as follows :

Real socialism has been handed down to us by our ancestors who taught "All land belongs to Gopal; where then is the boundary line ? Man is the maker of the line and can therefore, unmake it. Gopal literally means shepherd; it means the State, i.e. the people. That the land today does not belong to the people is too true."

In the year 1942 in reply to one of the questions asked to him in the Agha Khan Jail, Mahatma Gandhi said,

"Q. How will land be distributed after Swaraj ?"

A. Land will be owned by the State. I presume the reigns of Government will be in the hands of those who have faith in this ideal. A majority of Zamindars will give up their land willingly. Those who do not do so will have to do so under legislation.

मैं महात्मा गांधी के कुछ शब्दों को उद्धृत कर रहा था जो उन्होंने लैन्ड के बारे में कहे थे।

(इस समय ४ बजकर ४४ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

* श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब श्री मन, के खिलाफ तथा उपाध्यक्ष के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाया गया था तो उसके बारे में यह कहा गया था कि सदन की अनुज्ञा मांगी जाय। सदन की अनुज्ञा मांगी गयी। उसके बाद अधिष्ठाता ने ? यह कहा कि दो बजे के बाद वह बतलायेंगे और समय निश्चित करेंगे कि कब इस पर बहस होगी अब तक अधिष्ठाता महोदय, यहां आये नहीं और न समय और तिथि ही निश्चित की। इसलिये जो रिजोल्यूशन इस सदन के सामने उपस्थित किया गया था वह अबतक जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक अधिष्ठाता महोदय, यह निर्णय न दे दें कि सदन में बहस के लिये कौन-सी तिथि और समय निश्चित किया गया है। जब तक उस रिजोल्यूशन का अन्त अधिष्ठाता महोदय महोदय के जरिये नहीं हो जाता तब तक जितनी कार्यवाही हुई है नियमों के विरुद्ध है। श्रीमन्, इस पर अपनी व्यवस्था देंगे ताकि हम समझ सकें कि सही नियम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष--नियम २७०, २७१ और २७२ इससे सम्बन्धित हैं.....

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि बृजभूषण शरण जी ने जो निवेदन किया था वह अपनी जगह ठीक है, मैं उससे ऐग्री करता हूं लेकिन मेरा कहना यह है कि जब एक रिजोल्यूशन इस सदन के सामने प्रस्तुत हो और वह प्रोसीडिंग अभी तक जारी हो तो मेरे खयाल में वह प्रोसीडिंग तब तक जारी रहेगी जब तक अधिष्ठाता महोदय यह निश्चित न कर दें कि आइटम १० और ११ के सम्बन्ध में फलां तारीख तथा फलां तिथि को बहस होगी। लिहाजा वह रिजोल्यूशन अभी तक कंटिन्यू कर रहा है।

श्री अध्यक्ष--३ घंटे आपने बर्दाश्त किया, १५ मिनट और सही।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---जब आपके खिलाफ नो कांफिडेंस मोशन हो तो क्या आपको अधिकार है कि आप व्यवस्था दे सकें ?

श्री कमलासिंह यादव---१५ मिनट का सवाल नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप इसे साफ कर दें।

श्री अध्यक्ष---संविधान के अनुच्छेद १८१ (१) में लिखा है "जब अध्यक्ष को अपने पद से कोई हटाने का संकल्प विचाधीन हो तब अध्यक्ष, अथवा जब उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन न होगा" तथा अनुच्छेद १८० (२) में लिखा हुआ है "विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाय, अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो तो, अन्य व्यक्ति जिसे सभा निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा" तो १८१ में जब आप विचार करेंगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हटा दिये जायं, तो उस समय, अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव होने पर अध्यक्ष नहीं बैठ सकता, और उपाध्यक्ष के विरुद्ध होने पर उपाध्यक्ष नहीं बैठ सकता। लेकिन यह नहीं है कि केवल इस कारण से कि अनुज्ञा दे दी गयी हो तो उपाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं बैठ सकेंगे, यह नियम नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---मैं कारण पर नहीं जा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सदन के सामने एक प्रस्ताव रखा गया और अधिष्ठाता महोदय पीठासीन हुये। उन्होंने यह कहा अनुज्ञा के बाद कि हम इस रिजोल्यूशन पर तिथि और समय निश्चित करेंगे कि कब इस पर बहस हो। तो वह जोल्यूशन तब तक जारी रहेगा जब तक समय और तिथि निश्चित न कर दिया जाय। अभी तक अधिष्ठाता महोदय इस सदन के सामने नहीं आये और न डिक्लेरेशन किया तो तब तक क्या यह समझा जाय कि जो रिजोल्यूशन कंसीडरेशन में था वह कंटीन्यू कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष---२७२ नियम में यह है "यदि पूर्वगामी नियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तावक संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा सदन से प्राप्त कर ले (जैसा कि आपने प्राप्त कर लिया है) तो संकल्प किसी नियत दिन पर लिये जाने के लिये कार्य-सूची में सम्मिलित कर दिया जायगा"।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---यह कौन करेगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं करूंगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन लगेंगे।

श्री अध्यक्ष---नहीं। कल आयेगा। अब तो आप खुश हैं ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---मेरा अध्यक्ष महोदय, यह कहना है कि सदन तय करे।

श्री अध्यक्ष---नहीं। वह मैं तय करूंगा और कल ही आयेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं महात्मा गांधी के वे शब्द पढ़ रहा था जो उन्होंने आगा खां को जेल में उनके सवाल के जवाब में लिखे थे कि "How will land be distributed after Swaraj ?"

स्वाराज्य के बाद जमीन कैसे बांटी जायगी, यह आगा खां ने पूछा था, जिसके जवाब में महात्मा गांधी ने यह लिखा था–

"Land will be owned by the State."

जमीन स्टेट की होगी ।

"I presume the reigns of Government will be in the hands of those who have faith in this ideal."

उनका खयाल था कि सरकार की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में होगी जिनका इस आइडियल में विश्वास है ।

"A majority of the Zamindars will give up their land willingly."

और उनकी ऐसी समझदारी थी कि जो जमींदार हैं वे अपने आप जमीन को छोड़ देंगे ।

"Those who do not do so will have to do so under legislation."

और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनको कानून के मार्फत ऐसा करना पड़ेगा ।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो गयीं । ये लैन्ड सीलिंग और लार्ज होल्डिंग्ज ऐक्ट इसीलिये बनाये गये कि इनके द्वारा वह निरीह बच्चे जो आज दिन भर मेहनत करने के बाद भी बिना खाये हुये रात में सो जाते हैं महात्मा गांधी के दिल और दिमाग में एक नक्शा था कि जब स्वराज्य होगा तो इस तरह की टेन्योर सिस्टम बनेगा । आज कितने निरीह लोगों को हम लार्ज होल्डिंग्ज और सीलिंग्स ऐक्ट के मातहत जमीन बांट पाये हैं। अगर यह सरकार एक मिनट भी इस चीज को महसूस करती है कि वह महात्मा गांधी के उद्देश्यों पर चलने की हामी है तो उसे एक मिनट की भी देर गद्दी छोड़ने में नहीं करनी चाहिये क्योंकि सन् १९४७ से १९६२ तक आपके किसानों को एक ऐसे माहौल में रख कर और प्रचार की बातें कह कर के हुक्मरां बने रहे और किसान यह समझता रहा कि यह सरकार और कांग्रेस महात्मा गांधी की है और इसके हाथ में शक्ति देनी चाहिये । लेकिन यह सरकार उस मकसद को पूरा नहीं कर सकी । और जब उस मकसद को पूरा नहीं कर सकी तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस सरकार को इन कुर्सियों पर बैठने का हक नहीं है और इसी लिये, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, अगर इंगलैन्ड की सरकार होती तो और इस तरह से उन नीतियों को प्रतिपादित न करती जिनके आधार पर उसने शक्ति ली होती तो वह सरकार इस्तीफा दे कर अलग हो गयी होती । आपने क्या किया किसानों के साथ ? आपने, जैसा कि मैंने कहा कि मकड़ी का ऐसा जाल बिछाया कि जिस जाल में छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े किसान फंस गये और फंसने के बाद उनकी स्थिति बदत्तर हो गई। लेकिन आज बड़े कीड़े और बर्रे जो आपके जाल में नहीं फंस सके और कानून कायदे के बदौलत उनको तोड़कर जहां वे लखपति थे वहां करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। यह आपका लैन्ड टैन्योर सिस्टम हुआ। आज १९३६ से लेकर १९६२ तक कोई मुस्तकिल लैण्ड टैन्योर सिस्टम चालू नहीं कर पाये। लार्ड कार्नवालिस ने मुस्तकिल लैन्ड टैन्योर सिस्टम चालू किया और ४९ रैग्यूलेशन्स बनाये। लेकिन जितने आपने बनाये उनसे स्थिति यह हो गई कि पूंजीपतियों को बल मिला, प्रतिक्रियावादी ताकतों को बल मिला, जो देश में उठ रही हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि आपने किसान के साथ न्याय नहीं किया और जब न्याय नहीं किया तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई भी टैक्स लाते हैं तो जैसी कि मैंने टैक्स की परिभाषा बताई उसकी. . .

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि धारा ११३ का नोटिस मैंने दे दिया है। प्रस्ताव मुझे पढ़ लेने दें।

श्री अध्यक्ष---उनको समाप्त कर लेने दीजिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह---श्रीमन्, इसके बाद मौका कहां मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---देखिये, एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इस तरह से बीच में व्यवधान नहीं कर सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---उनके बाद श्रीमन्, मुझे मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---बिलकुल ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद---अध्यक्ष महोदय, आपने बिल तक रेग्यूलेराइज बोलने के बीच में कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष---जब किये तो किये हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---श्रीमन्, आज हमारी सरकार ने टेंनेंसी ऐक्ट नाम की कोई चीज नहीं बनाई है।

श्री अध्यक्ष---पांडेय जी, यह नो-कांफीडेंस मोशन नहीं है। आप टैक्स पर ही बोलें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---जी हां, श्रीमन्, मैं उनका ही जवाब दे रहा हूं।

श्री कल्पनाथसिंह---श्रीमन्, आपकी व्यवस्था बड़ी सर्वमान्य होती है। माननीय नरसिंह नारायण जी जब तक सब बातों का स्पष्टीकरण नहीं कर लेंगे जो श्रद्धा जी, बनारसी दास जी, विकल जी तथा कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने कहीं, तब तक कैसे काम चलेगा क्योंकि हमें वोट देना है। हम कैसे वोट देंगे ?

श्री अध्यक्ष---माननीय नरसिंहनारायण जी, आप कहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आज यह सरकार दो पंच-वर्षीय योजनाओं के बावजूद भी नहीं चेती कि कोई लैंड पालिसी मुस्तकिल बनाती। इसके बाद टैक्स लगाने की बात करती तो कम से कम ऐसी स्थिति हो जाती कि किसान दो समय खाना पा सकते। लेकिन आज स्थिति यह है कि आप के सीलिंग बिल के आने के बाद आप कोई जमीन किसानों को नहीं दे पाये। इसका नतीजा यह हुआ कि बेरोजगारी बढ़ रही है। जोतकर विधेयक के जरिये आप टैक्स लगाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष---श्रीपालसिंह जी, आप उनको समझाइये नहीं, बल्कि जरा सुनिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---आपके लैण्ड होल्डिंग के जरिये हम समझते थे कि आप किसानों की जिन्दगी को अच्छा बनायेंगे। लेकिन आपने खेत बांटे नहीं जिसकी वजह से बेरोजगारी का आलम है। जब बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं हुई और आज भी आपके प्लान में कोई ऐसी योजना उन लैंडलेस लेबरर्स के लिये नहीं, उनके लिये कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि सही तरीके से महसूस कर सकें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद अब भी वह कमसे कम अपना विकास कर पायेंगे तो श्रीमन्, आज इस जोत कर विधेयक का समर्थन कैसे करेंगे ?

श्रीमन्, दूसरी चीज यह कहनी है कि माननीय बनारसीदास जी ने यह बात कही, और मेरा नाम भी लिया, आपको याद होगा कि इधर के बैठने वाले जितने विरोधी पार्टी के नेता हैं उनकी लिस्ट मंगा ली थी चुनाव दफ्तरों से कि किस को कितने वोट मिले और आपने वोट के आधार पर यह आर्गूमेंट रखा कि आपको तो पचास प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले ही नहीं और आप एक दो हजार, दो सौ, पांच सौ वोट से जीते, तो आपको यह कहने का नैतिक हक क्या है कि इस बिल में सबसे ज्यादा बहुमत आपके साथ है। यह उनका कहना था। लेकिन मान्यवर, माननीय मोहनलाल जी सक्सेना कांग्रेस के नेता हैं। उनके जो आर्टिकिल्स

निकले हैं उनके मैंने कई बार कोटेशंस इस सदन में दिये हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि संसद के चुनाव में कांग्रेस को जितने वोट मिले उससे सवा गुना वोट विरोधी पार्टियों को मिले और विधान सभा के चुनाव में तो संसद के चुनाव से भी बदतर हालत है। यह मैंने नैशनल हेराल्ड में जो उनका आर्टिकिल निकला था उससे कोटेशन दिया था। माननीय बनारसीदास जी अपने उस साथी की बात कर पर क्यों विचार नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—कमसे कम दस मिनट और दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—एक घंटे का समय दिया था विरोधी दल के नेता को और आपको। एक घंटा छः मिनट आप ले चुके। दो मिनट हैं आपके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—केवल दस मिनट दे दीजिये। पार्टी का एक ही आदमी बोला। कमसे कम भावनाओं को तो व्यक्त कर दूं। आप सक्षम हैं। आपसे न कहूं तो किस से कहूं ?

माननीय बनारसीदास अपने उस साथी की बात भूल गये। आज सदन के नेता सारी विश्व की परम्पराओं को ताक में रख कर ह्विप जारी करते हैं। २४ तारीख को ह्विप जारी होता है कि २६, २७ तारीख को आदरणीय सदन जोत कर विधेयक पर आपको अनिवार्य रूप से मत देना है। यह आप के बीच में घबड़ाहट, बौखलाहट नहीं थी तो ह्विप जारी करने की क्या जरूरत थी ? आज इस बात को छिपाया नहीं जा सकता।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष—दो मिनट रुक जाइये, वह खत्म कर रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि अगर इस कांग्रेस की हुकूमत ने इस लैन्ड टैक्स बिल को वापस नहीं लिया तो मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि देश के सामने आज खतरा है, मान्यवर, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं उन व्यक्तियों में हूं जिन्होंने साफ तरीके से कहा है कि मुल्क पर हमला हर एक हिन्दुस्तानी पर हमला है और हर एक व्यक्ति चाहे जिस मत-मतांतर का हो हमेशा के लिये जी जान से गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और माननीय मंत्री जी आज इतना भी नहीं कह सकते हैं कि आज हम इस बिल को वापस लेते हैं। इनकी भी जिम्मेदारी है ऐसे समय में जबकि देश का नैतिक बल ऊंचा करने की जरूरत है, ऐसे समय में उनको ऐसे कंट्रोवर्शियल विधेयक को वापस लेना चाहिये जिसके जरिये कि उनके दल के हाशिये में आज दरार पड़ गई है। अध्यक्ष महोदय, हाशिये में दरार पड़ने का मतलब समझा जाता है कि अब मुकदमा समाप्त हो गया है। . . . .

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं साफ तरीके से कह देना चाहता हूं कि अगर यह टैक्स लगा तो सोशलिस्ट पार्टी नो-टैक्स कैम्पेन शुरू करेगी और नो-टैक्स कैम्पेन शुरू करके इसका हर तरीके से मुकाबला करेगी और गवर्नमेंट को मजबूर करेगी कि वह टैक्स न लगा सके।

अन्य अभिसूचित प्रस्तावों पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—अब इसमें एक तो माननीय रामकिशोर जी का प्रस्ताव है, रामकिशोर जी का मैंने अस्वीकार किया है। अब माननीय श्रीपाल सिंह, माननीय दीपनारायण सिंह, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय रामायण राय, माननीय चन्द्रबली सिंह और माननीय नरसिंह नारायण पांडेय का प्रस्ताव है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि यह

[श्री अध्यक्ष]

ऐसे प्रश्न हैं कि इन पर बहुत सोचकर कोई चीज आनी चाहिये । अब खयाल कीजिये कि माननीय रामकिशोर जी ने कहा है कि भय व्याप्त है, तो ऐसी चीज नहीं आनी चाहिये कि जिसमें कोई मतभेद हो, कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिये कि जिसके संबंध में संशोधन प्रस्तुत हो और जिसके ऊपर हमको मत लेना पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये और अपने नेशनल लाइफ, अपने राष्ट्र और राष्ट्रीय जीवन को दृढ़ बनाने के लिये हमारा सबका कर्त्तव्य यह है कि ऐसा प्रस्ताव आये कि जो एक मत से, एक स्वर से यहां स्वीकृत हो। मेरा आप सबसे निवेदन है कि चीन के संबंध में हमारे जितने भी प्रस्ताव होंगे वह सबकी सलाह से हों, यही मेरा निवेदन है और इस दृष्टि से मैं इस पर आज विचार नहीं कर सका हूं। यह कल आ जायगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जो प्रस्ताव है उसके एक-एक शब्द के ऊपर विचार करके मैंने उसे लिखा है।

श्री अध्यक्ष---आपने विचार किया है, मैंने तो नहीं किया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह---आप उसमें देख लें कि कहीं भी न तो चीन के लिये कोई शब्द है, केवल एक अपने सेनानी जो मरे हैं उनके लिये समवेदना का·····

श्री अध्यक्ष---उनके लिये समवेदना नहीं होगी, उनके लिये श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आप बैठ जाइये। मुझसे बात कर लीजियेगा।

कुंवर श्रीपाल सिंह---हम चाहते यह हैं कि यह चाहे मुख्य मंत्री के ही नाम से आये, किसी तरह से आये···

श्री अध्यक्ष---जरूर आयेगा, मैं आपसे कहता हूं।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)---मेरे दो प्वाइंट हैं कांस्टीट्यूशनल। एक तो सदन की कार्यवाही की वैधता के संबंध में है कांस्टीट्यूशनल प्वाइंट, चूंकि मैं समझता हूं कि आप इस पर बहुत गौर करते हैं इसलिये मैंने रखा है। आर्टिकिल १८१ कांस्टीट्यूशन का यह है कि जब कोई रेजोल्यूशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अंडर कंसिडरेशन हो, अंडर डेलिबरेशन नहीं है या अंडर डिस्कशन नहीं है, अंडर कन्सिडरेशन के वर्डिंग को आप पढ़लें, इसका मतलब यह हुआ कि आज चूंकि अनुज्ञा मिल गई इस सदन की तो अंडर कंसिडरेशन हो गया···

श्री अध्यक्ष---देखिये, यह आप तीसरी मर्तबा उठा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सामने उठाया, मेरे सामने उठाया गया और माननीय कमलासिंह जी को मैंने बता दिया कि यह मेरा मत है। उस पर रूलिंग हो चुकी है। (व्यवधान) इसको मैं ओवर रूल करता हूं। (व्यवधान)

आप 'अरे-अरे' जो कहते हैं यह गलत है। जो संसदीय भाषा है उसी में बोलिये।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---मैं 'अरे' नहीं कहता।

श्री दीपनारायण सिंह---मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जमींदारी खात्मे के ऐक्ट में एक सेक्शन ४ है। उसमें स्टेट को मालिक करार दिया गया है (व्यवधान)। मेरा प्वाइंट यह है कि जिस शक्ल में यह विधेयक आया है यह अवैध है।

श्री अध्यक्ष---आपको मौका मिला था बोलने का। आपने जो बहस की है उसका जवाब माननीय राजस्व मंत्री जी देंगे और मैंने इस सदन में निश्चित रूप से यह व्यवस्था दे दी है कि जहांतक कांस्टीट्यूशनल प्रश्नों को तय करने का प्रश्न है उन्हें सदन तय करेगा और उनको मैं नहीं तय करूंगा। अगर अवैध है तो सदन इसे तय करेगा और अगर वैध

है तो इसे सदन तय करेगा। और अगर यह स्वीकृत हो गया और यह विधेयक ऐक्ट बन गया तो इसे अदालत तय करेगी, मैं नहीं। (व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आध घंटा और बढ़ा दिया जाय।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—बनारसीदास जी ने कुछ बातें कहीं थीं अपने भाषण में, उनका क्लैरीफिकेशन देने की मुझे आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—क्लैरीफिकेशन के लिये आपको भाषण समाप्त होने के बाद ही समय लेना चाहिये था।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं समझता था कि मुझे बोलने का मौका मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—मैं इसे ओवर रूल करता हूं।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मैंने नियम १७३ के अन्तर्गत एक सूचना भेजी थी। आपने उसे देखा नहीं ऐसा मेरा खयाल है। आपने समझ लिया कि यह भी चीन के संबंध में है। गोरखपुर में जो लोग गोली से मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि और समवेदना के प्रस्ताव के लिये मैंने आपकी अनुज्ञा चाही थी। आप उसे देख लें।

श्री अध्यक्ष—कंडोलेंस का प्रस्ताव ऐसा है कि जिसकी शोभा इसमें है कि वह सदन में प्रस्तुत होने के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृत होना चाहिये और इसलिये अच्छा हो कि वह नेता सदन की ओर से आये। मैं नेता सदन से बात कर लूंगा और फिर इस पर विचार करूंगा।

उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ (क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, जब मैं बोल रहा था तो माननीय बनारसीदास जी ने मेरी बात को गलत कहा था। मैंने उस समय उपाध्यक्ष महोदय से कहा था कि मैं फाइल मंगाता हूं और उसे आपके सामने रख दूंगा और अगर मेरी बात सही हो तो वे अपने शब्द वापस ले लेंगे। इस समय यह फाइल मेरे सामने है और ३ अक्तूबर को प्रश्न हुआ है। यह अतारांकित प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष—आप नेता विरोधी दल हैं, वे मिनिस्टर हैं। आप दोनों बैठ कर बात कर लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह बात हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—तो वह वापस ले लेंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये वह जिद करें। मैं समझता हूं कि इसे आप मिल कर आपस में तय कर लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भू-कर पर आज १०,११ रोज से यहां पर विवाद हो रहा है। हमारे बहुत से मित्रों ने, जो इस तरफ भी बैठे हैं और उस तरफ भी बैठे हैं, अपने-अपने विचार व्यक्त किये। हमारे जनसंघ के नेता, राजा नहीं कहूंगा क्योंकि वह नाराज हो जाते हैं, उनका व्याख्यान मैंने बड़े गौर से सुना।

श्री यादवेन्द्रदत्त—नाराज नहीं होंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजा साहब जौनपुर ३ दिन तक बराबर ३ घंटे तक बोले और ऐसी बढ़िया भाषा और परिमार्जित भाषा में बोले जैसी कि मैंने कभी नहीं सुनी थी और मैं खुद भी नहीं बोल सकता हूं। बड़े सुन्दर शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। बनारस के तरफ के रहने वाले हैं और वहां की भाषा बड़ी मशहूर है। इतनी मशक्कत की कि कई रूमाल उनके

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

भीग गये और ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे स्पंज का पीपा कहीं रख दिया जाय उसमें से पानी थोड़ा-थोड़ा करके निकले। लेकिन उसमें मुझको कोई तथ्य नहीं दिखाई पड़ा। मुझे उनकी स्पीच सुनने का कई बार मौका मिला, चाहे वह बजट के दौरान में दी गई हो और चाहे वह राज्यपाल के संबोधन भाषण पर हो और चाहे वोट आफ नो-कान्फीडेन्स के डिसकशन के सिलसिले में हो, उनकी एक ही स्पीच होती है? यह मैंने नोट किया। मैं समझता हूं कि उनको अपनी एक बार स्पीच टेप रिकार्ड करा लेनी चाहिये और बजाय इसके कि हर बार तकलीफ उठायें, वह उसको ही बजा दिया करें। इससे वह मेहनत से बच जायेंगे। मैं अगर कोई कड़ा बब्द कह गया होऊं तो उसके लिये क्षमा चाहते हुये यह दरख्वास्त करूंगा कि कड़ी जबान बोलने की मेरी आदत नहीं है और उससे कोई काम सिद्ध भी नहीं होता है। क्योंकि एक कहावत भी है कि "स्ट्रांग लैंग्वेज डज नाट कट मच आइस"।

उधर के कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग गाली बकते हैं। लेकिन हमने गाली सीखी कहां से और फिर इस उम्र में सीखेंगे। (व्यवधान) हम तो गाली दे भी सकते हैं जौनपुर वालों को हमारा उनका रिश्ता ही कुछ ऐसा है सिर्फ फागुन में ही नहीं बल्कि बारहों मास दे सकते हैं।

अगर हमारे राजा साहब भूले नहीं हों तो मैं उनको याद दिला दूं कि उन्होंने कहा था कि यह गवर्नमेंट ब्रेनलेस गवर्नमेंट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों की गरीबी दूर करने वाली, अपने देश में विकास के कार्य चलाने वाली और लोगों का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाने वाली और चौमुखी विकास करने वाली सरकार को ब्रेनलेस कहा जायगा? इस सूबे को हरा भरा करने वाली सरकार को क्या ब्रेनलेस कहा जायगा? मैं तो समझता हूं कि ऐसी सरकार को ब्रेनलेस कहने वाला खुद ही ब्रेनलेस है। एक और कहावत है अंग्रेजी में "पीपुल बिगिन टु क्राई बट दि शू बिगिन्स टु पिंच।"

११ दिन से सुन रहा हूं। शायद मेरा कलेजा पत्थर का है। अगर पत्थर का न होता तो शायद टूट जाता। वह मोम का कलेजा नहीं है। राजा साहब शायद बुरा नहीं मानते। राजा साहब जब कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन कानून मैंने पेश किया लेकिन राजाओं से मेरे ताल्लुकात रहे। मेरे अन्दर वजेदारी तो कम से कम है ही आप अपनी वजेदारी से बाज आ जायें, लेकिन मैं ऐसी आशा नहीं करता। अगर हमारी बीविंग, ड्रेनिंग और फेमिली ट्रेडीशंस गड़बड़ हैं तो वह कायम नहीं रहेगी। तो मैं आदर की दृष्टि से ही राजा कहता हूं, यह हमेशा शेवा रहा है। वह दुनियां भर की दुश्मनी करें, लेकिन मैं वजेदारी से गिरूंगा नहीं। इसलिये उनको बुरा नहीं मानना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप शौक से कहिये, मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगता।

श्री हुकुमसिंह विसेन—तो मुझे कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। राजा साहब ने एक बात कही कि शुगर फैक्टरीज का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर लेते? भाई गेंदा सिंह हैं नहीं, उन्होंने भी कहा था। मैं नहीं कहता कि दोनों अनाड़ी हैं, वह खूब जानते हैं। शुगर फैक्टरी कंट्रोल ऐक्ट है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पावर हमको है नहीं। राजा साहब किसी नीयत से कहते हों, लेकिन भाई गेंदा सिंह तो शुगर फैक्टरी ओनर पर एक रौब गालिब करना चाहते हैं ताकि वह उनकी सीटी पर बोला करें। उनमें स्ट्रांग कामन-सेंस है। इन सीजन, आउट आफ सीजन शुगर फैक्टरीज के नेशनलाइजेशन की बात करते हैं ताकि वह उनको अपने टर्म्स डिक्टेट करते रहें। उनके भी शुगर फैक्टरी ओनर्स से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझ से कम नहीं, ज्यादा हैं और कुछ शुगर फैक्टरी ओनर उनके ललना भी हैं। "ललना" आप नहीं जानते, पूर्वी भाषा का शब्द है। तो यह सुझाव अव्यावहारिक है। पहले गवर्नमेंट को अप्रोच करें, उनकी खुशामद करें। जब उनके खिलाफ प्रोसीडिंस शुरू करें तो रिट ले आयें हाई कोर्ट में और योजना खत्म हो जाय, वह खत्म न हो। इससे क्या आमदनी बढ़ सकती है? यह तो

वैसी मिसाल है कि एक गांव में कहीं आग लग गयी, एक तालाब छोटा बना हुआ है, उससे पानी निकाल कर आग बुझाने चले तो लोग कहें कि यह छोटे आदमियों के इस्तेमाल के लिये है, आग बुझाने के लिये कुआं खोद लो, तब आग बुझाओ। तबतक तो आग सब स्वाहा कर देगी। इससे क्या विकास कार्य चल सकेगा ?

गेंदासिंह जी को शिकायत है कि त्रिलोकी सिंह और माननीय भानुप्रताप सिंह का एक आर्टिकिल निकला था, उसको किसी ने नहीं पढ़ा और न जवाब दिया। त्रिलोकी सिंह से मेरे बहुत अच्छे पुराने ताल्लुकात हैं, भाई-चारे का नाता है और भानुप्रताप जी से रिश्तेदारी निकल आयेगी अगर खोजा जाय। लेकिन दोनों में से किसी को शिकायत नहीं है, सिर्फ गेंदा-सिंह जी को शिकायत हैं। एक विशेषता जरूर उनके ताल्लुकात में है कि गेंदा सिंह जी और त्रिलोकी सिंह जी के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, जब त्रिलोकी सिंह प्रोमोट होंगे तो वह डिमोट होंगे और जब ये प्रोमोट होंगे तो वह डिमोट होंगे। वैसे हमारे नहीं हैं। क्या करें मजबूरी है। भाई गेंदासिंह जी को, या भाई त्रिलोकीसिंह जी को, या भाई भानुप्रतापसिंह जी को कोई शिकायत नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातों से, जिनका कि विधेयक से कोई ताल्लुक नहीं है कोई मतलब नहीं निकलता है। एक बात त्रिलोकीसिंह जी ने कही थी, और बलवानसिंह जी ने भी कही है कि इस बिल में यह लिखा है कि "To encourage the evolution of a single tenure system". लेकिन इसमें कोई खुशबू ऐसी नहीं आती है। अब अगर सूंघने की शक्ति ही जाती रही हो, तो उसका हमारे पास इलाज नहीं है। इसको तो डाक्टर ही अच्छा कर सकता है। इस विधेयक के क्लाज ७ के सब-क्लाज (४) को पढ़ लिया जाय। उसमें यह स्पष्ट है कि इस तिथि तक जो भूमिधर हो जायेगा उनको भी रेमिशन का राइट हो जायेगा। तो उसमें एक प्राविजन है, मैं यह नहीं कहता कि आपने उसे पढ़ा नहीं, लेकिन उस तरफ माइन्ड एप्लाई नहीं किया। यह शिकायत त्रिलोकीसिंह जी को भी थी, लेकिन उन्होंने उसको पढ़ कर समझ लिया। अध्यक्ष महोदय, कितना टाइम है.....

श्री अध्यक्ष---मैं सदन का समय १५ मिनट बढ़ाता हूं। आप जल्दी खत्म कर लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम कोई इरेलीवेन्ट बात कहने को तैयार नहीं हैं....

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मीटिंग बुला रखी है, अगर समय बढ़ाया गया तो हम लोग कैसे वहां जायेंगे और कैसे घर जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---वह मीटिंग पौने छः बजे से है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, कुछ बातें ऐसी कही गयीं कि जिनको सुनकर हमें बड़ी तकलीफ हुई। माननीय बलवानसिंह जी ने कहा कि यह मंत्री लोग तो पैलेसेज में रहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह मेरे साथ बहराइच चलें और देख लें कि क्या मैं पैलेस में रहता हूं और अगर वे उसको पैलेस कह देंगे तो मैं झोपड़ी में रहने लगूंगा। इस तरह की छोटी-छोटी बातें यहां कहना कोई शोभा की बात नहीं है। १९४६ में जब मैं मिनिस्टर हुआ तो लाबी में एक अलीगढ़ के सदस्य ने मुझ से कहा कि अब तो आप कोठी में कल से रहेंगे। मैंने कहा कि हां, अपना महल छोड़ कर। हमारे मकान को जरा देखिये, गुप्त जी की मेहरबानी से ऐसा मकान है जिसमें ८ फीट का ही बरामदा है जो हमारे लिये तो मौजू हो सकता है मगर हमारे राजा लोगों के लिये नहीं। अगर कुछ लोग आ जायं तो हम उनको उसमें बिठा भी नहीं सकते। इस तरह की बातें सुन कर बड़ी तकलीफ होती है। यह सदन एक सावरेन अथारिटी है और जब यहां ऐसी बातें होंगी तो बाहर का जो इन्टेलीजेन्सिया है वह क्या सोचेगा ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं कोई एक्सर्शन नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---माननीय राजस्व मंत्रीजी, मुझे १५ मिनट में लाबी में वोटिंग भी कराना है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत अच्छा, मैं जल्दी खत्म करता हूं। हमारे डाक्टर अहमद साहेब ने लम्बे आंकड़ों की लड़ाई शुरू की। आंकड़ों की ऐसी लड़ाई हुई जैसे रावण की लंका में हुई। बनारसीदासजी, नवलकिशोर भाई और श्रद्धादेवी जी ने भी आंकड़ों की लड़ाई लड़ी, जैसे लंका में बाण छूटे। हमारे विकल जैसे शूरवान सरेंडर कर गये कि मैं आंकड़े नहीं दूंगा। मैं तो आंकड़ों में माहिर नहीं हूं, इसलिये मैंने आंकड़ों के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। मैं तो सीधी सादी बात जानता हूं कि यह कर हम ८ एकड़ से ऊपर के जोतनेवाले काश्तकारों के ऊपर लगावेंगे, उनसे रुपया लेकर गरीबों की भलाई करना चाहते हैं। भाई गेंदासिंह जी नहीं हैं, मैनेजरसिंहजी उनसे कह देंगे। मैं उनसे और झारखंडेरायजी से और नरसिंहनारायणजी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे नहीं चाहते हैं कि जो जरा मोटे हैं उनसे कर वसूल करके हम गरीबों की मदद करें? आपका समाजवाद कहां जायगा? आप समाजवाद के हामी हैं।

एक बात कड़वी है और अगर माफी हो तो कह दूं। स्वतंत्र पार्टी केवल ठाकुरों की जमात है। मोनोपली है उनकी। जन संघ में लीजिये तो राजा साहेब जौनपुर, राजा साहेब रुदौली, राजा श्रीपालसिंह, ठाकुर शिवेन्द्र प्रतापसिंह और टम्बेश्वरी प्रसाद भी राजकुमार हैं। एक से एक काबिल आदमी भी पीछे बैठे हैं। राजा लोगों ने जनसंघ पर कब्जा कर लिया। उन्हीं पर यह टैक्स पड़ने वाला है। स्वतंत्र पार्टी वालों के भी नौकर-चाकर, भाई-भतीजे और लड़कों पर पड़ने वाला है। तो क्या झारखंडेरायजी उन पर टैक्स लगाना नहीं चाहते हैं? क्या नरसिंह नारायणजी जन संघ से मेल खा गये? मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी और जब दम घिरने का मौका आया तो सप्रैस कर दिया अपना आन्दोलन। यह अखबार में आ चुका है। हम यह कहते हैं कि राजा श्रीपालसिंह कल तक रहे स्वतंत्र पार्टी में, आज आगये जन संघ में। हमारे यहां एक मसल है कि नया मुसलमान प्याज ही प्याज पुकारता है। आप ऐसे स्टेटस के आदमी हैं कि जैसे हम छलांग मारें आप को वैसे छलांग न मारना चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि सदन हमारे इस बिल के विचार के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और सरकुलेशन और प्रवर समिति में भेजने के प्रस्तावों को अस्वीकार करेगा जो रस्मन पेश किये गये हैं। हर बिल में ये पेश होते हैं। उनका मंशा है कि देर हो जाय बिल पास होने में। यही मंशा है।

श्री अध्यक्ष—मैं मूल प्रस्ताव पर मत लूंगा और अगर यह मूल प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो संशोधन स्वयं गिर जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद—श्रीमन्, यह तो आप एक नयी परम्परा कायम कर रहे हैं। पहले संशोधन पर वोटिंग होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। नियम के अनुसार मुझे पूरा अधिकार है कि मैं पहले मूल प्रस्ताव पर वोटिंग लूं। नियम इस प्रकार है, जिसे मैं आपको सुना देता हूं—

"२८५—संशोधन पर मत लेने की रीति—(१) जब किसी प्रस्ताव पर एक या एक से अधिक संशोधन प्रस्तुत किये जांय तब अध्यक्ष उन पर प्रश्न उपस्थित करने से पूर्व मूल प्रस्ताव को सदन को बतायेंगे या पढ़ कर सुनायेंगे।

(२) यह अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर होगा कि वे पहले मूल प्रस्ताव को या किसी संशोधन को मत के लिये रखें।"

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, परम्परा ऐसी रही है कि पहले संशोधन लिये गये और फिर मूल प्रस्ताव लिया गया। यों नियम तो है, लेकिन परम्परा का भी श्रीमन्, ध्यान रखें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब १० मिनट रह गये हैं। १० मिनट तो इसी में लग जायेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, मिनटों पर न जांय। अब फिर तो इस पर डिबेट होने वाला नहीं है। यह तो अन्तिम है। पहले आप संशोधनों को ही क्यों नहीं लेते ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठें।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत-कर विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२०३*

अक्षयबरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमदबख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रसन सिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणराय, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, एडवोकेट श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती

*२३ अक्तूबर, १९६२ को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संशोधित।

तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाँडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नित्यानन्द पाँडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाँडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
भगौतीदीन, श्री
महमूद अली खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
रामअनन्त पाँडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री

हकुमसिंह राठौर, कुंवर
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाँडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विपक्ष में १०३

अब्दुल हसीब खाँ, चौधरी
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कमलसिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नगुरू)
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद शर्मा, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
जगन्नाथराव, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्नेश्वरीप्रसाद, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
दौलतलाल, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नरसिंहनारायण पान्डेय, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमाई, श्री
प्रेमसिंह, श्री

बलदेवसिंह, सरदार
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बेदराम, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री,
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
महादेव, श्री
माधौप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त ,श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार ,श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद ,श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, वकील, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री

किन्तु माननीय अनीसुर्रहमान ने दोनों तरफ दस्तखत किये हैं। अतः एक-एक दोनों तरफ निकालकर २०३† पक्ष में और १०३ विपक्ष में।

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५४ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
२२ अक्तूबर ,१९६२

---

†२३ अक्तूबर,१९६२ को माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार संशोधित।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

प्रतिलिपि

श्रीमान्

मंत्री, स्वायत्त शासन ।

महोदय,

सेवा में सविनय निवेदन यह है कि नगरपालिका बस्ती के अध्यक्ष जब से डा० कमला दत्त त्रिपाठी हुये हैं तब से नागरिकों के कष्ट बढ़ गये हैं बोर्ड में हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, समस्त बोर्ड के कर्मचारी बिलकुल आजाद हो गये है किसी के खिलाफ रिपोर्ट होने पर डा० कमला दत्त जी के यहां कोई सुनवाई नहीं होती,हम लोगों की दरख्वास्तें या तो गुम कर दी जाती हैं या महीनों और वर्षों पेश ही नहीं किये जाते हैं, सुना तो यहां तक गया है कि जन्म और मृत्यु के रजिस्टर के अतिरिक्त १०,११ आवश्यक फाइलें जान बूझ कर गुम कर दी गई हैं किन्तु इसको जान लेने पर भी आज तक डा० कमला दत्त त्रिपाठी जी ने कोई भी कार्यवाही नहीं किया। अब हम गरीब नागरिकों को कौन पूछता है, चुंगी तथा तहबाजारी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और रोज इसके खिलाफ शिकायतें होती हैं किन्तु डाक्टर कमला दत्त न मालूम क्यों शिकायतों की तरफ ध्यान ही नहीं देते इसमें क्या रहस्य है इसे भगवान् तथा डाक्टर कमला दत्त जी के अलावा कौन जाने, गरीबों से खाने पीने की वस्तुओं पर भी पकड़ कर टैक्स ले लिया जाता है किन्तु अमीरों को चोरी करने की खुली छूट दी जाती है। जब कोई माल अचानक पकड़ में आ जाता है तो उसमें भी अमीरों और तस्करों के साथ हम गरीबों की अपेक्षा पक्षपात किया जाता है इतना ही नहीं कर्मचारियों से पूछा तक नहीं जाता है अगर कभी कोई किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ बाध्य होकर कुछ करना भी पड़ा तो सस्पेन्शन के साथ बहाली प्रायः वेतन के साथ ही होती रहती है, इसी प्रकार सड़क वाले मुहकमें में भी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं जो जो काम इनके जमाने में हुआ है एक प्रायः सभी अधूरे ही रहे, स्टेशन पर काली स्थान के पास बुरी तरह से खराब हो जाने वाली सड़क की जानकारी होते हुये भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। इसी प्रकार सुर्तो हुर्वटा सड़क पर ईंटे की गिट्टी पड़ी थी यह किस हिसाब से गिराई गयी थी और कैसे उसकी नपाई जोखाई हुई है यहां किसी को मालूम नहीं। सुना गया है कि उसके कुटाई का ठीका हुआ था थोड़े दिन हुये कुछ आदमी लगाकर ठीकेदार ने गिट्टी फैलवा दिया था। जिसकी कुटाई सवारियों ने पूरी तरह कर दी। ठीकेदारों को कोई तकलीफ नहीं हुई अगर कोई तकलीफ हुई होगी तो कमीशन से पूरा किया जायगा। यह शिकायत भी माननीय डा० साहब से की गई किन्तु कोई देखने नहीं आया बल्कि उस पर थोड़ी सी गिट्टी और डलावा दी गई थी। अभी अभी लाला सुन्दरलाल के पिछवाड़े नरहरिया के रास्ते पर पोखरे के किनारे कुछ दीवाल गिर गई थी वह दीवाल १४इंच चौड़ी दीवाल थी जो कि कंकड़ के चूने से जोड़ी गई थी सुना गया है कि उसको क्या ईंटा लगाकर जुड़ाई करने का नई दीवाल बनाने का ठीका दिया गया था। ठीकेदार ९ इंच चौड़ी दीवाल पुराने गिरे हुए ईंटे से बनाया। इसके लिये कई बार शिकायतें की गई, डा० कमलादत्त जी से भी कहा गया पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप एक दिन की बारिश के बाद २५ फुट के लगभग दीवाल गिर गई है उसकी भी शिकायत हुई किन्तु आज तक उसे कोई देखने नहीं आया और न कोई उचित कार्यवाही की बल्कि ठीकेदार ने फिर आकर उन्हीं गिरे हुए पुराने ईंटों से ढोकर लगाया है इतना ही नहीं कुछ बनी हुई दीवाल को भी कुछ हाथ से गिरा कर फिर से जुड़ाई हुई है, मानों ऐसा लगता है कि इसकी भी नई दीवार की जुड़ाई दिखाकर बोर्ड से पैसा वसूल किया जायगा नाम के लिये चुनाई सीमेन्ट से हुई किन्तु एक दिन की भी बरसात सहने की अथवा रोकने की ताकत मसाले में न रही इस प्रकार नागरिकों के पैसों की बन्दर बांट हो रही है। जहांतक नक्शे का संबंध है जनता काफी परेशान है, दो-दो तीन-तीन चार

चार मास तक नक्शे अधिकारियों के पास पड़े रहते हैं । मेम्बरों के पास तो कभी-कभी सालों पड़े रहते हैं बिना पूजा के कोई नक्शा पास नहीं होता, जनता दौड़ते दौड़ते परेशान एवं हैरान हो जाती है इस प्रकार दरख्वास्तें काफी पैन्डिग में रहती हैं और कभी-कभी गुम हो जाती हैं और सुना जाता है कि अधिकतया नक्शा पास हो जाने के बाद भी डा० कमला दत्त जी के आदेशानुसार १५,१५ दिनों तक रोक लिया जाता है तुरन्त नहीं दिया जाता है इसका क्या रहस्य है सहज ही समझा जा सकता है इसी प्रकार इक्का, तांगा, रिक्शा आदि की शिकायतें हैं जुर्माने उनसे वसूल होते हैं रसीदें नहीं दी जाती है और अगर कोई इसकी शिकायत करता है तो लाइसेन्स को रद्द करने और कोर्ट में भेजने की धमकती दी जाती है । तहबाजारी में जो धांधली मची हुई है वह अवांछनीय है सुना जाता है कि बहुत सी दुकानों के माहवारी पैसे बंधे हुये हैं अगर कोई इसके विरुद्ध कुछ शिकायत करे तो जांच पड़ताल की कौन कहे उल्टे सम्बन्धित कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है और शिकायतें हंस कर उड़ा दी जाती हैं । सड़क पर के पेड़ काट डाले जाते हैं और शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध न मालूम क्यों कोई कार्यवाही नहीं की जाती है सुनने में आया है कि एक आध चुंगी चोरी के मामले कम्पाउन्ड न होने की दशा में कोर्ट में ले जाने से जान बूझ कर रोक रक्खे गये हैं रोशनी के लिये चार चार महीने रिपोर्ट होने के बाद भी तरसना पड़ता है समय पर बल्ब नहीं लगते । पुरानी बस्ती में लगभग डेढ़ वर्ष से मैन होल टूटे हुये हैं, जो संख्या में तीन हैं जो लाख शिकायतों के बावजूद भी आज तक टूटे हुए हैं । अनधिकार मकान बनाने वालों और इनकिरोचमेन्ट करने वालों को नोटिसें दी जाती हैं और बोर्ड में मकान गिराने के लिये पास करा भी दिया जाता है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती इसमें न मालूम क्या रहस्य है नजूल की जमीनों पर जहां-तहां कब्जा होता रहता है किन्तु इस ओर निरन्तर ध्यान आकर्षित कराने पर भी ध्यान नहीं दिया जाता इसका भी रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। सफाई की तो हालत अत्यन्त दयनीय है गलियों में कई दिनों तक कूड़े पड़े रहते हैं । कभी कभी सड़कों पर भी कूड़े पड़े रहते हैं । अगर कोई इस बात की शिकायत करे तो सफाई तो होती नहीं उल्टे उस व्यक्ति के चालान की नौबत आ जाती है। इसको देखने वाला नहीं है जिन कर्मचारियों या सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप या संदेह है उन्हीं को डा०कमला दत्त चुन चुन कर अवसर और प्रोत्साहन देते हैं । अतः आपसे हम लोगों की प्रार्थना यह है कि इसकी पूरी तरह से खुफिया जांच करा कर मुनासिब कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि जनता के घोर संतोष एवं कष्ट दूर हो सकें । आशा है श्रीमान् जी हम लोगों की प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

इसके अतिरिक्त और बहुत सी शिकायतें हैं जिनको लिपिबद्ध करने से एक बड़ा पोथा बन जायगा एंव लिखना संभव भी नहीं है । कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट होने की वजह से जितना ही नागरिकों को कष्ट होता है उतना ही कांग्रेस के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है विरोधी उस को फैलाने में काफी मदद कर रहे हैं । अतः प्रार्थना है इसकी जांच करा कर इसकी रोकथाम का अविलम्ब उपाय किया जाय ।

आपका
ह० रामलाल मुनीम,
ह० रामप्रकाश तथा पंचम
इत्यादि

नत्थी क

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

१ अगस्त, १९६१ के शिकायती पत्र में दी गई मुख्य बातें

(१) बन्धू सिंह मार्केट का पट्टा एक मेम्बर के रिश्तेदार को Auction Committee की मर्जी के खिलाफ केवल १०,००० रु० में दे दिया गया जब कि उसका किराया लगभग २५,००० ० था ।

(२) हुमायूंपुर खाद की खत्तियों की मिलकियत को बोर्ड के बिना स्वीकृत के देना ।

(३) रामगढ़ ताल का पट्टा बिना बोर्ड की मंजूरी तथा उसकी मिलकियत बिना किसी agreement के देना ।

(४) गोलघर को कुछ खास जमीन का पट्टा बिना बोर्ड की स्वीकृत देना ।

(५) हेल्थ आफिसर तथा इक्जीक्यूटिव अफसर के दैनिक कार्यों में अध्यक्ष द्वारा बाधा देना तथा पालिका के ७५ रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का तबादला, मुअत्तली तथा बरखास्तगी ।

(६) इक्जीक्यूटिव आफिसर तथा अन्य कर्मचारियों की अध्यक्ष द्वारा अवैधानिक मुअत्तली ।

(७) हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स का पालिका द्वारा वसूली की मंजूरी तथा उसका बजट में प्राविधान होते हुये भी न लगाया जाना तथा उसे न वसूल करना।

संसद सदस्य सूचना

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे ४३२ पृष्ठ पर)

सन्	मरम्मत के लिये प्रार्थना पत्र देने वालों की संख्या	नये मकान बनाने के लिये प्रार्थना पत्र देने वालों की संख्या	सीमेन्ट मरम्मत के लिये दी गई	सीमेन्ट नये मकान बनाने के लिये दी गई	शेष प्रार्थना पत्र
१९६०–६१	४,८००	..	१३,३६३ बोरी		
१९६१–६२	३,०५७	२५५	४१,००४ बोरी	१२,५०४ बोरी	२१७ प्रार्थना पत्र जून, १९६२ से

पी० एस० यू० पी०—२२१ एल० ए०—१९६३ प्रो०—८३०।

विधान सभा प्रदेश